सत्यमेव जयते

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 1998 को अन्त होनेवाले वर्ष

का प्रतिवेदन

संख्या-4

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

संख्या-4 (राजस्व प्राप्तियाँ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 1998 को अंत होनेवाले वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य विधान मंडल को
दिनांक..................को
प्रस्तुत किया गया
03 AUG 199

सत्यमेव जयते

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 1998 को अन्त होनेवाले वर्ष

का प्रतिवेदन

संख्या-4

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		vii
विहंगावलोकन		ix

अध्याय 1
सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2.	2
संग्रहण की लागत	1.3.	3
बिक्री,व्यापार आदि पर कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4.	4
कर/शुल्क संबंधी छल और अपवंचन	1.5.	5
संग्रहण का विश्लेषण	1.6.	5
असंग्रहित राजस्व	1.7.	6
लंबित अपील के मामले	1.8.	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9.	8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	1.10.	8

अध्याय 2
विशेष महत्व के प्रकरण

कलकत्ता में भूमि/संपत्ति का निबंधन किए जाने के कारण राजस्व की हानि	2.1.	11
विक्रय/क्रय राशि के छिपाए जाने के फलस्वरुप अवनिर्धारण	2.2.	12

ईंटों, पत्थरों आदि पर बिक्री कर का नहीं लगाया जाना	2.3.	13
पट्टाकृत संपत्ति का नवीकरण नहीं होने/बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि	2.4.	14
सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	2.5.	16
सरकारी आवासों से भाड़े की प्राप्तियों में अनियमिततायें	2.6.	17

अध्याय 3
बिक्री, व्यापार आदि पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.	21
राज्य के बाहर से प्राप्त वस्तुओं पर बिक्री कर का अपवंचन	3.2.	21
बिक्री राशि का छिपाया जाना	3.3.	27
केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत अवनिर्धारण	3.4.	28
गलत दरों से कर का लगाया जाना	3.5.	29
कर की संगणना में भूल	3.6.	30
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	3.7.	30
अधिभार का नहीं लगाया जाना	3.8.	31
छूट की गलत स्वीकृति	3.9.	31
कालबाधित कर निर्धारण के कारण राजस्व की हानि	3.10.	32
कटौती की गलत स्वीकृति	3.11.	32
कर की रियायती दरों की गलत अनुमति	3.12.	33

अध्याय 4
राज्य उत्पाद

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.	35
अनुज्ञा शुल्क (लाइसेंस फीस) की अंतर राशि की वसूली न करना	4.2.	35
उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती में कार्यपालक/प्रशासनिक विफलता के कारण राजस्व की हानि	4.3.	36
भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर पर शुल्क की अन्तर राशि की वसूली न करना	4.4.	36
शुल्क की रियायती दर पर रम का अधिक निर्गमन	4.5.	37
खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की अनापूर्ति के कारण राजस्व की हानि	4.6.	37

अध्याय 5
वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.	39
राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना	5.2.	39
अभ्यर्पित कागजातों की अस्वीकृति पर कर का अनुद्ग्रहण/कर से छूट के मामले तथा छः महीने बाद अभ्यर्पण की स्वीकृति	5.3.	49
वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व का कम उद्ग्रहण होना	5.4.	50
कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी	5.5.	51
बकाया देय किस्तों का उद्ग्रहण नहीं होना	5.6.	51
वाहनों को अधिकार में लेने की तिथि से कर का नहीं लगाया जाना	5.7.	52

सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया/वसूला जाना	5.8.	52
विलंबित कर भुगतान पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना	5.9.	53
बकाये कर का उद्ग्रहण किये बिना वर्तमान कर का उद्ग्रहण होना	5.10.	53
कर प्रभावी वाहनों का सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होना	5.11.	54
परिवहन वाहन के पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता का गलत अवधारण होना	5.12.	54

अध्याय 6
भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.	57
बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी भूमि के हस्तान्तरण तथा उपयोग में अनियमिततायें	6.2.	57
भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का कम लगाया जाना	6.3.	62
भूदान यज्ञ के अंतर्गत दान की गयी भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	6.4.	63
सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं होना	6.5.	63
सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	6.6.	64

अध्याय 7
अन्य कर-प्राप्तियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1.	65

क. मुद्रांक और निबंधन फीस

संपत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का कम उद्ग्रहण होना	7.2.	66

ख. ईख पर कर

ईख के क्रय पर कर का भुगतान नहीं/कम करना	7.3.	66
बकाये कर पर ब्याज नहीं लगाया जाना	7.4.	67

ग. मनोरंजन कर

मनोरंजन कर का कम लगाया जाना	7.5.	67

अध्याय 8

खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1.	69

क. वृहत् खनिज

रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना	8.2.	69
ब्याज का नहीं लगाया जाना	8.3.	70
रॉयल्टी की अधिक छूट	8.4.	71

ख. लघु खनिज

ईंट्ट मिट्टी के अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना	8.5.	71
अर्थदंड/रॉयल्टी का नहीं/कम लगाया जाना	8.6.	72
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	8.7.	73
रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना	8.8.	74

अध्याय 9
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	9.1.	75
क. वन प्राप्तियाँ		
आपराधिक मामलों के दाखिल करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9.2.	75
विभागीय प्राप्ति का व्यय के लिए उपयोग	9.3.	76
वन भूमि के अनधिकृत विचलन तथा माँग के कम सृजन के कारण राजस्व की हानि	9.4.	76
नीलामवाद प्रक्रियाओं के आरंभ नहीं करने के कारण राजस्व का उद्‌ग्रहण नहीं होना	9.5.	77
ख. जल दर		
जल दरों का निर्धारण नहीं किया जाना	9.6.	78
वास्तविक सिंचित भूमि के विरुद्ध निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	9.7.	78

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 523.86 करोड़ रुपये राजस्व प्रभाव के कर, ब्याज, अर्थदंड आदि के नहीं लगाने अथवा कम लगाने से संबद्ध 3 समीक्षाओं सहित 55 कंडिकायें सम्मिलित हैं।

मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :-

1. सामान्य

- वर्ष 1996-97 की कुल प्राप्तियाँ 8408.05 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1997-98 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 9478.92 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 2399.82 करोड़ रुपये और कर-भिन्न राजस्व के 1224.51 करोड़ रुपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 3624.33 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से कुल 5854.59 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा 4074.30 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान 1780.29 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 38 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 1997-98 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1567.64 करोड़ रुपये) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (808.55 करोड़ रुपये) क्रमश: कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

[कंडिका 1.1. (i) और (i i)]

- मार्च 1998 के अंत में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के 95588 मामले कर निर्धारण हेतु लंबित थे।

[कंडिका 1.4.]

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, जल दर एवं विद्युत पर कर और शुल्क से संबंधित असंग्रहित राजस्व की राशियाँ क्रमश: 908.57 करोड़ रुपये, 199.97 करोड़ रुपये, 70.63 करोड़ रुपये तथा 60.53 करोड़ रुपये मार्च 1998 के अंत में थीं।

[कंडिका 1.7.]

- वाणिज्यकर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, भू-राजस्व, खान एवं भूतत्व तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 1997-98 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 15131 मामलों में अंतर्ग्रस्त 1253.41 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण प्रकाश में आये। संबद्ध विभागों ने 3804 मामलों में अंतर्ग्रस्त 71.22 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिसमें 957 मामलों में अंतर्ग्रस्त 30.21 करोड़ रुपये वर्ष 1997-98 से तथा शेष पिछले वर्षों से संबंधित थे।

[कंडिका 1.9.]

- दिसंबर 1997 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निष्पादन जून 1998 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 9696 एवं 39912 थीं जिनमें

2497.80 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे। 3492 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

[कंडिका 1.10.]

2. विशेष महत्व के प्रकरण

- यद्यपि 1991 में महानगरों में निबंधन की सुविधा वापस ले ली गयी फिर भी भूमि/सम्पत्ति से संबंधित 11831 दस्तावेजों का निबंधन जनवरी 1992 और मार्च 1996 के मध्य कलकत्ता में हुआ जिसके फलस्वरूप 810 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। 4236 मामलों में भूमि का मूल्य जिला समाहर्ताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी कम था, जिसके फलस्वरूप 1927 लाख रुपये के राजस्व का कम संग्रहण हुआ। देवघर, गया और पटना के नगरनिकायों के राजस्व अभिलेखों के साथ कलकत्ता में निबंधित दस्तावेजों की तिर्यक जाँच में देखा गया कि 42 मामलों में नामान्तरण (दाखिल खारिज) अभिलेखों में स्वामित्व परिवर्तित कर दिया गया था।

[कंडिका 2.1.]

- 3 वाणिज्यकर अंचलों के 3 व्यवसायियों के अभिलेखों और आयकर विभाग के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से 3854.29 लाख रुपये की विक्रय राशि को छिपाया जाने का पता चला जिसके फलस्वरूप 1282.36 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

[कंडिंका 2.2.]

- 15 वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों के साथ 5 जिला खनन कार्यालयों और ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (कार्य) प्रमंडल के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि ईंट, पत्थर, कंकड़ और सड़क/निर्माण के सामानों के 827 विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता न तो निबंधित थे और न सामानों की बिक्री पर उन्होंने कर का भुगतान ही किया। फलस्वरूप 2015.70 लाख रुपये का बिक्री कर और अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 2.3.]

- पूर्वी सिंहभूम जिला के एक राजस्व अंचल में और 3 राजस्व जिलों में 683 पट्टाधारियों ने पट्टाकृत सम्पत्तियों के बंधों और शर्तों का उल्लंघन किया और 75 मामलों में पट्टाधारियों ने पट्टा के नवीकरण हेतु या तो आवेदन नहीं किया या आवेदन किया भी तो पट्टा समाप्ति के बाद । फलस्वरूप सलामी और लगान के रुप में 16420.40 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 2.4.]

- सरकारी भूमि के अतिक्रमण से सम्बंधित 6 राजस्व अंचलों में 4081.47 लाख रुपये की सलामी और वाणिज्यिक लगान निर्धारित/उद्ग्रहित नहीं हुआ।

[कंडिका 2.5.]

- राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और एक राजनैतिक दल के पदधारियों तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों सहित 123 व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवासों पर अनधिकृत अभिग्रहण के फलस्वरूप 55.06 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 2.6. (क) और (ख)]

3. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

- 'राज्य के बाहर से प्राप्त वस्तुओं पर बिक्री कर का अपवंचन' पर की गयी एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुये :-

- 33 वाणिज्यकर अंचलों में 99 व्यवसायियों द्वारा बाहर के राज्यों से प्राप्त सामानों के लेखापित नहीं करने/कम लेखापित करने के फलस्वरूप 6533.88 लाख रुपये की क्रय राशि को छिपाया गया और 2364.67 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) के कर का अपवंचन हुआ।

  [कंडिका 3.2.6. (i)और (i i)]

- 11 वाणिज्यकर अंचलों में 18 व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में 1045.89 लाख रुपये के सामानों की कम प्राप्ति प्रदर्शित की और जिसपर 314.11 लाख रुपये का अर्थदंड नहीं लगा।

  [कंडिका 3.2.7.]

- 18 अंचलों में, 33 व्यवसायियों ने 4296.47 लाख रुपये मूल्य के सामानों का क्रय, चुराये गये/अमान्य/जाली घोषणा प्रपत्रों पर किया जिसके फलस्वरूप 1729.54 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) के कर का अपवंचन हुआ।

  [कंडिका 3.2.8.(i)और (i i)]

- विभाग के बाजार सर्वेक्षण संचालन में असफलता के फलस्वरूप 17 अनिबंधित/फर्जी परेषितियों के मामले में 1255.22 लाख रुपये की बिक्री राशि कर निर्धारण से वंचित रह गयी और 153.50 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) के राजस्व की हानि हुई।

  [कंडिका 3.2.9.]

- 9 अंचलों में 15 व्यवसायियों द्वारा 532.55 लाख रुपये की विक्रय राशि के छिपाये जाने के फलस्वरूप 220.13 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

  [कंडिका 3.3.]

- गलत दरों के लगाने से 5 अंचलों के 6 मामलों में, 246.82 लाख रुपये केन्द्रीय बिक्री कर और 10 अंचलों के 14 मामलों में 199.58 लाख रुपये राज्य अधिनियम के अंतर्गत कम कर लगाया गया।

  [कंडिका 3.4. और 3.5.]

- 6 अंचलों में 6 व्यवसायियों के मामलों में संगणना में भूल के कारण 34.58 लाख रुपये का कम कर लगाया गया।

  [कंडिका 3.6.]

- 3 अंचलों के 3 व्यवसायियों के मामलों में 31.32 लाख रुपये का अधिभार नहीं लगाया गया।

[कंडिका 3.8.]

4. राज्य उत्पाद

- 7 प्रक्षेत्रों के 21 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 21.14 लाख एल.पी.एल. देशी शराब की अधिक खपत पर 65.49 लाख रुपये के अनुज्ञा शुल्क की अंतर राशि जमा नहीं की गयी।

[कंडिका 4.2.]

- 36 उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती नहीं होने और इन्हें विभागीय स्तर पर चलाने में विभाग की असफलता के फलस्वरूप 118.94 लाख रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 4.3.]

- अनुज्ञाधारियों को पूर्व संशोधित दर से भा.नि.वि.श. और बीयर का निर्गमन करने के फलस्वरूप 25.55 लाख रुपये के शुल्क की कम उगाही हुई।

[कंडिका 4.4.]

5. वाहनों पर कर

- 'राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना' पर की गयी एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्‌घटित हुये :-

- 6 क्षे० प० प्रा० में 4 से लेकर 87 प्रतिशत मामलों में अनुज्ञापत्र के निर्गमन में 8 से 133 दिनों तक का विलम्ब था। दूसरे राज्यों में 293.63 लाख रुपये के मिश्रित शुल्क के प्रेषण में 4 से 12 महीनों तक का विलम्ब हुआ।

[कंडिका 5.2.6.(i) और (ii)]

- रा०प०प्रा०/8 क्षे०प०प्रा० से संबधित 2846 मामलों में, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण का नवीकरण नहीं होने के फलस्वरूप 923.70 लाख रुपये की उगाही नहीं हुई जिसमें 28.70 लाख रुपये बिहार से संबंधित था। 1993-94 से 1994-95 की अवधि में 776 मामलों में मिश्रित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क की उगाही, 68.55 लाख रुपये के बकाये की उगाही के बिना ही कर ली गयी।

[कंडिका 5.2.7. (क) और (घ)]

- एक जाँच चौकी और 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों द्वारा 14.22 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं किये गये। बैंक में जमा की गयी 45.35 लाख रुपये की जाँच समर्थित दस्तावेजों के अभाव में नहीं की जा सकी।

[कंडिका 5.2.8.(क) (i i) और (ख) (i i)]

- सरकार को देय मिश्रित शुल्क की तत्काल और सही उगाही को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पंजी और प्रतिवेदन/विवरणी के रुप में अनुश्रवण की व्यवस्था नहीं है।

[कंडिका 5.2.9.]

- 1978 और 1991 के बीच की अवधि से संबंधित 941.52 लाख रुपये के 145139 कालबाधित बैंक ड्राफ्ट पटना स्थित विभिन्न बैंकों में 1992-93 से 1997-98 के दौरान संग्रहण हेतु भेजे गये। विभाग ने सरकारी लेखे में उक्त राशि के जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की है।

[कंडिका 5.2.10. (क) (i i)]

- राजस्व की राशि संग्रह करने वाले पटना स्थित 25 बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में जमा राशि का आंशिक अंतरण किया और मार्च 1998 के अंत में बैंकों द्वारा 552.22 लाख रुपये की शेष राशि रोक ली गयी। बैंकों द्वारा चेक के विरुद्ध नहीं/कम राशि के सरकारी राजस्व के हस्तानांतरण के फलस्वरूप बैंकों को अनुचित लाभ मिला।

[कंडिका 5.2.10. (ख) और (ग)]

- 1993-94 से 1997-98 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा द्वारा अनियमित रुप से 48.34 लाख रुपये के संग्रहण प्रभार की कटौती की गयी।

[कंडिका 5.2.11.]

- 12 जिलों में 85 वाहन मालिकों से अभ्यर्पण मामले की अस्वीकृति और छः महीने के बाद अर्भ्यपण की स्वीकृति पर लगे 31.44 लाख रुपये के कर की उगाही नहीं हुई।

[कंडिका 5.3.]

- 10 जिलों में 43 परिवहन वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण 23.41 लाख रुपये कर की कम उगाही हुई।

[कंडिका 5.4.]

6. भू-राजस्व

- 'बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी भूमि के हस्तान्तरण तथा उपयोग में अनियमिततायें' पर की गयी एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुये :-

- पूर्वी सिंहभूम जिला में एक निजी क्षेत्र के उद्योग ने 581.84 लाख रुपये की सलामी और वाणिज्यिक लगान का भुगतान किये बिना ही भूमि को शिकमी पट्टे पर दूसरे उद्योग को दे दिया।

[कंडिका 6.2.4.]

- बोकारो जिला में एक सार्वजनिक क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम जिला के एक निजी क्षेत्र के उद्योग और उसके एक उप पट्टाधारी उद्योग के मामले में 442.67 एकड़ भूमि का अनियमित उपयोग हुआ जिसके फलस्वरूप सलामी, वाणिज्यिक लगान और आवासीय लगान के रुप में 12987.55 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.5.]

- एक निजी क्षेत्र के उद्योग द्वारा नवीकरण हेतु समय पर आवेदन करने के बाद भी नवीकरण नहीं होने के फलस्वरूप ब्याज सहित दुगुने लगान के रुप में 47.70 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 6.2.6.]

- एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एक निजी क्षेत्र के उद्योग से संबंधित 14401.785 एकड़ भूमि का न तो उपयोग किया गया और न सरकार को वापस ही किया गया।

[कंडिका 6.2.7.]

- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, 1956-57 से 1984-85 की अवधि में भूमि के हस्तान्तरित होने के बाद भी हस्तान्तरण के दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया गया।

[कंडिका 6.2.8.]

- 6 राजस्व जिलों में सरकारी अनुदेशों के बाद भी भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर 132.60 लाख रुपये का उपकर नहीं लगाया गया।

[कंडिका 6.3.]

- 10 राजस्व अंचलों में, 247 रैयतों ने 55.395 एकड़ कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनों में यथा विभिन्न व्यवसायों की स्थापना के लिए परिवर्तित किया जिसके फलस्वरूप सलामी एवं वाणिज्यिक लगान के रुप में 554.13 लाख रुपये की उगाही नहीं हुई।

[कंडिका 6.5.]

7. अन्य कर प्राप्तियाँ

- एक जिला अवर निबंधक कार्यालय में सम्पत्ति के अवमूल्यन के फलस्वरूप 20.64 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 7.2.]

- पेराई वर्ष 1996-97 के लिए 20 चीनी कारखानों द्वारा 213.24 लाख रुपये के क्रय कर का भुगतान नहीं/कम किया गया।

[कंडिका 7.3.]

8. खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टियाँ

- मार्च 1996 और मार्च 1997 के मध्य भण्डार से कम किये गये/उपभुक्त/निम्नश्रेणीकृत 602145.62 टन कोयला एवं लौह अयस्क पर 266.09 लाख रुपये की रॉयल्टी आरोपित नहीं की गयी।

[कंडिका 8.2.]

- वृहत् खनिजों के 4 पट्टाधारियों के मामले में रॉयल्टी के विलंब से भुगतान के कारण 111.28 लाख रुपये का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 8.3]

- 19 जिलों में 1919 ईंट भट्ठों के अनधिकृत संचालन पर 406.99 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 8.5.]

9. अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

- गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के विचलन के एक मामले में क्षतिपूर्ति के लिए 282.64 लाख रुपये की कम माँग सृजित की गई।

[कंडिका 9.4.]

- लाभुकों से वसूलनीय जलदरों के निर्धारण के लिए आवश्यक सूदकर, खसरा, खतियानी आदि के पूर्ण नहीं रहने के फलस्वरूप माँग का सृजन नहीं हुआ फलत: 2 प्रमण्डलों में 282.11 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 9.6.]

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 1998 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों, जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं, की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 1997-98 में तथा 1998-99 के आरंभ में अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में तो आये पर पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

अध्याय 1

	कंडिका	पृष्ठ
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2.	2
संग्रहण की लागत	1.3.	3
बिक्री, व्यापार आदि पर कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4.	4
कर/शुल्क संबंधी छल और अपवंचन	1.5.	5
संग्रहण का विश्लेषण	1.6.	5
असंग्रहित राजस्व	1.7.	6
लंबित अपील के मामले	1.8.	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9.	8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	1.10.	8

सामान्य

राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व
1995-96 से 1997-98

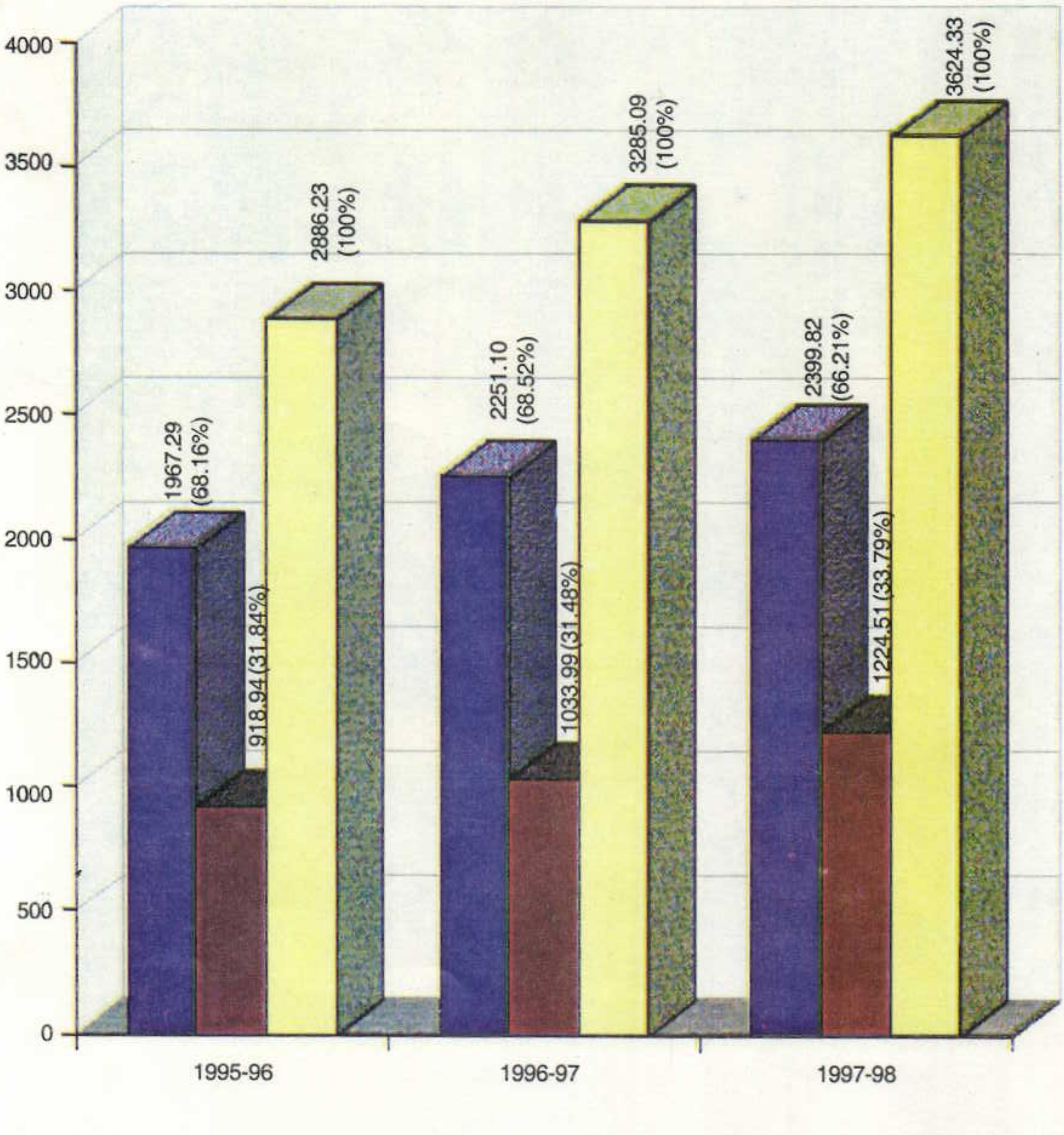

तालिका - I (कंडिका 1.1)

■ कर राजस्व ■ कर-भिन्न राजस्व □ सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व

राशि करोड़ रुपये में

अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 1997-98 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत 2 वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिये गये हैं एवं तालिका I और तालिका II में भी दर्शाये गये हैं :-

		1995-96	1996-97	1997-98
		(करोड़	रुपये	में)
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व	2886.23	3285.09	3624.33
	(क) कर राजस्व	1967.29	2251.10	2399.82
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	918.94	1033.99	1224.51
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	4495.69	5122.96	5854.59
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3485.46	4078.20	4074.30
	(ख) सहायता अनुदान	1010.23	1044.76	1780.29
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ * (I. एवं II.)	7381.92	8408.05	9478.92
IV.	III और I की प्रतिशतता	39	39	38

इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व (9478.92 करोड़ रुपये) का मात्र 38 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी।

(i) विगत 2 वर्षों के आँकड़ों के साथ-साथ वर्ष 1997-98 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1995-96	1996-97	1997-98	1996-97 की अपेक्षा 1997-98 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता	
	(करोड़	रुपये	में)		
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1310.00	1496.39	1567.64	(+)	5
2. राज्य उत्पाद	182.07	218.74	226.36	(+)	3
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	205.82	227.41	253.13	(+)	11
4. वाहनों पर कर	157.80	160.84	174.07	(+)	8
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	51.73	70.57	42.32	(-)	40
6. भू-राजस्व	28.79	24.86	23.48	(-)	6
7. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.95	23.34	25.92	(+)	11
8. माल एवं यात्रियों पर कर	6.11	28.94	86.89	(+)	200
9. कृषि आय पर कर	0.02	0.01	0.01		
कुल	1967.29	2251.10	2399.82	(+)	7

* पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 1997-98 के वित्त लेखे में विवरणी 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें।शीर्ष "0021 निगम कर से भिन्न आय पर कर-निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अंतर्गत आँकडे. जो वित्त लेखा में "क-कर राजस्व" में दिखाये गये है, को राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के लिए संबद्ध विभागों द्वारा निम्नांकित कारण दिये गये :-

(क) स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क :-11 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण बताया गया।

(ख) माल एवं यात्रियों पर कर :- 200 प्रतिशत वृद्धि का कारण वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कराधान का प्रावधान (25 फरवरी 1993 से प्रभावी) बताया गया जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी (1996)।वर्ष के दौरान की गई वसूली में पूर्व वर्षों के बकाये की वसूली भी सन्निहित है।

(ग) विद्युत पर कर एवं शुल्क :- 40 प्रतिशत ह्रास का कारण बिहार राज्य विद्युत परिषद द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना बताया गया।

(घ) वाहनों पर कर :- 8 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा बेहतर कर प्रबंध बताया गया।

(ii) वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	1995-96	1996-97	1997-98	1996-97 की अपेक्षा 1997-98 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपये	में)	
1.अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	769.09	820.28	808.55	(-) 1
2.वानिकी एवं वन्य जीवन	27.34	23.65	14.52	(-) 39
3.ब्याज प्राप्तियाँ	20.20	56.48	92.39	(+) 64
4.सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9.33	30.74	14.29	(-) 54
5.अन्य	92.98	102.84	294.76	(+) 187
कुल	918.94	1033.99	1224.51	(+) 18

"ब्याज प्राप्तियाँ" में वृद्धि का मुख्य कारण रोकड़ अवशेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज था।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा वानिकी एवं वन्य जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन/ह्रास के कारण संबद्ध विभागों से माँगे गये थे (अप्रैल 1998) परन्तु अनेक स्मार एवं व्यक्तिगत संपर्कों के बावजूद नहीं प्राप्त हुए (अक्तूबर 1998)।

1.2. बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्व के मुख्य शीर्ष में बजट अनुमानों तथा वास्तविक

राजस्व प्राप्तियाँ
1997-98

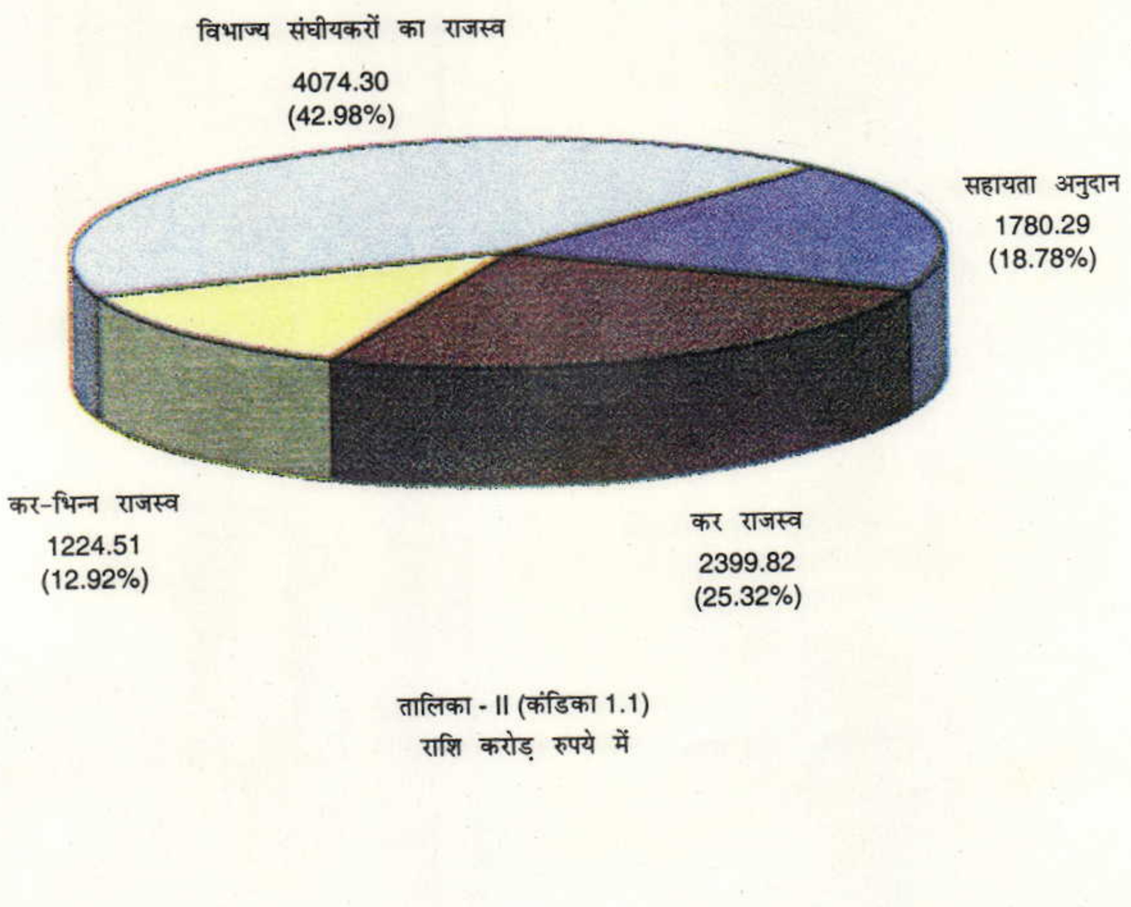

तालिका - II (कंडिका 1.1)
राशि करोड़ रुपये में

अध्याय 2

	कंडिका	पृष्ठ
कलकत्ता में भूमि/संपत्ति का निबंधन किए जाने के कारण राजस्व की हानि	2.1.	11
विक्रय/क्रय राशि के छिपाए जाने के फलस्वरुप अवनिर्धारण	2.2.	12
ईंटों, पत्थरों आदि पर बिक्री कर का नहीं लगाया जाना	2.3.	13
पट्टाकृत संपत्ति का नवीकरण नहीं होने/बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि	2.4.	14
सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	2.5.	16
सरकारी आवासों से भाड़े की प्राप्तियों में अनियमिततायें	2.6.	17

विशेष महत्व के प्रकरण

प्राप्तियों के बीच की भिन्नताएँ नीचे दी गयी हैं :-

		बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) ह्रास (-)		भिन्नता की प्रतिशतता	
		(करोड़	रुपये	में)			
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2000.20	1567.64	(-)	432.56	(-)	22
2.	राज्य उत्पाद	264.50	226.36	(-)	38.14	(-)	14
3.	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	417.57	253.13	(-)	164.44	(-)	39
4.	वाहनों पर कर	193.90	174.07	(-)	19.83	(-)	10
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	94.61	42.32	(-)	52.29	(-)	55
6.	भू-राजस्व	32.00	23.48	(-)	8.52	(-)	27
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	30.78	25.92	(-)	4.86	(-)	16
8.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	860.00	808.55	(-)	51.45	(-)	6
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	42.30	14.52	(-)	27.78	(-)	66
10.	ब्याज प्राप्तियाँ	35.11	92.39	(+)	57.28	(+)	163
11.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9.35	14.29	(+)	4.94	(+)	53
12.	माल एवं यात्रियों पर कर-	28.77	86.89	(+)	58.12	(+)	202

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण, जैसा कि संबद्ध विभागों द्वारा सूचित किये गये (अगस्त और अक्तूबर 1998 के मध्य), निम्नलिखित थे :-

(क) परिवहन विभाग ने 19.83 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण वित्त विभाग द्वारा अधिक लक्ष्य निर्धारित होना बताया।

(ख) राजस्व विभाग (पंजीयन विभाग) ने 164.44 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण अराजपत्रित कर्मियों की लम्बी हड़ताल, न्यायिकेतर स्टाम्पों की कमी तथा 1998 में लोक सभा का चुनाव होना बताया।

(ग) खान एवं भूतत्व विभाग ने 51.45 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण वर्ष 1997-98 के दौरान कोयला की माँग में कमी का होना बताया।

(घ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8.52 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण अराजपत्रित कर्मियों की लम्बी हड़ताल का होना बताया।

अन्य विभागों से यद्यपि सूचनायें माँगी गयी थीं (अप्रैल 1998); परन्तु अनेक स्मारों के बावजूद प्राप्त नहीं हुईं (अक्तूबर 1998)।

1.3. संग्रहण की लागत

वर्ष 1995-96,1996-97 और 1997-98 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ वर्ष 1996-97 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए

व्यय से संबद्ध अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :-

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1996-97 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
			(करोड़ रुपये	में)		
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1995-96	1310.00	16.80	1.28	
		1996-97	1496.39	20.26	1.35	1.19
		1997-98	1567.64	19.76	1.26	
2.	राज्य उत्पाद	1995-96	182.07	12.55	6.89	
		1996-97	218.74	13.29	6.08	3.53
		1997-98	226.36	14.85	6.56	
3.	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	1995-96	205.82	11.07	5.38	
		1996-97	227.41	12.94	5.69	3.37
		1997-98	253.13	14.47	5.71	
4.	वाहनों पर कर	1995-96	157.80	3.28	2.08	
		1996-97	160.84	3.70	2.30	2.60
		1997-98	174.07	3.39	1.94	

उपर्युक्त आँकड़ों से यह देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

1.4. बिक्री,व्यापार आदि पर कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री, व्यापार आदि पर कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा विभाग ने प्रस्तुत किया नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	आरंभ शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 5 की 4 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1993-94	105346	91705	197051	94943	102108	48
1994-95	102108	87290	189398	83034	106364	44
1995-96	106364	83871	190235	85441	104794	45
1996-97	104794	93027	197821	114762	83059	58
1997-98	83059	96017	179076	83488	95588	47

बकाये मामलों को नियंत्रित रखने के लिए 1996-97 में किये गये प्रयासों को बनाये रखते हुए बकाये में और कमी लाने हेतु और उपाय करने की आवश्यकता है।

1.5. कर/शुल्क संबंधी छल और अपवंचन

वर्ष के प्रारंभ में लंबित कर और शुल्क से संबंधित छल और अपवंचन के मामले, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान कर निर्धारित/जाँच संपन्न हुए मामलों की संख्या एवं व्यवसायियों के विरुद्ध की गयी कर/शुल्क की अतिरिक्त माँग (अर्थदंड आदि सहित) तथा मार्च 1998 के अंत में निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा संबद्ध विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गये, नीचे दिये जा रहे हैं :-

क्रमांक	विभाग	31 मार्च 1997 को लंबित मामले	1997-98 के दौरान पता लगाये गये मामले	निर्धारण/जाँच संपन्न हुए मामलों की संख्या तथा अर्थदंड आदि सहित की गयी अतिरिक्त माँग		31 मार्च 1998 को निष्पादन के लिए लंबित मामले
				मामलों की संख्या	माँग की राशि (लाख रु. में)	
1.	जल संसाधन	42	15	-	-	57
2.	वित्त (वाणिज्यकर)	460	745	574	83.00	631
3.	परिवहन	621*	-	-	-	621
4.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	3**	-	3	2.27	-
5.	खान एवं भूतत्व	33***	-	-	-	33

सूचनायें अन्य विभागों से भी माँगे जाने (अप्रैल 1998) और मुख्य सचिव सहित विभागीय उच्च अधिकारियों को अनेक स्मार देने के बावजूद प्राप्त नहीं हुईं (अक्तूबर 1998)।

1.6. संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के दौरान बिक्री,व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण (कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद) तथा विगत 2 वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के अलग-अलग ब्यौरे निम्मिलिखित है :-

वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि		कर का कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कुल संग्रहण में निर्धारण पूर्व संग्रहण का प्रतिशत (कॉलम 2 की तुलना में 5)
		अतिरिक्त मांग	कर के भुगतान में विलंब के लिए अर्थदंड			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(करोड़	रुपये	में)			
1995-96	1277.87	22.85	1.19	1301.91	1310.00	98
1996-97	1445.82	31.05	0.88	1477.75	1496.39	98
1997-98	1504.30	31.96	0.72	1536.98	1567.64	98

* विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंत शेष 220 से 401 का अंतर है।

** विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंत शेष 12 से 9 का अंतर है।

*** विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंत शेष 244 से 211 का अंतर है।

इस प्रकार नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदंड सहित अतिरिक्त कर संग्रहण कुल कर संग्रहण का निम्न अंश (2 प्रतिशत) था।

1.7. असंग्रहित राजस्व

संबद्ध विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 1998 को बकाया राजस्व निम्नवत था :-

राजस्व शीर्ष	बकाया	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया (करोड़ रुपये में)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4
1.बिक्री, व्यापार आदि पर कर	908.57	83.60	908.57 करोड़ रुपये में से 51.10 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 450.70 करोड़ रुपये एवं 1.99 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमश: न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी, 0.20 करोड़ रुपये की वसूली भूल सुधार/आवेदन पत्रों के पुनर्विचार के कारण रुकी रही। शेष 404.58 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।
2.वाहनों पर कर	199.97	अनुपलब्ध	199.97 करोड़ रुपये में से 184.88 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.05 करोड़ रुपये की वसूली भूल सुधार/आवेदन पत्रों के पुनर्विचार के कारण रुकी रही । 3.56 करोड़ रुपये की माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 11.48 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998) ।
3. जल दर	70.63	32.93	70.63 करोड़ रुपये में से 1.32 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 2.76 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी। शेष बकाये 66.55 करोड़ रुपये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।
4. विद्युत पर कर और शुल्क	60.53	9.96	60.53 करोड़ रुपये में से 0.18 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। न्यायालयों द्वारा 6.29 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगायी गयी शेष 54.06 करोड़ रुपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कर्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।

1	2	3	4
5.राज्य उत्पाद	21.04	10.91	21.04 करोड़ रुपये में से 5.78 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। 0.42 करोड़ एवं 1.46 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 1.73 करोड़ रुपये और 0.11 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः भूल सुधार/आवेदन पत्रों के पुनर्विचार और प्रतिवादियों की दिवालिया हो जाने के कारण रुक गयी। 0.12 करोड़ रुपये की माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 11.42 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।
6.मनोरंजन कर	10.64	0.42	10.64 करोड़ रुपये में से 1.01 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। न्यायालय द्वारा 0.11 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगायी गयी। शेष 9.52 करोड़ रुपये के बकाये पर की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।
7.माल एवं यात्रियों पर कर	0.91	0.91	0.91 करोड़ रुपये में से 0.11 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह नीलामवाद दायर किये गये। शेष बकाये 0.80 करोड़ रुपये पर की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (अक्तूबर 1998) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 1998)।

अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में सूचनाएँ, यद्यपि संबद्ध विभागों से माँगी गयी (अप्रैल 1998); तथापि मुख्य सचिव सहित विभागाध्यक्षों को अनेक स्मार देने के बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्तूबर 1998)।

1.8. लंबित अपील के मामले

वाणिज्यकर विभाग द्वारा दी गयी सूचना (अक्तूबर 1998) के अनुसार उनके द्वारा प्रशासित बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं अन्य कराधान नियमों के अधीन दायर की गयी अपील के मामले, 1993-94 से 1997-98 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में निपटायी गयी अपील के मामलों की संख्या तथा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या निम्नलिखित हैं-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटायी गयी अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष	कुल मामलों की संख्या से निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता
1993-94	12897	4781	17678	4829	12849	27
1994-95	12849	3801	16650	4572	12078	27
1995-96	12078	3794	15872	4691	11181	30
1996-97	11181	3666	14847	5233	9614	35
1997-98	9614	2498	12112	3406	8706	28

वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा अगस्त 1989 में निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (अपील) को हर महीने कम से कम 60 मामलों का निपटारा करना है। किन्तु निर्देशों के पालन

नहीं होने के फलस्वरूप, जहाँ सभी 12 संयुक्त आयुक्तों (अपील) द्वारा 8640 अपीलों का निपटारा होना चाहिए था, वहाँ निपटायी गई अपीलों की वास्तविक संख्या लक्ष्य से कम थी।

1.9. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, भू-राजस्व, अ-लौह खनन और धातु कर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 15131 मामलों में निहित 1253.41 करोड़ रुपये राशि के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि का पता चला। वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभागों ने 3804 मामलों में अंतर्ग्रस्त 71.22 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिनमें 30.21 करोड़ रुपये से अंतर्ग्रस्त 957 मामले 1997-98 की अवधि में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में बताये गये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में 523.86 करोड़ रुपये के कर प्रबंधन के विभिन्न पक्षों की त्रुटियों को दर्शाते हुए 3 समीक्षाओं सहित 55 कंडिकायें सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में बताये गये अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों में, ये मामले महत्वपूर्ण मामलों को निरूपित करते हैं। इनमें से विभाग/सरकार ने 159.04 करोड़ रुपये अंतर्निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और उसमें मात्र 0.10 करोड़ रुपये की वसूली अक्तूबर 1998 तक हुई। सरकार द्वारा 1.27 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, उनके द्वारा अस्वीकार करने के लिए जो आधार बताये गये वे तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, जिनका उल्लेख संबद्ध कंडिकाओं/समीक्षाओं में किया गया है। अन्य मामलों में किसी प्रकार के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्तूबर 1998)।

1.10. लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

(क) स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रारंभिक अभिलेखों में त्रुटियों से संबद्ध लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है, उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों और उच्चतर विभागीय अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्ष एवं सरकार को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक लंबित ऐसी आपत्तियों का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष शीघ्र निष्पादन के लिए अग्रसारित किया जाता है।

दिसंबर 1997 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जिनका निष्पादन विभाग द्वारा 30 जून 1998 तक नहीं किया गया था, की संख्या विगत 2 वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ नीचे दी जा रही है :-

		जून के अंत तक		
		1996	1997	1998
1.	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8552	9216	9696
2.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	34413	37258	39912
3.	अंतर्ग्रस्त राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में)	2163.53	2296.80	2497.80

जून 1998 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की सख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)
1994-95 और उसके पहले के	8105	31177	1750.46
1995-96	570	2972	318.91
1996-97	658	3655	228.97
1997-98	363	2108	199.46
कुल	9696	39912	2497.80

(ख) निम्नलिखित विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ विशेष रूप से अधिक थीं :-

	विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित		अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड. रुपये में)
			निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या		
1.	राजस्व	भू–राजस्व	5037	15292	1980-81	375.41
2.	वित्त (वाणिज्य कर)	बिक्री. व्यापार आदि पर कर	1108	8659	1982-83	327.07
3.	उत्पाद एंव मद्य- निषेध	राज्य उत्पाद	709	4520	1973-74	591.50
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	447	3954	1975-76	207.20
5.	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	564	3703	1980-81	262.49
6.	जल संसाधान	जल दर	532	1617	1980-81	586.62
7.	ईख	ईख पर कर	163	417	1981-82	77.85
8.	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	198	452	1976-77	47.33

(ग) यद्यपि सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अंदर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, परन्तु दिसंबर 1997 तक निर्गत 3492 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबद्ध प्रथम उत्तर निम्नलिखित विभागों से जून 1998 तक प्राप्त नहीं हुए थे :-

	विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है
	1	2	3	4
1.	राजस्व	भू-राजस्व	2488	1980-81
2.	उत्पाद एवं मद्य-निषेध	राज्य उत्पाद	139	1980-81
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	150	1980-81

1		2	3	4
4.	वित्त (वाणिज्य कर)	(i) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42	1996-97
		(ii)विद्युत शुल्क	128	1980-81
		(iii)माल एवं यात्रियों पर कर	113	1980-81
		(iv)मनोरंजन कर	95	1980-81
5.	राजस्व (निबंधन विभाग)	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	98	1980-81
6.	खनन एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	69	1980-81
7.	ईख	ईख पर कर	56	1981-82
8.	जल संसाधन	जल दर	11	1997-98
9.	वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	103	1981-82
		कुल	3492	

उपर्युक्त स्थिति से सरकार के मुख्य सचिव को जुलाई 1998 में अवगत कराया गया; परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1998)। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपालन संतोषप्रद नहीं होने के फलस्वरूप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गयी।

अध्याय 2

विशेष महत्व के प्रकरण

2.1. कलकत्ता में भूमि/संपत्ति का निबंधन किए जाने के कारण राजस्व की हानि

निबंधन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन जिला, जिसमें महानगर एवं दिल्ली जिला सम्मिलित है, के निबंधक इस अधिनियम में संदर्भित किसी भी दस्तावेज को प्राप्त या निबंधित कर सकता है चाहे वह सम्पत्ति भारत के किसी भी भाग में क्यों न अवस्थित हो। इस नियम में आगे यह भी व्यवस्था है कि जिस दस्तावेज का निबंधन होता है उस दस्तावेज की पृष्ठांकित प्रति और इस आशय का प्रमाणपत्र उन जिलों के निबंधकों को भेजा जायगा जिन जिलों में दस्तावेजों से संबंधित सम्पत्ति का कोई भाग अवस्थित है। निबंधक उसकी प्रति प्राप्त करने के बाद अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

मंत्रिमंडल ने इस प्रावधान को विलोपित करने का निश्चय किया। तदनुरुप 19 नवम्बर 1990 को एक अध्यादेश निर्गत करने हेतु अनुमोदित किया गया। फलत: मंत्रिमंडल में 2 जुलाई 1991 की एक बैठक में उस प्रावधान को अधिनियम से विलोपित करने हेतु अनुमोदन किया।

सरकार ने निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 6) द्वारा अगस्त 1991 में महानगर और दिल्ली जिला में निबंधन के उक्त उपबंधों को विलोपित कर दिया। परिणामत: दस्तावेजों के इस प्रकार के प्रमाणपत्र की वैधता बिहार में उपर्युक्त तिथि से समाप्त हो गई। सरकार ने भी एक परिपत्र जुलाई 1992 में सभी जिलाधिकारियों को यह निदेश देते हुए जारी किया कि किसी भी राजस्व अभिलेख में नगरपालिका प्राधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा परिवर्तन महानगरों और दिल्ली जिला में अगस्त 1991 के बाद निबंधित दस्तावेजों के आधार पर न किया जाय।

(क) कलकत्ता महानगर के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि बिहार के 11831 दस्तावेज जनवरी 1992 से मार्च 1996 की अवधि में बिहार राज्य द्वारा अगस्त 1991 में निबंधन अधिनियम, 1908 के संशोधन के बाद भी कलकत्ता में निबंधित किये गये थे। इस प्रकार विभाग की पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ सहयोग स्थापित करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता के फलस्वरूप जनवरी 1992 से मार्च 1996 की अवधि में 810 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ख) कलकत्ता में निबंधित दस्तावेजों से संबंधित अभिलेखों की देवघर, गया और पटना के नगरपालिका कार्यालयों के राजस्व अभिलेखों के साथ तिर्यक जांच से यह उद्घटित हुआ कि सरकारी अनुदेशों के बावजूद जनवरी 1992 से मार्च 1996 की अवधि के मध्य 42 मामलों में स्वामित्व नामान्तरण (दाखिलखारिज) अभिलेखों में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ग) चार जिलों (देवघर, धनबाद, गया और पटना) की भूमि/संपत्ति की बिक्री जिन्हें कलकत्ता में निबंधित कराया गया था, से संबंधित 5000 मामलों के अभिलेखों की जांच से उद्घटित हुआ कि 4236 मामलों (सिर्फ पटना के 3881 सहित) अर्थात 85 प्रतिशत में भूमि/संपत्ति का मूल्य संबंधित जिला समाहर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दस्तावेजों में दर्शाया गया था। इसके

विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुआ:-

क्रमांक	विवरण	दस्तावेजों की संख्या
1.	दुगुना से कम	763
2.	दुगुना से अधिक किन्तु 5 गुना से कम	1842
3.	5 गुना से अधिक किन्तु 10 गुना से कम	951
4.	10 गुना से अधिक	680
	कुल	4236

इससे 1927 लाख रुपये के राजस्व का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह मामला सरकार को अगस्त 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार कलकत्ता और मुम्बई महानगरों के निबंधकों द्वारा निबंधित बिहार राज्य की सम्पत्ति से संबन्धित "सम्पत्ति हस्तान्तरण के विलेखों का निबंधन" नामक एक प्रतिवेदन बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पटना को महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, बिहार के अर्द्धसरकारी पत्रांक एस आर ए (रिपोर्ट) 97–98/207 दिनांक 27 अगस्त 1998 के साथ भेजा गया था। यह प्रतिवेदन अवैध निबंधन के 13441 मामलों जो संशोधित अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के प्रावधानों के विरुद्ध 1992–93 से 1996-97 की अवधि में निबंधित किये गये थे, पर प्रकाश डालता है। इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

2.2. विक्रय/क्रय राशि के छिपाए जाने के फलस्वरूप अवनिर्धारण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यापारी ने क्रय/बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा अथवा दर्शाने में असफल रहा है अथवा ऐसी क्रय/बिक्री राशि के लिए गलत ब्यौरा दाखिल किया है और इस प्रकार वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल किया है, तो उक्त प्राधिकारी व्यापारी को कर की राशि के अतिरिक्त, छिपायी गयी क्रय/बिक्री राशि पर निर्धारित या निर्धारित की जाने वाली कर की राशि की अधिकतम तिगुनी किन्तु न्यूनतम कर की राशि की समतुल्य राशि दंड के रुप में भुगतान करने का आदेश देगा।

(क) जमशेदपुर के 2 वाणिज्यकर अंचलों के 2 व्यवसायियों के अभिलेखों के साथ आयकर विभाग, जमशेदपुर से प्राप्त विक्रय के आंकड़ों की तिर्यक जांच से उद्घटित हुआ कि उनके द्वारा 3245.06 लाख रुपये मूल्य की विक्रय राशि को अपने लेखा में सामानों को कम लेखापित/नहीं लेखापित करके छिपाया गया था जिसके फलस्वरूप 757.50 लाख रुपये का अर्थदंड सहित 1030.33

लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम	अवधि	आयकर विभाग के अनुसार राशि	निर्धारित की गई बिक्री राशि	छिपायी गयी बिक्री राशि	कर की दर (प्रतिशत)	अतिरिक्त कर, अधिभार सहित कर का अवनिर्धारण	अर्थदंड
1	जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर	1990–91 से 1992-93	2126.60	111.85	2014.75	9	223.62	609.86
2	सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर	1990-91 से 1992-93	1268.82	38.52	1230.31	4	49.21 (केवल कर की राशि)	147.64
				कुल	3245.06		272.83	757.50

(ख) वाणिज्यकर अंचल, आदित्यपुर के एक व्यवसायी के अभिलेखों एवं आयकर विभाग से प्राप्त खरीद के आंकड़ों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने 1990-91 से 1993-94 के दौरान क्रय किए गए सामानों को कम लेखापित/नहीं लेखापित करके 609.23 लाख रुपये की बिक्री राशि को छिपाया था। व्यवसायी ने वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 के लिए शून्य विवरणी दाखिल की थी और एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था (मार्च 1998) जिसमें उसने 1 मार्च 1991 से व्यापार स्थगित किए जाने एवं 1993-94 के दौरान कोई भी क्रय या विक्रय नहीं किए जाने की चर्चा की थी। इस प्रकार व्यवसायी ने जानबूझकर क्रय/बिक्री राशि को छिपाया था, यद्यपि वह 184.41 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 252.03 लाख रुपये कर का देनदार था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	अंचल का नाम	अवधि	आयकर विभाग के अनुसार राशि	निर्धारित की गई बिक्री राशि	छिपायी गयी बिक्री राशि	कर की दर (प्रतिशत)	अवनिर्धारित कर	अर्थदंड
1	आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर	1990–91 से 1993-94	647.32	93.47	609.23*	9	67.62	184.41

* अन्तर की राशि पर 10 प्रतिशत मुनाफा जोड़ने के बाद

मामले सरकार/विभाग को जून 1998 में प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने अतिरिक्त मांग सृजित की (अगस्त एवं सितम्बर 1998)। वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

2.3. ईंटों, पत्थरों आदि पर बिक्री कर का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 और उसके तहत् निर्गत सितम्बर 1990 की अधिसूचना के अंतर्गत कोई भी व्यवसायी, जो ईंटों, पत्थरों और कंकड़ों आदि के विनिर्माता है या किसी भी उद्देश्य के लिए सामानों के स्वामित्व के अंतरण के फलस्वरूप आपूर्ति या वितरण में संलग्न रहता है, तो वह सकल बिक्री राशि से निरपेक्ष कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पुन: कोई भी व्यवसायी जो कर भुगतान करने का उत्तरदायी है, सामानों का क्रय-विक्रय तबतक नहीं कर सकता है जबतक उसके पक्ष में निबंधन की स्वीकृति न मिली हो और उसके पास एक वैध निबंधन प्रमाणपत्र न हो। निबंधन के लिए आवेदन नहीं करने पर वह आरोप्य कर के अतिरिक्त निर्धारित कर की समतुल्य राशि या चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये की दर से, दोनों में जो कम हो, अर्थदंड का देनदार

होगा। पत्थरों की बिक्री पर 9 प्रतिशत और विनिर्दिष्ट वस्तुओं की तरह ईंटों/कंकड़ों पर 8 प्रतिशत की दर से बिक्री कर आरोप्य है।

(क) 15 वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों के साथ 5 जिला खनन कार्यालयों* के अभिलेखों की तिर्यक जांच से उद्घटित हुआ कि ईंटों, पत्थरों और कंकड़ों के 801 निबंधन योग्य व्यवसायियों को न तो निबंधित किया गया और न उन्होने वर्ष 1990-91 से 1996-97 के दौरान 11698.09 लाख रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री पर कोई कर का भुगतान ही किया, जिसके फलस्वरूप 936.75 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 2009.53 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया जैसा कि निम्न तालिका में विवर्णित है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वस्तु	अनिबंधित व्यवसायियों की संख्या	अंचलों की संख्या	खनन कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार निर्मित/प्रेषित वस्तुओं की मात्रा	मूल्य	अतिरिक्त कर सहित कर	अर्थदंड
	1	2	3	4	5	6	7
1	ईंट	656	15	15678 लाख	11255.60	1030.44	894.43
2	पत्थर	135	4	212800 घ० मि०ट०	213.81	21.58	21.57
3	कंकड़	10	4	181459 घ० मि० ट०	228.68	20.76	20.75
	कुल	801			11698.09	1072.78	936.75

(ख) लोहरदगा अंचल में 26 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (कार्य) प्रमंडल, लोहरदगा को 14.38 लाख रुपये मूल्य की ईट और 17.61 लाख रुपये मूल्य के पत्थरों/बोल्डरों की आपूर्ति/बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया गया क्योंकि आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर अंचल में निबंधित नहीं थे। इसके फलस्वरूप 3.08 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 6.17 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर कर निर्धारण पदाधिकारियों (सीतामढ़ी एवं लोहरदगा) ने मामलों की समीक्षा के लिए सहमति जताई।

सरकार को मामले प्रतिवेदित किए गए (अगस्त 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

2.4. पट्टाकृत संपत्ति का नवीकरण नहीं होने/बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि

पट्टा स्वीकृत करने के लिए बने नियमों और पट्टा दस्तावेजों की शर्तों में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार पट्टा की समाप्ति के छः माह पूर्व पट्टाधारियों को ऐसे पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए सूचनायें निर्गत करेगी और पट्टाधारी के लिए आवश्यक है कि वह नवीकरण हेतु पट्टा की समाप्ति के तीन माह पूर्व ही आवेदन करे। यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किए और

* जमशेदपुर, लोहरदगा, मुजफ्फरपुर, पटना और सीतामढ़ी।

पट्टा का नवीकरण कराये पट्टाकृत संपत्ति को रखता है तो उसे अतिक्रामक माना जायेगा और पिछले बंधों एवं शर्तों पर नवीकरण हेतु उसका कोई दावा नहीं रहेगा। जिला समाहर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना खास महल का पट्टाधारी पट्टाकृत संपत्ति का हस्तान्तरण, अभ्यर्पण, शिकमी या परित्याग करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। पुनः, समाहर्ता/उपायुक्त पट्टा के इकरारनामे को भंग या पालन न करने पर उक्त हस्तान्तरित परिसर में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टा समाप्त कर सकता है।

आवासीय उद्देश्यों के लिए नये पट्टों पर सलामी भूमि के वर्त्तमान बाजार मूल्य पर आरोप्य है, जबकि वाणिज्यिक पट्टों पर सलामी भूमि के बाजार मूल्य के साथ लगान का पूँजीकृत मूल्य (वार्षिक लगान का 25 गुना) देय है। नये पट्टों का वार्षिक लगान आवासीय पट्टा और वाणिज्यिक पट्टा के लिए ऐसी सलामी का क्रमशः 50वां और 20वां भाग है।

मूल पट्टे में विहित लगान की दर पर वार्षिक लगान भुगतान नहीं करने पर पट्टाधारी बकाये का दुगुना लगान देने के साथ ही दिसम्बर 1974 तक 6.25 प्रतिशत एवं जनवरी 1975 से 13 प्रतिशत की दर से सूद देने का भी देनदार है। उपर्युक्त विषय एवं उसमें निहित राजस्व प्रभाव पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1977-78, 1989-90 और 1996-97 (कंडिका क्रमशः 5.1., 5.2., और 2.2.) के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) में भी उल्लेख है।

3 अपर समाहर्ताओं* और एक अंचल अधिकारी** के कार्यालयों के वर्ष 1936-37 से 1997-98 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च और जुलाई 1998 के मध्य) से उद्घटित हुआ कि 1936 से 1968 की अवधि के दौरान की गयी 627.13 एकड़ खास महल भूमि की बंदोबस्ती के मामले में या तो पट्टाधारियों ने पट्टे की बंधों एवं शर्तों का उल्लंघन किया या पट्टे मार्च 1998 के पूर्व समाप्त हो गये।

(क) पट्टे की शर्तों का उल्लंघन

495.67 एकड़ पट्टाकृत खास महल भूमि के मामले में 683 पट्टाधारियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के बदले वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने और पट्टाकृत संपत्ति का अनधिकृत विक्रय/हस्तांतरण के कारण पट्टे के बंधों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

क्रमांक	जिले का नाम	अवधि	पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारियों की संख्या	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	निहित राशि (लाख रुपये में)
1.	पटना	1991-92 तक	479	106.35	8994.60
2.	पूर्णिया	1991-92 तक	204	389.32	4766.36
		कुल	683	495.67	13,760.96

* पटना, पुर्णिया और हजारीबाग।

** जुगसलाई (पूर्वी सिंहभूम)।

(ख) पट्टों का नवीकरण नहीं किया जाना

131.46 एकड़ खास महल भूमि के पट्टे 31 मार्च 1998 को समाप्त हो गये थे। पट्टाधारियों द्वारा या तो पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया अथवा पट्टे की समाप्ति के बाद आवेदन किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकतर पट्टाधारी पट्टे के अनुबंध के अनुसार वार्षिक लगान का भुगतान नहीं कर रहे थे। व्यौरा नीचे की तालिका में दिखाया गया है:-

क्रमांक	जिले का नाम	अवधि	समाप्त पट्टा विलेखों की संख्या	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	निहित राशि (लाख रुपये में)
1.	पूर्वी सिहभूम (जुगसलाई अंचल)	1991-92 तक 1992-93 से 1997-98	28 30	12.17 11.42	373.15 349.61
2.	हजारीबाग	1991-92 तक	*	103.67	1583.55
3.	पटना	1991-92 तक 1992-93 से 1997-98	1 16	0.50 3.70	40.27 312.86
		कुल	75	131.46	2659.44

पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन और पट्टों का नवीकरण नहीं कराने के कारण सरकार को 16420.40 लाख रुपये (सलामी 15848.14 लाख रुपये, वाणिज्यिक लगान 448.80 लाख रुपये, आवासीय लगान 119.01 लाख रुपये, लगान का दुगुना बकाया 1.97 लाख रुपये एवं ब्याज 2.48 लाख रुपये) के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और जुलाई 1998 के मध्य), अंचल अधिकारी, जुगसलाई (पूर्वी सिहभूम), अपर समाहर्ता, पूर्णिया और खास महल पदाधिकारी, हजारीबाग ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही, जबकि अपर समाहर्ता, पटना ने कहा कि पट्टे को रद्द करने का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी को भेजा जा चुका था और समाप्त हुए पट्टों के नवीकरण की कार्रवाई की जा रही थी।

सरकार को मामले प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

2.5. सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो या किसी अतिक्रमण को जारी रखने का उत्तरदायी हो तो बिहार सरकार भू-सम्पत्ति (खास महल) नियमावली, 1953 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिक्रमण को खाली करने या वैसी भूमि के उपयोग के लिए लगान और क्षति के भुगतान करने पर उस व्यक्ति को वैसी सार्वजनिक भूमि बंदोवस्त करने हेतु सूचना तामील की जा सकती है। तदनुसार, व्यापारिक/आवासीय उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने के कारण हुई क्षति के मामले

* पट्टाधारियों की कुल संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई।

में वैसी भूमि पर वर्त्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सलामी के साथ उस सलामी का 20वां/50वां भाग क्रमशः व्यापारिक/आवासीय लगान के रुप में भुगतेय है।

5 जिलों के 6 राजस्व अंचलों* में यह देखा गया (जनवरी 1997 और अप्रैल 1998 के मध्य) कि आवासीय उद्देश्यो से मकानों का निर्माण और विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापित किए जाने के कारण 758.92 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमित थी। जुगसलाई अंचल के मामले में यद्यपि खाली करने का आदेश पारित किया गया था, अतिक्रमित भूमि न तो खाली की गयी और न ही बंदोबस्त तथा अन्य 5 अंचलों के मामले में अतिक्रमित भूमि के नियमन या बेदखली के लिए कोई कार्रवाई ही की गयी थी। इसके फलस्वरूप 4081.47 लाख रुपये की सलामी, व्यापारिक लगान और आवासीय लगान (सलामी 4002.51 लाख रुपये, व्यापारिक लगान 8.86 लाख रुपये और आवासीय लगान 70.10 लाख रुपये) का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इस बताये जाने पर (जनवरी 1997 और अप्रैल 1998 के मध्य) विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सहमति जताई।

मामले सरकार को (अप्रैल 1997 और जुलाई 1998 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

2.6. सरकारी आवासों से भाड़े की प्राप्तियों में अनियमिततायें

सरकारी आवास आबंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 और उसके तहत् बनाये गये उप-नियमों (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत, विभाग/सरकार द्वारा निर्धारित प्रामाणिक भाड़ा/रियायती भाड़ा के भुगतान करने की शर्त पर विभिन्न समूहों (पूलों) के सरकारी रिहाइसी आवासों का आबंटन उपयुक्त व्यक्तियों को किया जाता है बशर्ते कि सरकारी आवास पर भाड़ा के भुगतान से विशेष रुप से छूट प्रदान न की गई हो।

पटना में अवस्थित सरकारी रिहाइसी आवासों से प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुआ:-

(क) सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा

सरकारी आवास आबंटन नियमावली के प्रावाधानों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत तरीके से सरकारी आवास पर दखल रखता है तो वह दाण्डिक भाड़ा (पेनल रेन्ट) यानि वैसे दखल की अवधि के लिए प्रामाणिक भाड़ा का पंद्रह गुना का देनदार होगा।

3 भवन प्रमंडलों (केन्द्रीय, पाटलिपुत्र एवं पटना पश्चिम) की नमूना जाँच (सितम्बर 1998) के क्रम में यह देखा गया कि 1990-91 से 1997-98 की अवधि में बिना भाड़ा भुगतान किये 123 व्यक्ति सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे थे। इनमें से 67 राज्य विधान मंडल/संसद के माननीय सदस्य/राज्य उपक्रमों के अध्यक्ष एक या एकाधिक आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे थे। पुनः, 6 सरकारी आवास एक राजनैतिक दल के पदधारियों द्वारा अनधिकृत रूप से अभिग्रहित थे।

* बेरमो (बोकारो), दुर्गावती (कैमूर-भभुआ), गोमिया (बोकारो), जुगसलाई (पूर्वी सिंहभूम), कुण्डहित (दुमका) और सरैया (मुजफ्फरपुर)।

इसके फलस्वरूप दाण्डिक भाड़ा सहित 49.56 लाख रुपये के किराये की वसूल नहीं की गयी।पर अनधिकृत दखल किया गया था। इनमें से 67 राज्य विधानमंडल/संसद के माननीय सदस्यों/राज्य उपक्रमों के अध्यक्षों द्वारा एक या एकाधिक आवासों पर अनधिकृत रुप से दखल किया गया था। फिर, 6 मामलों में एक राजनैतिक दल के पदधारियों द्वारा सरकारी आवासों पर अनधिकृत रुप से दखल किया गया था। इसके फलस्वरूप दाण्डिक भाड़ा सहित 49.56 लाख रुपये के किराये की वसूली नहीं की गयी।

(ख) सेवा-निवृत्ति पर सरकारी आवासों को खाली नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

सरकारी आवास आबंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी आबंटित आवास सेवा-निवृत्ति के 2 माह बाद तक सामान्य प्रामाणिक भाड़ा का भुगतान कर रख सकता है। विशेष परिस्थिति में दुगुने प्रामाणिक भाड़ा की दर पर भाड़ा का भुगतान कर आगे तीन महीने तक वह इस सुविधा का उपभोग कर सकता है और उसके बाद उसे अनधिकृत अधिभोक्ता (दखलकार) माना जायेगा तथा उससे बाजार एवं दाण्डिक दर पर भाड़ा वसूलनीय होगा।

3 भवन प्रमंडलों (केन्द्रीय, पाटलिपुत्र एवं पटना पश्चिम) के अभिलेखों की नमूना जाँच के क्रम में यह देखा गया कि 50 सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा–निवृत्ति के पांच महीने की समाप्ति के बाद भी मार्च 1995 और मार्च 1998 की अवधि के मध्य सरकारी आवास खाली नहीं किये गये थे और न उनसे सामान्य या दुगुना या दाण्डिक भाड़ा ही वसूला गया था। इसके फलस्वरूप 5.50 लाख रुपये के भाड़े की हानि हुई।

(ग) लम्बित पावना

रेन्ट एवं सेस प्रमंडल, पटना द्वारा संधारित भाटक पंजी की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 61 व्यक्तियों के विरुद्ध 31.55 लाख रुपया बकाया था। राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

(घ) भाड़ा का विलम्बित भुगतान

नियमानुसार भाड़े की वसूली मासिक आधार पर करनी है। तथापि, रेन्ट एवं सेस प्रमंडल, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 97 मामलों में आंबटियों ने 10.81 लाख रुपये भाड़े का भुगतान 3 महीने से लेकर 18 वर्षों के विलंब से किया और मासिक आधार के बदले एकमुश्त भुगतान किया गया। ऐसे मामलों में ब्याज लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रामाणिक भाड़ा निर्धारित नहीं किया जाना

सरकार ने 13 पैसे प्रति वर्गफीट या विगत प्रामाणिक भाड़े का 1.5 गुना, जो भी कम हो, की दर से सभी सरकारी आवासों का प्रामाणिक भाड़ा संशोधित किया (नवम्बर 1990)। दिसम्बर माह 1990 तथा उससे आगे के वेतन विपत्र से प्रामाणिक भाड़ा की वसूली के लिए भाड़े का यह संशोधन 30 नवम्बर 1990 के पूर्व किया जाना था।

पटना भवन प्रमंडल के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्‌घटित हुआ कि निम्नलिखित सरकारी आवासों का उनके निर्माण के समय से ही प्रामाणिक भाड़ा नियत नहीं किया गया था (अगस्त 1998)।

(i) आर. वी. एस. नर्सेज ग्रेड ए छात्रावास, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

(ii) लोक स्वास्थ्य संस्थान, मुरादपुर, पटना का रिहाइशी आवास।

प्रामाणिक भाड़ा नियत नहीं किए जाने के फलस्वरूप दिसम्बर 1990 से मार्च 1998 तक 8.97 लाख रुपये के किराये की वसूली नहीं की गई।

इसे बताये जाने पर (अगस्त एवं सितम्बर 1998 के मध्य) विभाग ने मामलों की समीक्षा के लिए सहमति जताई (सितम्बर 1998)। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

अध्याय 3

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.	21
राज्य के बाहर से प्राप्त वस्तुओं पर बिक्री कर का अपवंचन	3.2.	21
बिक्री राशि का छिपाया जाना	3.3.	27
केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत अवनिर्धारण	3.4.	28
गलत दरों से कर का लगाया जाना	3.5.	29
कर की संगणना में भूल	3.6.	30
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	3.7.	30
अधिभार का नहीं लगाया जाना	3.8.	31
छूट की गलत स्वीकृति	3.9.	31
कालबाधित कर निर्धारण के कारण राजस्व की हानि	3.10.	32
कटौती की गलत स्वीकृति	3.11.	32
कर की रियायती दरों की गलत अनुमति	3.12.	33

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

अध्याय 3

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

3.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न बिक्री कर अंचलों में कर निर्धारण एवं वापसी (रिफंड) संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच से 797 मामलों में 12753.31 लाख रुपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	सकल बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	79	2237.94
2.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	122	698.69
3.	कर से अनियमित छूट	236	687.12
4.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	96	296.08
5.	अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	43	289.34
6.	कर की रियायती दरों पर अनियमित स्वीकृति	57	158.51
7.	कर की अधिक उगाही पर अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	20	16.93
8.	प्रतितुलन (सेट ऑफ) की अनियमित स्वीकृति	4	3.83
9.	अन्य मामले	140	8364.87
	कुल	797	12753.31

वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 51 मामलों में अंतर्ग्रस्त 310.39 लाख रुपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया जिसमें 7.29 लाख रुपये का एक मामला वर्ष 1997-98 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में बताए गए थे।

"राज्य के बाहर से प्राप्त वस्तुओं पर बिक्री कर का अपवंचन" पर की गयी समीक्षा एवं दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 5369.06 लाख रुपये के कर प्रभाव निहित हैं, अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं :-

3.2. राज्य के बाहर से प्राप्त वस्तुओं पर बिक्री कर का अपवंचन

3.2.1. प्रस्तावना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के व्यवसायियों द्वारा राज्य के बाहर से या तो (i) अपने किसी व्यापारिक स्थल या अपने अभिकर्ता या प्रधान या अन्य तरह से बिना कर भुगतान के उस दावे के प्रमाणस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'एफ'/बिक्री नोट निर्गत कर भंडार स्थानान्तरण द्वारा अथवा (ii) घोषणा प्रपत्र 'सी' निर्गत कर अपने क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर भुगतान के पश्चात वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। तथापि, ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर राज्य के कानून के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर से बिहार में कर आरोप्य है।

बिक्री कर का अपवंचन या तो वैसे व्यवसायी द्वारा जो कर भुातान के लिए जिम्मेदार होते हुए भी अपने को अनिबंधित रखकर व्यवसाय करता है अथवा विक्रय/क्रय के छिपाव, सामानों का गलत वर्गीकरण,जाली और अवैध घोषणा प्रपत्रों आदि के उपयोग द्वारा किया जाता है।

3.2.2. संगठनात्मक ढाँचा

वाणिज्यकर विभाग में घोषणा प्रपत्रों की छपाई, प्राप्ति तथा बिहार के प्रत्येक अंचल में वितरित करने सहित अधिनियमों एवं नियमों के परिपालन के लिए शीर्ष स्तर पर वाणिज्यकर आयुक्त उत्तरदायी हैं। उन्हें मुख्यालय में (सचिवालय स्तर पर) वरीय संयुक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त तथा सहायक वाणिज्यकर आयुक्त का सहयोग प्राप्त होता है। राज्य 11 वाणिज्यकर प्रमंडलों में विभाजित है और प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त होते हैं, जो घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं अपने क्षेत्र के अंचलों में निर्गमन के लिए उत्तरदायी हैं। पुनश्च, प्रमंडल 75 वाणिज्यकर अंचलों में विभाजित है जिनमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त होते हैं, जिन्हें निबंधन, कर निर्धारण और व्यवसायियों को घोषणा प्रपत्र वितरण करने में सहायक आयुक्त एवं वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावे वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो तथा वाणिज्यकर उपायुक्त, निगरानी एवं अनुश्रवण (मोनिटरिंग) भी वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार को सहयोग देते हैं।

3.2.3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ'/बिक्री नोटों/बीजकों के विरुद्ध राज्य के बाहर से हस्तान्तरण/क्रय पर बिक्री कर के अधिरोपण और भुगतान की प्रणाली की प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु मई 1998 और जुलाई 1998 के मध्य एक समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान बिहार में 39 अंचलों में खाद्य तेल, सरसों तेल, बिस्कुट, कागज, एसबेस्टस, भारत निर्मित विदेशी शराब, सीमेंट, बैटरी, डिटरजेंट एवं साबुन, टायर एवं ट्यूब, दवाऐं, रासायनिक पदार्थ तथा पेंट सहित वनस्पति के 243 बड़े व्यवसायियों से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्रों की नमूना जाँच की गई तथा 1991-92 से 1995-96 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश (17), पश्चिम बंगाल (19), पंजाब (14) और राजस्थान (18) के 68 विनिर्माताओं के अभिलेखों से तिर्यक जाँच की गई।

3.2.4. विशिष्टतायें

(i) 26 वाणिज्यकर अंचलों में राज्य के बाहर से लायी गयी वस्तुओं को लेखापित नहीं किये जाने के कारण 55 व्यवसायियों द्वारा 2400.67 लाख रुपये की बिक्री राशि को छिपाये जाने के फलस्वरूप 677.66 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 925.89 लाख रुपये के कर का अपवंचन हुआ।

[कंडिका 3.2.6.(i)]

(ii) 23 वाणिज्यकर अंचलों में 44 व्यवसायियों द्वारा 4133.21 लाख रुपये की बिक्री राशि को कम लेखापित किये जाने के फलस्वरूप 1052.81 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 1438.78 लाख रुपये का कम कर लगाया गया।

[कंडिका 3.2.6.(ii)]

(iii) 11 वाणिज्यकर अंचलों में 18 हस्तान्तरिती व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में 1045.89 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की कम प्राप्ति दर्शायी। छिपाई गई राशि पर आरोप्य 314.11 लाख रुपये का अर्थदंड नहीं लगाया गया।

[कंडिका 3.2.7.]

(iv) 18 अंचलों में 33 व्यवसायियों ने चुराये गये/अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों पर 4296.47 लाख रुपये का सामान क्रय किया जिसके फलस्वरूप 1265.56 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 1729.54 लाख रुपये के कर का अपवंचन हुआ।

[कंडिका 3.2.8 (i) एवं (ii)]

(v) विभाग द्वारा बाजार सर्वेक्षण करने में असफल रहने के कारण 17 अनिबंधित/फर्जी व्यवसायियों की 1255.22 लाख रुपये की बिक्री राशि कर निर्धारण से वंचित हुई जिसके फलस्वरूप 15.29 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 153.50 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

[कंडिका 3.2.9.]

3.2.5. प्रपत्रों के निर्गमन करने/अभिलेखों के रख–रखाव के संबंध में सरकारी आदेशों का पालन नहीं होना

घोषणा प्रपत्रों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के निर्गमन करने और अभिलेखों के रख-रखाव किये जाने में कुछ शर्तों और निर्देशों के पालन हेतु फरवरी 1986 एवं अगस्त 1990 में निर्देश जारी किया। तथापि, ये निर्देश बिक्री नोट/बीजकों के उपयोग के सम्बन्ध में मौन थे। ये निम्नवत् हैं:-

(i) प्रपत्रों को जारी करने से पूर्व पूरी तरह से भरा जाना है तथा खाली प्रपत्र किसी भी मामले में जारी नहीं करना है।

(ii) वस्तुओं के मूल्य प्रपत्र के संबद्ध कॉलम में लाल स्याही से भरा होना चाहिए जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

(iii) वैसे अधिप्रमाणित प्रपत्रों के विवरण स्टॉक-पंजी में हस्तान्तरितक से सम्बन्धित नाम, पता, वस्तुओं का नाम, वस्तु का मूल्य आदि भरा जाना चाहिए।

(iv) जब तक सामानों की बिक्री नहीं हो गई हो और कर वसूली सम्बन्धी सूचना पंजी/कर निर्धारण संचिका में अंकित नहीं कर लिया गया हो, तब तक कोई प्रपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए।

(v) कर निर्धारण के समय, पूर्व में निर्गत और निर्गत किये जाने वाले घोषणा प्रपत्रों के वर्ष-वार और हस्तान्तरितक–वार उपयोग हस्तान्तरिती से प्राप्त कर जाँच की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये 243 व्यवसायियों में से 168 मामलों में उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया और बिक्री नोट/बीजकों के आधार पर वस्तुओं के स्थानान्तरण की तिर्यक जाँच के तंत्र के अभाव के फलस्वरूप 45.64 करोड़ रुपये का अपवंचन हुआ जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.6. बिक्री राशि का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अपने सभी लेन-देन से संबंधित एक सही और पूर्ण विवरणी

दाखिल करेगा, जिसमें असफल होने पर, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी की कोई बिक्री राशि कर निर्धारण से छूट गया है, तो वह, कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की तिथि से आठ वर्षों के भीतर ऐसी बिक्री राशि से संबंधित व्यवसायी से प्राप्य कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है। व्यवसायी छिपायी गयी बिक्री राशि पर अधिकतम, निर्धारित कर की राशि की तिगुनी राशि तक किन्तु न्यूनतम, निर्धारित कर की समतुल्य राशि अर्थदंड के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। व्यवसायी साधारण कारावास जिसे छ: महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित भी होगा।

(i) बिहार के 26 वाणिज्यकर अंचलों के 55 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की उत्तर प्रदेश (7), पश्चिम बंगाल (9), पंजाब (5) तथा राजस्थान (7) के 28 विनिर्माताओं के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि 1991-92 से 1995-96 की अवधि में प्रपत्र 'सी' के आधार पर खरीदे गये तथा प्रपत्र 'एफ'/बिक्री नोटों/बीजकों के आधार पर स्थानान्तरित 2400.67 लाख रुपये के सामानों की प्राप्ति को लेखापित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 677.66 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 925.89 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वस्तु के नाम	व्यवसायियों की संख्या	अंचलों के नाम	छिपाया गया क्रय	कर (अर्थदंड सहित)
1.	वनस्पति/खाद्य तेल/तोरी तेल/ रिफाइन तेल	26	आदित्यपुर, धनबाद, हजारीबाग, हाजीपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कोडरमा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना दक्षिणी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्व, पटना सिटी पश्चिमी, राँची विशेष, सिंहभूम, सारण, तेघरा	1944.01	803.67
2.	भारत निर्मित विदेशी शराब (आई एम एफ एल)	10	बेगुसराय, भागलपुर, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, तेनुघाट	68.72	77.24
3.	सरसों तेल	13	दरभंगा, गिरिडीह, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पूर्वी,पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, तेघरा,तेनुघाट	354.56	29.07
4.	एसबेस्टस	1	बोकारो	6.72	2.47
5.	कागज	1	पटना दक्षिणी	6.19	1.79
6.	बैटरी	2	बेगुसराय, हजारीबाग	18.93	10.96
7.	साबुन/ डिटरजेंट	1	गिरिडीह	0.84	0.31
8.	पेंट	1	तेघरा	0.70	0.38
	कुल	55		2400.67	925.89

लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया कि 55 व्यवसायियों में से वनस्पति/खाद्य तेल और सरसों तेल से सम्बन्धित 9 मामलों में छिपायी गयी बिक्री राशि 50 लाख रुपये से अधिक थी।

(ii) 23 वाणिज्यकर अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि घोषणा प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ'/बिक्री नोट/बीजकों के विरुद्ध 44 व्यवसायियों ने 1991-92 से 1995-96 की अवधि से संबंधित बिक्री राशि को अपने लेखा में, राज्य के बाहर से प्राप्त 4133.21 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं को कम लेखापित कर, छिपाया। इसके फलस्वरूप 1052.81 लाख रुपये के अर्थदंड सहित

1438.78 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

क्रमांक	वस्तु का नाम	व्यवसायियों की संख्या	अंचलो के नाम	छिपायी गयी बिक्री राशि	कर (अर्थदंड सहित)
1.	वनस्पति/खाद्य तेल/रिफाइन तेल	14	बेगुसराय,भागलपुर,हाजीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, राँची विशेष, सीवान, तेघरा	1230.91	509.22
2.	सरसों तेल	10	भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, सीतामढ़ी	941.66	82.22
3.	बिस्कुट	2	धनबाद नागरीय, पटना सिटी पश्चिमी	1106.35	457.69
4.	भा. नि.वि.श.	5	चाईबासा,हजारीबाग, जमशेदपुर, शाहाबाद, सीवान	64.73	73.11
5.	पेंट	2	जमशेदपुर, सिंहभूम	40.63	22.03
6.	बैटरी	2	जमशेदपुर, पटना पश्चिमी	130.36	59.33
7.	टायर एवं ट्यूब	2	जमशेदपुर, तेनुघाट	131.61	54.42
8.	दवाऐं	1	पटना विशेष	8.87	2.54
9.	सिमेंट	1	पटना उत्तरी	40.40	20.06
10.	डिटरजेंट/ साबुन	3	धनबाद नागरीय, गिरिडीह, कोडरमा	21.85	8.12
11.	रसायन	1	तेनुघाट	358.24	133.37
12.	कागज	1	राँची विशेष	57.60	16.67
	कुल	44		4133.21	1438.78

लेखा परीक्षा में आगे यह देखा गया कि 44 व्यवसायियों में से वनस्पति, बिस्कुट, टायर एवं ट्यूब, पेंट,कागज, बैटरी, सरसों तेल एवं रसायन से संबंधित 17 मामलों में छिपायी गई बिक्री राशि 50 लाख रुपये से अधिक थी।

3.2.7. व्यवसायी द्वारा विवरणी में बिक्री राशि को सम्मिलित नहीं किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि व्यवसायी ने कर देय राशि को घटाने के उद्देश्य से किसी क्रय या विक्रय को छिपाया है तो वह सुनवाई के लिए उचित अवसर दिये जाने के बाद, व्यवसायी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धार्य कर की राशि के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर निर्धार्य राशि की अधिकतम तिगुनी किन्तु कर के बराबर की राशि से कम नहीं, अर्थदंड के रुप में भुगतान करने का आदेश देंगे। अन्य दंडों के अलावा अर्थदंड भी कर निर्धारण के पूर्व आरोपित करना है।

11 वाणिज्यकर अंचलों* में 18 हस्तान्तरिती व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में 1045.89 लाख रुपये मूल्य के वनस्पति एवं एसबेस्टस की प्राप्ति को नहीं दर्शाया, जिसे उत्तर प्रदेश (4), पंजाब (2), पश्चिम बंगाल (3) तथा राजस्थान (1) के 10 विनिर्माताओं ने घोषणा प्रपत्र "एफ"/बिक्री नोट/बीजकों के विरुद्ध स्थानांतरित किया था। छिपायी गयी बिक्री राशि पर 314.11 लाख रुपये का अर्थदंड भी कर निर्धारण के पूर्व देय था।

* भागलपुर, बेगुसराय, चाईबासा,धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, पाटलिपुत्र, राँची विशेष, समस्तीपुर, सिहभूम और तेघरा।

3.2.8. चुराये गये/अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियम, 1957 के अंतर्गत यदि कोई घोषणा प्रपत्र गुम, नष्ट या चोरी हो जाता है, तो इस क्षति, बर्बादी या चोरी की सार्वजनिक सूचना निर्गत करना अनिवार्य है। तदुपरांत, आयुक्त अधिसूचना द्वारा इन प्रपत्रों को ऐसी तिथि से जो अधिसूचना में अंकित हो, अवैध घोषित कर सकता है। ऐसे घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध स्थानांतरण द्वारा प्राप्त की गयी वस्तुओं पर कर के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर निम्नतम आरोप्य कर के समतुल्य तथा अधिकतम तिगुना तक अर्थदंड आरोप्य होगा। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अतर्गत व्यवसायी को अधिकतम एक हजार पाँच सौ रुपये जुर्माना के साथ न्यूनतम छः महीने का कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का दंड भी लगेगा।

1983 में वाणिज्यकर विभाग में एक अन्वेषण ब्यूरो (आई० बी०) की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य था, वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त के अधीन कार्य करता था। प्रत्येक प्रमंडलीय स्तर पर एक आई० बी० शाखा वाणिज्यकर उपायुक्त के अधीन कार्य करता था। यह अन्वेषण ब्यूरो आवक और जावक वस्तुओं की आवाजाही के अध्ययन तथा घोषणा-प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' की सत्यता की जॉच, जो अन्तर्राज्य व्यापार और वाणिज्य और राज्य में रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा अनाम वस्तुओं के मामले में कर अपवंचन के मुख्य स्रोत माने गये थे, के लिए उत्तरदायी था। ब्यूरो द्वारा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' का किया गया सत्यापन, जाँच के परिणाम, किया गया पुनः कर निर्धारण, छापामारी किये गये व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या, अभिलेखों/मालों की जब्ती की समेकित स्थिति की मांग दिसम्बर 1997 तथा जून 1998 में की गई थी, जिसे विभाग द्वारा नहीं दिया गया (अक्तूबर 1998)।

तथापि, लेखापरीक्षा में तिर्यक जाँच के दौरान पाये गये कुछ रोचक मामले नीचे दिये गये है :-

(i) 17 अंचलों* में 31 व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश (10), पश्चिम बंगाल (7), राजस्थान (7), तथा पंजाब (1) के विनिर्माताओं से स्थानान्तरण द्वारा 2817.94 लाख रुपये मूल्य के वनस्पति/खाद्य तेल, सरसों तेल, कागज तथा एसबेस्टस अवैध/अनधिकृत घोषित किये गये 59 प्रपत्र 'सी' एवं 179 प्रपत्र 'एफ' के विरुद्ध प्राप्त किया। व्यवसायियों पर 818.01 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 1117.89 लाख रुपये का कर आरोप्य था। इसके अतिरिक्त, वे एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार पॉच सौ रुपये जुर्माना के भी देनदार थे।

(ii) पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना उत्तरी अंचलों के 2 व्यवसायियों ने वर्ष 1992-93 से 1993-94 के दौरान चुराये गये/जाली प्रपत्र एफ/बिक्री नोटों के आधार पर 1478.53 लाख रुपये मूल्य का वनस्पति राज्य के बाहर से लाया और उसकी कोई विवरणी दाखिल नहीं की। इसके फलस्वरूप 611.65 लाख रुपये के कर (447.55 लाख रुपये के अर्थदंड सहित) की हानि हुई।

---

* भागलपुर, दलसिंगसराय, गया, गिरिडीह, जमशेदपुर, कोडरमा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना उत्तरी, पटना विशेष, पटना दक्षिणी, रक्सौल, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, सिहभूम, सिवान और तेघरा।

3.2.9. अनिबंधित व्यवसायियों/फर्जी निबंधन संख्या वाले व्यवसायियों को की गयी बिक्री तथा बाजार सर्वेक्षण के अभाव के कारण अनुवर्ती कर का नहीं लगाया जाना

अप्रैल 1983 और अप्रैल 1990 में निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून की अवधि के दौरान प्रत्येक अंचल में अधिनियमों के अंतर्गत निबंधन करने हेतु अनिबंधित व्यवसायियों को खोज निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी वर्ग का व्यवसायी करारोपण से बचा तो नहीं है, बाजार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 9 अंचलों* के क्षेत्र में पड़ने वाले 17 अनिबंधित हस्तान्तरितियों/परेषितियों ने वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश (3), पश्चिम बंगाल (4) तथा राजस्थान (4) के विनिर्माताओं से बिक्री नोटों/बीजकों के विरुद्ध स्थानान्तरण द्वारा वनस्पति तथा सरसों तेल प्राप्त किया। विभाग द्वारा उचित बाजार सर्वेक्षण नहीं करने के फलस्वरूप 1255.22 लाख रुपये की बिक्री राशि कर निर्धारण से वंचित रही और परिणामत:15.29 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 153.50 लाख रुपये के कर का अपवंचन हुआ।

3.2.10. वस्तुओं का गलत वर्गीकरण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि किसी सूचना के आधार पर विहित प्राधिकारी संतुष्ट हैं और विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी निबंधित व्यवसायी की कोई बिक्री राशि पर, किसी भी अवधि के लिए, कर निर्धारण आरोप्य दर से कम दर पर हुआ है तो वह वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी से प्राप्य कर की राशि का पुनर्निर्धारण कर सकता है।

दरभंगा अंचल के एक व्यवसायी के मामले में 1991-92 से 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त 20.63 लाख रुपये मूल्य के मोटर ट्यूब की बिक्री पर वस्तुओं को ठेलागाड़ी तथा बैलगाड़ी के ए०डी०भी०** ट्यूब मानते हुए करारोपण से छूट दी गई। इसके फलस्वरूप 2.19 लाख रुपये के कर (अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित) का कम आरोपण हुआ।

समीक्षा के उपर्युक्त निष्कर्ष विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.3. बिक्री राशि का छिपाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यापारी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत ब्यौरा दाखिल किया है और इस प्रकार वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल किया है, तो उक्त प्राधिकारी व्यापारी को कर की राशि के अतिरिक्त छिपायी गयी बिक्री राशि पर निर्धारित होने वाले कर का अधिकतम तीन गुना तथा न्यूनतम कर की समतुल्य राशि दंडस्वरूप भुगतान करने का निर्देश देगा। यही प्रावधान केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण में भी लागू है।

---

* दानापुर, गोपालगंज, जमशेदपुर, मोतिहारी, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, शाहाबाद, सीतामढ़ी और सिवान।

** पशु चालित वाहन।

9 वाणिज्यकर अंचलों* की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्तूबर 1996 और दिसम्बर 1997 के मध्य) कि 15 व्यवसायियों द्वारा 532.55 लाख रुपये मूल्य की खरीद/बिक्री राशि को छिपाया गया। इसके फलस्वरूप 220.13 लाख रुपये के कर (अतिरिक्त कर, अधिभार तथा न्यूनतम आरोप्य अर्थदंड सहित) का अवनिर्धारण हुआ।

उपर्युक्त मामले विभाग को (अक्तूबर 1996 और दिसम्बर 1997 के मध्य) बताये गये। विभाग ने 3 मामलों में 21.97 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की (अगस्त 1997 और अप्रैल 1998) और अन्य मामलों में कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और मार्च 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.4. केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं बिक्री राशि) नियम, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को, अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के क्रम में, सरकार या निबंधित व्यवसायी को क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट श्रेणी या श्रेणियों की वस्तुओं की बिक्री करने पर 4 प्रतिशत की दर से कर देना होगा, बशर्ते ऐसी बिक्री क्रमशः विहित प्रमाणपत्र तथा प्रपत्र 'डी' एवं 'सी' घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित हो। वस्तुओं (घोषित वस्तुओं के अलावा) की अन्तर्राज्य बिक्री पर, जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं हैं, दस प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, से कर देय है। घोषित वस्तुओं की बिक्री पर जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं हैं, सम्बन्धित राज्य के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर लागू दर की दुगुनी दर से, कर देय है। न्यायिक निर्णय** के अनुसार राज्य अधिनियम के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर एवं अन्य कर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वैसी अन्तर्राज्य बिक्री पर भी देय है।

5 अंचलों (चाईबासा, गया, मुंगेर,सिन्दरी और सिंहभूम) में 6 व्यवसायियों द्वारा 1988-89 से 1992-93 की अवधि में 6917.23 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं थी तथा कम दरों से कर लगाया गया था। इसके फलस्वरूप 246.82 लाख रुपये के केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जनवरी और नवम्बर 1997 के मध्य) विभाग ने 2 मामले में 9.23 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की (जुलाई और अक्तूबर 1997 के मध्य) तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध मे कहा कि मामलों की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1997 और फरवरी 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

---

* दानापुर, गया, जमशेदपुर, झरिया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी और पटना उत्तरी।

** श्री सत्यनारायण स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यकर पदाधिकारी (1988) 68 एस.टी.सी. 95 (एपी)।
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बनाम बिहार राज्य (1985) 58 एस. टी. सी. 61 (पटना)।

3.5. गलत दरों से कर का लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा एवं ऐसी शर्तों और बंधों के साथ जैसा कि यह लागू करेगी, किसी श्रेणी या प्रकार की वस्तुओं, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित हो, के सम्बन्ध में कर की उच्चतर दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं या न्यूनतर दर दो प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित कर सकती है। न्यायिक निर्णय* के अनुसार पैकिंग (डिब्बा बन्द) की गई वस्तुओं की बिक्री के अनुबंध में, ऐसी वस्तुओं के विक्रय मूल्य में पैकिंग सामग्री का मूल्य भी सम्मिलित होगा। यह भी न्यायिक निर्णय** है कि औषधि मिश्रित (मेडिकेटेड) केश तेल एक कान्तिवर्द्धक (कॉसमेटिक) वस्तु है न कि दवा। किसी अधिसूचना के अभाव में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यवसायी द्वारा भुगतेय बिक्री कर या क्रय कर उसकी विक्रय राशि पर 8 प्रतिशत की दर से आरोपित होगा।

10 अंचलों*** के 14 मामले में 3549.46 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर गलत दरों से कर लगाये जाने के फलस्वरूप 199.58 लाख रुपये का कर (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे की तालिका में वर्णित है :-

वस्तु का नाम	बिक्री का कुल मूल्य (लाख रुपये में)	कर की दर (प्रतिशत)		कर का कम आरोपण (लाख रुपये में)
		आरोप्य	आरोपित	
रेलवे वैगन	2740.95	8	4	141.05
पोटेबुलस्पिरिट	239.10	25	15	29.65
प्लास्टिक बैग	296.48	11	4	13.13
हाई स्पीड डीजल आयल	120.23	14	9	6.58
पाम आयल	49.73	9	2	4.32
मेडिकेटेड घृत कुमारी तेल	21.76	15	7	2.17
साइकिल पार्ट्स	16.04	8	4	0.96
ब्रिटानिया केक	12.62	8	4	0.96
ऑटो रिक्शा (टेम्पो) के टायर एवं ट्यूब	49.90	9	8	0.55
गनी बैग	2.65	11	4	0.21
कुल	3549.46			199.58

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1996 और दिसम्बर 1997 के मध्य), विभाग ने कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अक्तूबर 1997 और अप्रैल 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

* यमुना फ्लावर एवं आयल मिल्स बनाम बिहार सरकार (1987) 65 एस.टी.सी. 462 एस.सी.बी.आर.एल.जे. 146।

** दण्डवाला बनाम गुजरात राज्य 88 एस.टी.सी. 459 (1993) गुजरात।

*** बाढ़, गोपालगंज, झरिया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पलामू, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, सिंहभूम और सिवान।

3.6. कर की संगणना में भूल

6 अंचलों में 6 व्यवसायियों द्वारा देय कर की संगणना में भूल के फलस्वरूप 34.58 लाख रुपये का कम कर लगा जैसा कि नीचे की विवरणी में दिया गया है :-

अंचल का नाम	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
जमशेदपुर	1	26.84
पाटलिपुत्र	1	2.01
नवादा	1	2.00
तेनुघाट	1	1.52
पटना सिटी पूर्वी	1	1.12
चक्रधरपुर	1	1.09
कुल	6	34.58

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और दिसम्बर 1997 के मध्य), विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और मार्च 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.7. वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बीमा विभाग), नई दिल्ली ने मार्च 1974 में निर्गत अधिसूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया कि 'स्ट्रॉण्ड वायर' केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (iv) में परिभाषित "आयरन एण्ड स्टील" की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। अत: एच० टी० स्ट्रॉन्ड वायर एक घोषित वस्तु नहीं है बल्कि यह कर के सामान्य दर पर आरोप्य एक अनिर्दिष्ट वस्तु है।

देवघर अंचल में 1991-92 से 1994-95 (दिसम्बर 1993 और अक्तूबर 1995 के मध्य कर निर्धारित) के दौरान 592 लाख रुपये मूल्य के एच० टी० स्ट्रॉण्ड वायर की बिक्री को घोषित वस्तु की बिक्री मानकर 8 प्रतिशत की सही दर के बदले 4 प्रतिशत की गलत दर से कर लगाया गया। वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 34.87 लाख रुपये (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 1997) विभाग ने मामले को आयुक्त (वाणिज्यकर) के पास विचारार्थ भेजने के लिए सहमति जतायी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्तूबर 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.8. अधिभार का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत 15 जनवरी 1981 से प्रत्येक व्यवसायी जिसकी सकल बिक्री राशि एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक है, देय कर (अतिरिक्त कर सहित) की राशि पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान करेगा। 1 अप्रैल 1984 से इस दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया और पुन: 11 अगस्त 1989 से, उन व्यवसायियों के मामले में जिनकी सकल बिक्री राशि 10 लाख से अधिक है, बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। न्यायिक निर्णय* के अनुसार आटा, मैदा और सुजी, गेहूँ (घोषित वस्तु) नहीं है और इन वस्तुओं की बिक्री पर अधिभार देय है।

3 अंचलों (चाईबासा, धनबाद और गोपालगंज) में 3 व्यवसायियों के मामलों में भा० नि० वि० श०, इमारती लकड़ी, आटा, मैदा और सुजी की बिक्री पर 31.32 लाख रुपये का अधिभार नहीं लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1996 और जनवरी 1998 के मध्य) विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 1997 और मार्च 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.9. छूट की गलत स्वीकृति

(i) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार किन्हीं वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या प्रकार की बिक्री किसी वर्ग के व्यवसायी को अथवा उसके द्वारा की गयी बिक्री और किसी बिक्री या बिक्री के वर्ग या प्रकार को अधिसूचना द्वारा बिक्री कर से छूट प्रदान कर सकती है।

3 वाणिज्यकर अंचलों (कोडरमा, पटना सिटी पूर्वी और सिंहभूम अंचल, जमशेदपुर) में वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान 4 व्यवसायियों के मामले में 197.20 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर गलत छूट दी गयी। छूट की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 13.27 लाख रुपये (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 1996 और जुलाई 1997 के मध्य) विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 1997 और जनवरी 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्तूबर 1998)।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा बिहार वित्त अधिनियम 1981 और उनके अधीन बने नियमों के अंतर्गत भारतीय सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में किये गये वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर आरोप्य नहीं है, यदि क्रय या विक्रय या तो निर्यात के क्रम में हो अथवा वस्तुओं के

---

* राजस्थान रॉलर फ्लावर मिल्स एसोसियेशन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला सिविल अपील संख्या 3922-25/1991।

भारतीय सीमा शुल्क की सीमा क्षेत्र पार करने के बाद उनके स्वामित्व के कागजातों के हस्तान्तरण के कारण होता है। मार्च 1986 एवं अगस्त 1991 में निर्गत सरकार के आदेशों के अनुसार, नेपाल को निर्यात के क्रम में की गई बिक्री पर कर से छूट के लिए अन्य साक्ष्यों के अलावा लेन-देन भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्यात विपत्रों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना में यह देखा गया कि वर्ष 1994-95 में (नवम्बर 1995 में कर निर्धारित) 93.34 लाख रुपये मूल्य की दवाओं की बिक्री पर कर से छूट दी गयी यद्यपि ये विहित लेख्य साक्ष्यों जैसे निर्यात विपत्र, बैंक द्वारा भुगतान तथा वस्तुओं के भारतीय सीमा क्षेत्र के पार जाने सम्बन्धी प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं थी। इसके फलस्वरूप 7.19 लाख रुपये (अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे दिसम्बर 1996 में बताये जाने पर विभाग ने कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.10. कालबाधित कर निर्धारण के कारण राजस्व की हानि

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अवधि के लिए व्यवसायी द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु, उस अवधि की समाप्ति से चार वर्षों की समाप्ति के पूर्व की अवधि को छोड़कर, कोई कार्रवाई प्रारंभ और संम्पन्न नहीं की जायेगी।

गया वाणिज्य कर अंचल में, वर्ष 1991-92 में एक व्यवसायी ने 63.07 लाख रुपये मूल्य की वनस्पति राज्य के बाहर से खरीदी परन्तु उसे विवरणियों में दर्शाया नहीं गया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने छिपायी गई बिक्री राशि पर केवल अर्थदंड लगाया परन्तु नियत समय के भीतर कर निर्धारण संपन्न नहीं किया और इसके फलस्वरूप 7 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को क्रमश: सितम्बर 1997 तथा मार्च 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

3.11. कटौती की गलत स्वीकृति

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत बट्टा (डिस्काउन्ट) व्यवसायी की नियमित पेशागत रीति के अनुरुप अनुमत है किन्तु बिक्री कागजातों में दिये गये बट्टे को स्पष्ट दिखाया जाना चाहिए। न्यायिक निर्णय* के अनुसार अधिलाभ बट्टा (बोनस डिस्काउन्ट) सभी ग्राहकों को अनुमत नहीं है बल्कि विक्रेता व्यवसायी से निर्धारित लक्ष्य से अधिक का क्रय करने वालों को ही अनुमत है। यह एक प्रोत्साहन अधिलाभ (बोनस) है न कि बिक्री राशि से कटौती और इस तरह मूल्य से कटौती स्वरूप स्वीकार्य नहीं हैं।

* मेसर्स इन्डियन पिस्टन बनाम तामिलनाडु राज्य (1974) 33 एस.टी.सी. 472 मद्रास अनुमोदित (1980) 45 एस.टी.सी.32 एस.सी.।

गया वाणिज्य कर अंचल में 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान (दिसम्बर 1995 में कर निर्धारित) एक विदेशी शराब व्यवसायी से सम्बन्धित कर देय माल के व्यापार लेखा में बिक्री राशि से क्रमशः 8.66 लाख रुपये एवं 9.36 लाख रुपये के अधिलाभ (बोनस) की कटौती की गयी। इसके फलस्वरूप 5.45 लाख रुपये (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जनवरी 1997) विभाग ने 5.45 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित की (जुलाई 1997)। तदन्तर राशि की वसूली का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

3.12. कर की रियायती दरों की गलत अनुमति

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों को की गयी सामानों की बिक्री पर, उन मामलों में जहाँ ये सामान पुनः बिक्री के लिये उनके विनिर्माण या विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे प्रयोग के लिए आवश्यक हो, विशेष दर से कर आरोप्य है। तथापि, अधिनियम राज्य सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग या प्रकार को इस धारा की परिधि से अलग रखने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य सरकार ने जनवरी 1985 में निर्गत अधिसूचना द्वारा कार्डबोर्ड और कार्टून सहित कागज (सभी प्रकार के) को अधिनियम की उक्त धारा के प्रावधानों की परिधि से अलग कर दिया।

4 अंचलों में (गया, लोहरदगा, पाटलिपुत्र और पटना सिटी पश्चिम) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान 4 व्यवसायियों द्वारा निबन्धित व्यवसायियों को 70.95 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं (टिम्बर, पैकिंग कागज, कार्टून, कार्डबोर्ड तथा कंक्रीट उत्पाद) की बिक्री की गई और आरोप्य दरों के बदले अनियमित रुप से 3 प्रतिशत की रियायती दर से करारोपण किया गया। इसके फलस्वरूप 4.84 लाख रुपये (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जनवरी और सितम्बर 1997 के मध्य) विभाग ने एक मामले में 97768 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की तथा अन्य दो मामलों में विभाग ने कहा (जून और सितम्बर 1997 के मध्य) कि रियायती बिक्री अनुज्ञेय है। उपर्युक्त सरकारी अधिसूचना के आलोक में विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। एक मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1997 ओर फरवरी 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

अध्याय 4

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.	35
अनुज्ञा शुल्क (लाइसेंस फीस) की अंतर राशि की वसूली न करना	4.2.	35
उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती में कार्यपालक/ प्रशासनिक विफलता के कारण राजस्व की हानि	4.3.	36
भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर पर शुल्क की अन्तर राशि की वसूली न करना	4.4.	36
शुल्क की रियायती दर पर रम का अधिक निर्गमन	4.5.	37
खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की अनापूर्ति के कारण राजस्व की हानि	4.6.	37

राज्य उत्पाद

अध्याय 4
राज्य उत्पाद

4.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 690 मामलों में 605.09 लाख रुपये की राशि के अवनिर्धारण एवं राजस्व की हानि का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलंब से होना	144	206.24
2.	अनुज्ञा शुल्क वसूल न किया जाना	250	128.17
3.	अनधिकृत छूट के कारण अनुचित आर्थिक लाभ	9	15.24
4.	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के अपव्यय की अनियमित स्वीकृति	34	8.88
5.	भंडारण, पारगमन एवं कार्यचालन में छीए की हानि/क्षति	22	1.90
6.	अन्य मामले	231	244.66
	कुल	690	605.09

वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 857 मामलों में अंतर्ग्रस्त 150.95 लाख रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया। इनमें से 141 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 92.25 लाख रुपये वर्ष 1997-98 में एवं शेष पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान बताये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 229.90 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

4.2. अनुज्ञा शुल्क (लाइसेंस फीस) की अन्तर राशि की वसूली न करना

सरकार ने राज्य के सभी 9 प्रक्षेत्रों में देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञा शुल्क लगाया। अनुज्ञा शुल्क पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक खपत पर एक रुपया प्रति लंदन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.) की दर से प्रत्येक आपूर्तिकर्ता द्वारा देय था। तदन्तर, यदि आपूर्ति उस वार्षिक खपत से अधिक होती है, तब अनुज्ञा शुल्क उस सीमा तक देय होगा।

7 प्रक्षेत्रों* के 21 आपूर्तिकर्त्ता वर्ष 1996-97 में 21.14 लाख एल.पी.लीटर देशी शराब की अधिक खपत होने पर 65.49 लाख रुपये की अनुज्ञा शुल्क की अंतर राशि जमा करने में असफल रहे।

---

* भागलपुर, धनबाद, गया, हजारीबाग, मुज्फ्फरपुर, राँची और शाहाबाद।

इसे बताये जाने पर, (जून 1997) विभाग ने कहा (जून 1997) कि उचित जाँच के पश्चात् उत्तर दिया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

4.3. उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती में कार्यपालक/प्रशासनिक विफलता के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब/विदेशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब की उत्पाद दूकानें खुदरा बिक्री के लिए समाहर्ता के माध्यम से नीलामी द्वारा वार्षिक रुप से बंदोबस्त की जाती है, जो उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत रक्षित शुल्क के अधीन होता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सभी समाहर्ताओं/उपायुक्तों को बंदोबस्त नहीं हुए उत्पाद दूकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने के लिए निर्देश जारी किया (जून 1995)। यदि बाद में दूकानें बंदोबस्त हो जाती हैं तो विभागीय संचालन समाप्त हो जायेगा।

मुजफ्फरपुर जिला में वर्ष 1996-97 के दौरान 36 उत्पाद दूकानें बंदोबस्त नहीं हुई। विभागीय प्रबंधन के अन्तर्गत दूकानों को चलाने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप खुदरा बिक्री के लिए शराब की अनापूर्ति के कारण उत्पाद शुल्क, अनुज्ञा शुल्क, संचलन शुल्क आदि के रुप में 118.94 लाख रुपये उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1997),विभाग ने कहा (अक्तूबर 1997) कि दूकानों के बंदोबस्त नहीं होने के मुख्य कारण, बोर्ड के अनुदेशों के अन्तर्गत समाहर्त्ता की सीमित शक्ति तथा उच्च रक्षित शुल्क का निर्धारण, थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समाहर्त्ता विदेशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब के मामले में उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा देशी शराब के मामले में उत्पाद आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात् रक्षित शुल्क से कम पर दूकानों को बंदोबस्त करने के लिए अधिकृत थे। इन मामलों में ऐसा नहीं किया गया तथा दूकानों को विभागीय स्तर पर चलाने का भी प्रयास नहीं किया गया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

4.4. भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर पर शुल्क की अन्तर राशि की वसूली न करना

सरकार ने भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) एवं बीयर पर शुल्क की दरों में संशोधन किया (जून 1996)। भा.नि.वि.श. पर शुल्क की संशोधित दर 50 रुपये प्रति एल.पी.लीटर के विरुद्ध 55 रुपये से 150 रुपये प्रति एल.पी.लीटर के मध्य यथामूल्य (एड भेलोरम) थी। तदन्तर बीयर पर शुल्क की दर भी 5 रुपये से 8 रुपये प्रति बल्क लीटर संशोधित की गयी।

जून 1996 एवं अक्तूबर 1996 के मध्य पटना जिला के अनुज्ञापत्रधारियों को 165289.41 एल.पी.लीटर भा.नि.वि.श. एवं 280085 बल्क लीटर बीयर का निर्गमन पूर्व संशोधित दर से किया गया, फलस्वरूप 25.55 लाख रुपये के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताये जाने पर (मई 1997), विभाग ने कहा (जून 1997) कि अन्तर राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

4.5. शुल्क की रियायती दर पर रम का अधिक निर्गमन

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 राज्य सरकार को किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान से पूर्णतः/आंशिक रुप से छूट देने का अधिकार प्रदान करता है। तदनुसार, सरकार ने समय-समय पर अधिसूचना जारी कर सैन्य-टुकड़ियों तथा सैन्य-संस्थाओं को बेची गयी रम पर 55 रुपये प्रति लंदन प्रुफ लीटर (एल.पी.एल) की सामान्य दर के बदले 8 रुपये प्रति एल.पी. लीटर की रियायती दर का शुल्क निर्धारित किया। अक्तूबर 1983 में सरकार ने इस रियायत का विस्तार बिहार सैन्य पुलिस (बी.एम.पी.) के लिये (अधिकारियों को छोड़कर) किया। अप्रैल 1988 में आरक्षी महानिरीक्षक (सशस्त्र बल), बिहार ने बी.एम.पी. कार्मिकों को (अधिकारियों को छोड़कर) प्रति जवान प्रति माह 0.72 एल.पी.लीटर रम का निर्गमन निधार्रित किया।

पटना एवं गया जिलों में बी.एम.पी. को वर्ष 1996-97 में क्रमश: 30412.50 एवं 5970.24 एल.पी.लीटर की अनुज्ञेय मात्रा के विरुद्ध 57820.50 एवं 12150 एल.पी.लीटर रम निर्गत किया गया। रियायती दर पर निर्धारित मात्रा से 33587.76 एल.पी.एल. रम के अधिक निर्गमन के फलस्वरूप 15.79 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे बताये जाने पर (मई एवं सितम्बर 1997), पटना एवं गया के सहायक उत्पाद आयुक्तों ने कहा (जून एवं सितम्बर 1997) कि मामले की जाँच की जायेगी तथा उचित शुल्क के जमा करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को (नवम्बर 1997 एवं जनवरी 1998) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

4.6. खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की अनापूर्ति के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 किसी विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अन्तर्गत मद्यभंडागारों से खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की थोक आपूर्ति का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना (जून 1995) जारी कर जुलाई 1995 से मार्च 1999 की अवधि में खुदरा विक्रेताओं को सैचेट/बोतलों में देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।

सरकार द्वारा 23 जून 1995 को भागलपुर प्रक्षेत्र, जिसमें अररिया एवं किशनगंज जिले सम्मिलित थे, में सैचेट/बोतलों में देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनन्य विशेषाधिकार की स्वीकृति दी गयी। निविदा की शर्त के अनुसार स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति द्वारा स्वीकृति आदेश के 15 दिनों (8 जुलाई 1995) के अन्दर अनुज्ञप्ति के लिए समाहर्त्ता को आवेदन देना था तथा ऐसे अनुदान की स्वीकृति की तिथि से 2 माह (23 अगस्त 1995) के अन्दर सैचेट/बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति

शुरु करने की आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर लेनी थी। आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था 11 जुलाई 1995 से समाप्त हो गयी, परन्तु बीच की अवधि में खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की आपूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने में उत्पाद विभाग विफल रहा जिसके कारण जुलाई 1995 में खुदरा विक्रेताओं को 15890 एल.पी.लीटर देशी शराब की (9000 एल.पी.लीटर अररिया में तथा 6890 एल.पी.लीटर किशनगंज में) आपूर्ति नहीं हो पायी; फलस्वरूप 4.13 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

इसे विभाग को बताया गया (मार्च 1997); उनका अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

अध्याय 5

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.	39
राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना	5.2.	39
अभ्यर्पित कागजातों की अस्वीकृति पर कर का अनुद्ग्रहण/कर से छूट के मामले तथा छः महीने बाद अभ्यर्पण की स्वीकृति	5.3.	49
वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व का कम उद्ग्रहण होना	5.4.	50
कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी	5.5.	51
बकाया देय किस्तों का उद्ग्रहण नहीं होना	5.6.	51
वाहनों को अधिकार में लेने की तिथि से कर का नहीं लगाया जाना	5.7.	52
सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया/वसूला जाना	5.8.	52
विलंबित कर भुगतान पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना	5.9.	53
बकाये कर का उद्ग्रहण किये बिना वर्तमान कर का उद्ग्रहण होना	5.10.	53
कर प्रभावी वाहनों का सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होना	5.11.	54
परिवहन वाहन के पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता का गलत अवधारण होना	5.12.	54

वाहनों पर कर

अध्याय 5

वाहनों पर कर

5.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 6332 मामलों में 7047.32 लाख रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदंड, जुर्माना आदि के नहीं लगाये जाने और कम लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	करों का नहीं लगाना तथा कम लगाया जाना	1979	496.30
2.	पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता के गलत निर्धारण के फलस्वरूप कम कर लगाया जाना	95	14.03
3.	शुल्क, जुर्माना तथा अर्थदंड आरोपित नहीं होना	154	2.05
4.	वर्ष 1997-98 में "0041 वाहनों पर कर" शीर्ष में जमा सरकारी राजस्व में असंगति	5	8.37
5.	अन्य मामले	4099	6526.57
	कुल	6332	7047.32

वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 924 मामलों में अंतर्ग्रस्त 445.18 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया, जिसमें 44.64 लाख रुपये से संबंधित 188 मामले 1997-98 तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले और "राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना" पर समीक्षा, जिनमें 3952.58 लाख रुपये के कर-प्रभाव अंतर्ग्रस्त थे, अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

5.2. राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना

5.2.1. परिचय

सम्पूर्ण देश में सड़क द्वारा माल वाहनों के सुविधापूर्वक प्रचालन को प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के प्रावधानों के अन्तर्गत सितम्बर 1975 में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना चलायी। राज्यों और संघीय क्षेत्रों को पूरे भारतीय सीमा क्षेत्रों या गृह राज्य सहित कम से कम चार समीपवर्ती राज्यों में माल ढुलाई हेतु सार्वजनिक माल वाहन मालिकों को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के इच्छुक परिचालकों को मोटर वाहन कर के अतिरिक्त गृह राज्य को निर्धारित प्राधिकरण शुल्क भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त वाहन प्रचालन के लिये अनुमति प्राप्त प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र को मिश्रित शुल्क भुगतान करना है। अन्य राज्यों को देय मिश्रित

शुल्क जिसका पहले ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है, प्रारम्भ में गृह राज्य द्वारा पदनामित प्राधिकारी के पक्ष में भुगतेय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रुप में संग्रह किया जाता है और तत्पश्चात् संबंधित राज्य को, जब और जैसे प्राप्त होता है, प्रेषित किया जाता है।

5.2.2. संगठनात्मक ढाँचा

परिवहन विभाग में विधि एवं नियमों के परिपालन के लिये शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), बिहार उत्तरदायी हैं जिन्हें मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों से सहयोग प्राप्त होता है। कर प्रबंध के दृष्टिकोण से राज्य 13 प्रक्षेत्रों और 47 जिलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन तथा प्रबंधन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। राजस्व की चोरी को रोकने के लिये राज्य में 3 जाँच चौकी और 48 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का निर्गमन तथा अन्य सहायक कार्य मार्च 1996 से क्षे.प.प्रा. द्वारा संपादित होते हैं। इसके पहले राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र राज्य परिवहन प्राधिकार (रा.प.प्रा.), बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाता था।

5.2.3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों तथा कार्यपालक निर्देशों के अनुपालन का पता लगाने के अभिप्राय से 'राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना' पर समीक्षा की गयी। अप्रैल से अगस्त 1998 की अवधि में रा.प.आ., बिहार, पटना, 8 क्षे.प.प्रा.*, 3 जाँच चौकी** और 5 प्रवर्तन दलों*** के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

5.2.4. विशिष्टतायें

(i)(क) 6 क्षे.प.प्रा. द्वारा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र समय पर निर्गत नहीं किये गये । **4** से **87** प्रतिशत मामलों में **8** से **133** दिनों का विलम्ब किया गया।

(ख) अन्य राज्यों को रा.प.प्रा./6 क्षे.प.प्रा. द्वारा **293.63** लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट अत्यन्त विलम्ब से प्रेषित किये गये। विलम्ब की अवधि **4** से **12** महीने की थी।

[कंडिका **5.2.6. (i)** और **(ii)**]

(ii) रा.प.प्रा./**8** क्षे.प.प्रा. से संबंधित **2846** मामलों में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के पश्चातवर्त्ती प्राधिकरण नहीं किये गये, फलत: **923.70** लाख रुपये जिसमें **28.70** लाख रुपये बिहार के लिये थे, नहीं वसूले गये। **1993-94** से **1994-95** की अवधि के लिये **68.55** लाख रुपये के बकाये का उद्ग्रहण किये बिना **776** मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क का उंद्ग्रहण किया गया।

[कंडिका **5.2.7.** (क) और (घ)]

* भागलपुर, दरभंगा, गया, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया और राँची।

** बहरागोड़ा, चिरकुण्डा और मोहनिया।

*** भागलपुर, बहरागोड़ा, चिरकुण्डा, मुजफ्फरपुर और राँची।

(iii) एक जाँच चौकी और 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों द्वारा 14.22 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं किये गये। एक जाँच चौकी द्वारा बैंक में जमा किये गये 45.35 लाख रुपये का सत्यापन आवश्यक कागजातों के अभाव में नहीं किया जा सका।

[कंडिका 5.2.8. (क) (ii) और (ख) (ii)]

(iv) देय मिश्रित शुल्क के त्वरित तथा सही उद्ग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पंजी और प्रतिवेदन/विवरणी के रुप में अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं है।

[कंडिका 5.2.9.]

(v) 1978 और 1991 के बीच की अवधि से संबंधित 941.52 लाख रुपये के 145139 कालबाधित बैंक ड्राफ्ट पटना स्थित विभिन्न बैंकों में 1992-93 से 1997-98 के दौरान भेजे गये। विभाग ने सरकारी लेखे में उक्त राशि के जमा किये जाने की पुष्टि नहीं की।

[कंडिका 5.2.10.(क)(ii)]

(vi) राजस्व की राशि संग्रह करनेवाले पटना स्थित 25 बैंकों ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में जमा राशि का आंशिक अन्तरण किया और मार्च 1998 के अंत में बैंकों द्वारा 552.22 लाख रुपये की अतिशेष राशि रोक ली गयी। चेक के विरुद्ध बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व के नहीं/ कम अंतरण के कारण बैंकों को अनुचित लाभ मिला।

[कंडिका 5.2.10.(ख) और (ग)]

(vii) 1993-94 से 1997-98 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना ने संग्रहण प्रभार के रुप में 48.34 लाख रुपये की अनियमित कटौती की।

[कंडिका 5.2.11.]

5.2.5. अनुज्ञापत्र/प्राधिकरण की प्रवृत्ति

परिवहन वाहन के रुप में किसी मोटर वाहन का उपयोग करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा. द्वारा पाँच वर्षों के लिये अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है। निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात् उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापत्र में उल्लिखित अवधि और क्षेत्र में वाहनों के परिचालन को अधिकृत करने के लिये वार्षिक/अर्धवार्षिक प्राधिकरण प्रदान किया जाता है।

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1993-94 से 1997-98 के दौरान रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा. द्वारा निर्गत/नवीकृत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र एवं प्रदत्त प्राधिकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

प्राधिकरण

वर्ष	निर्गत अनुज्ञापत्र की संख्या	नवीकृत अनुज्ञापत्र की संख्या	प्रदत्त प्राधिकरण की संख्या
1993-94	1411	अनुपलब्ध	16055
1994-95	1134	80	7381
1995-96	2120	439	12170
1996-97	1604	1155	10466
1997-98	अनुपलब्ध	761	7007

रा.प.प्रा. ने नवीकरण के लिये नियत अनुज्ञापत्र/प्राधिकरण तथा शुल्क की देय/उद्ग्रहित राशि से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी।

5.2.6. राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन/बैंक ड्राफ्ट प्रेषण में अनियमितताएँ

(i) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करने में विलम्ब

विभाग द्वारा निर्गत फरवरी 1996 के निर्देशानुसार आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निर्गत करना है। तथापि, 6 क्षे.प.प्रा. में देखा गया कि 4 से 87 प्रतिशत मामलों में 8 से 133 दिनों का विलम्ब किया गया जिनके विवरण निम्नांकित हैं :-

क्षे.प.प्रा. का नाम	वर्ष	निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र की संख्या	विहित समय सीमा के उपरांत निर्गत अनुज्ञापत्र की संख्या	विलम्ब के दिनों की संख्या	प्रतिशत
भागलपुर	अप्रैल 1996 से मार्च 1998	93	4	13 से 40	4.3
गया	तथैव	350	31	8 से 84	8.9
मुजफ्फरपुर	तथैव	54	47	11 से 106	87.0
पटना	तथैव	969	45	8 से 133	4.6
पूर्णिया	तथैव	137	92	15 से 86	67.1
राँची	तथैव	601	57	10 से 84	9.5

(ii) बैंक ड्राफ्ट प्रेषण में विलम्ब

फरवरी 1996 में निर्गत रा.प.आ. के निर्देशानुसार अनुज्ञापत्र/प्राधिकरण निर्गत करने के एक पखवारा के अन्दर अन्य राज्यों से संबंधित मिश्रित शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज देनी है।

यह देखा गया कि 1995-96 से 1997-98 की अवधि में रा.प.प्रा./6 क्षे.प.प्रा. ने अन्य राज्यों को भुगतेय 293.63 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट अत्यन्त विलम्ब से उन राज्यों को भेजा। विलम्ब की अवधि 4 से 12 महीने की थी जबकि बैंक ड्राफ्ट केवल 6 माह के लिये ही वैध होते हैं। 6 क्षे.प.प्रा. ने पटना स्थित बैंकों में जमा करने हेतु रा.प.प्रा.को 74.34 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट 4 से 12 महीने के विलंब से भेजा।

5.2.7. राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण का अनवीकरण/मिश्रित शुल्क/अर्थदंड की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अस्थायी या विशेष अनुज्ञापत्र से भिन्न अनुज्ञापत्र 5 वर्षों के लिए निर्गत करने का प्रावधान है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की वैधता एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। यह प्राधिकरण एक अनवरत प्रक्रिया है जबतक कि अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अनुज्ञापत्र अभ्यर्पित नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित मिश्रित शुल्क अग्रिम भुगतान करना है। नियत तिथि पर मिश्रित शुल्क भुगतान न करने

की स्थिति में अनुज्ञापत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी को प्रति माह या उसके भाग के लिए 100 रुपये अर्थदंड आरोपित करना है। बिहार सरकार ने सितम्बर 1993 से मिश्रित शुल्क की राशि 3000 रुपये से 5000 रुपये संशोधित (नवम्बर 1993) कर दी।

(क) रा.प.प्रा./8 क्षे.प.प्रा.* में मिश्रित शुल्क से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2846 मामलों में अनुज्ञापत्र की कालावधि में अक्तूबर 1993 और मार्च 1998 के बीच की अवधि के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का परवर्ती प्राधिकरण नवीकृत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 923.70 लाख रुपये के मिश्रित शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ जिसमें से 28.70 लाख रुपये गृह राज्य से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त इन मामलों में विहित दर पर अर्थदंड भी आरोप्य था ।

(ख) रा.प.प्रा. में देखा गया कि सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के लिये अन्य राज्यों से उद्ग्रहणीय वार्षिक या अर्धवार्षिक मिश्रित शुल्क 462 मामलों में विहित दर से कम दर पर उद्ग्रहित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 2.39 लाख रुपये के अर्थदंड सहित 9.67 लाख रुपये के मिश्रित शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ग) 805 मामलों में सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान नियत तिथि बीत जाने के बाद भी अन्य राज्यों के अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा बिना अर्थदंड के मिश्रित शुल्क भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप 1.70 लाख रुपये के अर्थदंड का कम उद्ग्रहण हुआ।

(घ) 1993-94 और 1994-95 के बीच की अवधि के लिये बिना बकाया की वसूली किये, 776 मामलों में प्राधिकरण शुल्क सहित मिश्रित शुल्क की वसूली की गयी। फलस्वरूप आरोप्य अर्थदंड के अलावा 68.55 लाख रुपये राशि के सरकारी राजस्व की हानि हुई। बकाया की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5.2.8. जाँच चौकियों/प्रवर्तन शाखाओं का अप्रभावी कामकाज

राज्य में प्रवेश करनेवाले या इससे होकर गुजरनेवाले वाहनों पर आरोप्य कर, शुल्क और अर्थदंड की क्षति के रोकथाम और निवारण के अभिप्राय से समीपवर्ती राज्यों के साथ बिहार को जोड़नेवाले अन्तर्राज्यीय मार्गों के प्रवेश बिन्दु पर राज्य सरकार ने 3 जाँच चौकियाँ (बहरागोड़ा, चिरकुण्डा और मोहनिया) स्थापित की है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन जाँच चौकियों पर पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारियों/उप-निरीक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि इन जॉच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के मालिकों द्वारा किये गये अपराधों को संयोजित करें।

* भागलपुर, दरभंगा, गया, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया और राँची।

3 जाँच चौकियों/प्रवर्तन के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न बातें उद्घटित हुईं :-

(क) जाँच चौकी

(i) जाँच चौकियों से होकर गुजरनेवाले वाहनों के विवरणों को दर्शाने वाली पंजियाँ संधारित नहीं की गयीं, जिसके कारण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र और द्विपक्षीय अनुबंधों के अधीन निर्गत अनुज्ञापत्रों पर परिचालित वाहनों की संख्या का पता नहीं चल सका। तथापि, इन जाँच चौकियों पर आधारभूत अवसंरचना जैसे, सड़क विभाजक, अवरोधक, वाहनों को रोकने के लिये स्थान की व्यवस्था, तोल सेतु की स्थापना आदि की कमी थी।

(ii) सितम्बर 1995 से मार्च 1998 के दौरान जुर्माना के रुप में उद्ग्रहित 5.84 लाख रुपये की राशि जमा नहीं की गयी तथा अगस्त से दिसम्बर 1994 की अवधि में 45.35 लाख रुपये का संग्रहण, जिसे बैंक में जमा किया हुआ बताया गया, का सत्यापन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि चिरकुंडा जाँच चौकी द्वारा जमा संबंधी समर्थक कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये।

(iii) कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण चिरकुंडा जाँच चौकी पर सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य सम्पादन करने के लिये उपायुक्त, धनबाद ने आदेश दिया (अक्तूबर 1997) और रात में जाँच चौकी के सहज संचालन के लिए पुलिस पहरेदार तथा अवसंरचना का बंदोबस्त करने के लिये रा.प.आ. से अनुरोध किया, किन्तु उसके लिए रा.प.आ. द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया। तथापि, यह देखा गया कि अक्तूबर 1997 और उसके बाद प्रति वाहन राजस्व में वृद्धि हुई।

(iv) उचित सुरक्षा, बीमा तथा लोहे के सन्दूक के बिना ही नकद का प्रबंधन होता था।

(v) जैसा कि फरवरी 1996 में निर्गत रा.प.आ. के निर्देश के अंतर्गत अपेक्षित है, विनिर्धारक अधिकारियों के पास परिवहन प्रधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे।

(ख) प्रवर्तन

(i) राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 1995) प्रवर्तन अधिकारियों को जाँच चौकी के कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन कार्य सम्पादन में सहायता करनी है। किंतु, यह देखा गया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा मोहनिया जाँच चौकी के कर्मचारियों के कार्य सम्पादन में साप्ताहिक सहायता नहीं की गयी।

(ii) बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गयी राशि को सरकारी खाते में अविलम्ब जमा कर देनी चाहिये। प्रवर्तन शाखा, मोहनिया की विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि 37.77 लाख रुपये के राजस्व संग्रहण के विरुद्ध, 3 प्रवर्तन उप-निरीक्षकों द्वारा जून 1996 से मार्च 1997 के दौरान केवल 29.39 लाख रुपये ही भारतीय स्टेट बैंक, भभुआ में जमा किये गये, जिसके कारण शेष 8.38 लाख रुपये अलेखापित रह गये। इस स्थिति में दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके उत्तर में कहा गया कि मामला सत्यापन के अधीन है।

5.2.9. माँग, संग्रहण और अतिशेष पंजी तथा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी का संधारण नहीं होना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अधीन प्राधिकरण प्रदान करनेवाले प्राधिकारी को वाहन और अनुज्ञापत्र संबंधी विवरण संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारियों को प्रेषित करना है। अन्य राज्यों से देय मिश्रित शुल्क की यथा समय वसूली पर निगरानी रखने के लिये अनुज्ञापत्र का विवरण दर्शाते हुए विभाग द्वारा माँग, वसूली और अतिशेष (माँ.व.अ.) पंजी का संधारण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/संघीय क्षेत्रों से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के निर्गमन की सूचना मिलने के बाद वाहन, अनुज्ञापत्र तथा प्राधिकार और अनुज्ञापत्रों की वैधता की अवधि का विवरण राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी में अंकित करना है।

यह देखा गया कि बिहार में वाहनों के परिचालन के लिए अन्य राज्यों द्वारा निर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों से संबंधित विवरण दर्शाते हुए रा.प.प्रा. द्वारा माँ.व.अ.पंजी का संधारण नहीं किया गया। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राज्य में कितने वाहन परिचालित हुए और कितना मिश्रित शुल्क देय था तथा कितना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी भी संधारित नहीं की गयी जिससे अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध प्राप्त मिश्रित शुल्क के मिलान में सुविधा होती।

5.2.10. अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन-देन बिना विलम्ब किये लेखा में लेना और लोक लेखा में जमा करना आवश्यक है। संबंधित राज्यों से देय मिश्रित शुल्क की वसूली का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये निर्गत अनुज्ञापत्रों के विरुद्ध बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति आदि को अंकित करते हुए बैंक ड्राफ्ट की एक पंजी का संधारण अपेक्षित है। सरकार के निर्देशों (जून और नवम्बर 1978) के अनुसार रा.प.आ. को सूचित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को राजस्व की कुल प्राप्ति चालान के माध्यम से पटना सचिवालय कोषागार में सप्ताह के अंत में सरकार के उपयुक्त लेखाशीर्ष में जमा करना हैं। इसके अतिरिक्त, रा.प.आ. के आदेश (मार्च 1996) के अनुसार, अप्रैल से फरवरी की अवधि में बैंकों में जमा राशि का भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में अंतरण इस तरह करना है कि पूर्ववर्त्ती महीनों की सभी प्राप्तियाँ अधिक से अधिक उत्तरवर्त्ती महीने के प्रथम सप्ताह तक अंतरित हो जायँ। जहाँ तक मार्च महीने में जमा राशि का संबंध है, इसे 31 मार्च तक निश्चित रुप से अंतरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा सकल राशि का अंतरण सरकार के लेखा में उसी वित्तीय वर्ष में हो जाय। राज्य में सभी संग्राहक बैंक शाखाओं को इसी प्रकार के निर्देश जारी किये गये। वर्ष 1983-84 से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 4.2.4.) में प्रक्रिया में गंभीर दोष तथा तत्संबंधी राजस्व के प्रभाव का उल्लेख किया गया था, किंतु ऐसी अनियमितताएँ अभी भी विद्यमान हैं जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है :-

(क) प्राप्त बैंक ड्राफ्ट का लेखा

(i) बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति की तिथि, प्राप्त राशि, राज्य का नाम जहाँ से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए और उनके निष्पादन की तिथि को दर्शाते हुए कोई बैंक ड्राफ्ट पंजी संधारित नहीं की गयी। विभाग ने रा.प.आ. के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये बैंक ड्राफ्ट संबंधी कोई नियत कालिक विवरणी/प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया। इसके अभाव में, प्राप्त ड्राफ्ट की संख्या और बैंक में वास्तविक जमा का पता

नहीं चला। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति और जमा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तंत्र का नितान्त अभाव था।

(ii) 1978 और 1991 के बीच प्राप्त मिश्रित शुल्क के कालबाधित 145139 डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें 941.52 लाख रुपये अन्तर्ग्रस्त थे, 12 से 204 महीने के विलम्ब से 1992-93 से 1997-98 की अवधि में बैंकों में जमा किये गये। अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिससे सरकारी खाते में उक्त राशि के जमा होने का पता चले (जून 1998)। विभाग ने बताया कि मामले की जाँच की जायेगी।

(ख) संग्राही बैंक

पटना में 27 बैंक हैं जहाँ अन्य राज्यों/क्षे.प.प्रा. से प्राप्त मिश्रित शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाते हैं। 25 बैंकों में 31 मार्च 1998 को 552.22 लाख रुपये का अंत अतिशेष था जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए राशि का भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में तत्परता से अंतरण नहीं किया गया। कुछ रोचक मामले निम्नांकित है:-

(i) स्टेट बैंक पटियाला, पटना ने अप्रैल 1994 से फरवरी 1997 की अवधि के दौरान कम से कम 243.66 लाख रुपये अतिशेष के रुप में रखा।

(ii) मार्च 1995 से रखा गया 3 लाख रुपये का अतिशेष यूको बैंक, पटना द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को अंतरित नहीं किया गया।

(iii) मिश्रित शुल्क/कर से संबंधित 19.60 लाख रुपये, जिसे अक्तूबर 1994 से जनवरी 1995 के दौरान मोहनिया जाँच चौकी पर वसूला और बैंक में जमा किया गया, का अंतरण पंजाब नेशनल बैंक, गांधी मैदान, पटना में 9 महीने बाद सितंबर 1995 में किया गया।

(iv) बहरागोड़ा जाँच चौकी ने 82.34 लाख रुपये और 50.76 लाख रुपये क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक, जयपुरा शाखा तथा भारतीय सेन्ट्रल बैंक, बहरागोड़ा में मार्च 1998 में जमा किया जिसे भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में अंतरित नहीं किया गया (मई 1998)।

(ग) **चेक के विरुद्ध सरकारी राजस्व का अंतरण नहीं/कम किया जाना**

समय-समय पर निर्गत रा.प.आ. के निर्देशानुसार, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में किये गये जमा/अंतरण का मासिक विवरण बैंकों को रा.प.आ के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभिन्न बैंकों द्वारा जमा की रखी गयी राशि के विरुद्ध संग्रहण के लिये, प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को चेक निर्गत किया जाता है। चेक निर्गत करने की प्रक्रिया एक ऐसा आंतरिक नियंत्रण तंत्र है जिसके माध्यम से रा.प.आ. व्यतिक्रमी बैंकों से, उनके द्वारा जमा की रखी गयी राशि भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में अंतरित करने के लिये, आग्रह करते हैं।

बैंकों द्वारा नियमित विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके द्वारा धारित अतिशेष पर विभाग उचित नियंत्रण नहीं रख सका। 31 मार्च 1998 को बैंकों द्वारा 552.22 लाख रुपये की

अधिक राशि अंतशेष के रुप में रखने के कारण राजकोष के खर्च पर बैंकों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गयी। कुछ रोचक मामले निम्न वर्णित हैं:-

(i) रा.प.आ. ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में अंतरण के लिये 22 मार्च 1997 को 300 लाख रुपये का चेक पंजाब और सिंध बैंक, पटना के लिये निर्गत किया। इस राशि का अंतरण 27 जनवरी 1998 को यानि 9 महीने बाद किया गया।

(ii) जिला परिवहन अधिकारी, पटना ने 26 मार्च 1997 को 150 लाख रुपये का चेक पंजाब नेशलन बैंक, पटना के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को निर्गत किया, जिसे 23 मार्च 1998 को यह कहकर जिला परिवहन अधिकारी को वापस कर दिया कि निधि की कमी के कारण पंजाब नेशलन बैंक ने राशि का अतंरण नहीं किया।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना

रा.प.आ. के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना निर्धारित समय के अंतर्गत राजस्व संग्रहण सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा और इस प्रकार अंतर्ग्रस्त 9587.51 लाख रुपये की राशि जमा करने में 14 से 32 दिनों का विलम्ब हुआ। एक मामला में, जिसमें 366.55 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त थे, एक महीना से अधिक का विलम्ब हुआ।

सरकारी खाते में तत्परता से राजस्व जमा करने संबंधी निर्देशों के अनुपालन नहीं होने के कारण जनवरी 1993 और मार्च 1998 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2164.05 लाख रुपये पर ब्याज के रुप में 257.94 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

5.2.11. सेवा सह संग्रहण प्रभार का गलत भुगतान

विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों (जून और नवम्बर 1978) के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहनों का कर भुगतान राज्य में इसके जिला मुख्यालयों में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में 'भुगतान-पर्ची' के माध्यम से किया जाता है। संबंधित बैंक भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में प्रतिदिन तार द्वारा जमा राशि का अंतरण अन्ततः सरकारी खातें में जमा करने के लिये करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को इस सेवा के लिए संग्रहण प्रभार स्वीकार्य है। किन्तु, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा को संग्राही बैंकों द्वारा अंतरित राशि पर किसी प्रकार का संग्रहण प्रभार देने का सरकार का कोई निर्देश नहीं है। इसी तरह, कर/शुल्क आदि के नकद संग्रह और जमा करने पर कोई भी संग्रहण प्रभार स्वीकार्य नहीं है।

यह देखा गया कि 1993-94 से 1997-98 के दौरान पटना स्थित 27 बैंकों ने रा.प.आ. की ओर से 18019.84 लाख रुपये के 1159402 ड्राफ्ट संग्रह किया और 6 जिला परिवहन अधिकारियों* द्वारा 31263.56 लाख रुपये नकद जमा किये गये, जिसे अदायगी आदेश के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, पटना सचिवालय शाखा में अंतरित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय

* धनबाद, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया, पटना और राँची।

शाखा द्वारा राशि को सरकारी खाते में जमा करते समय 48.34 लाख रुपये के संग्रहण प्रभार की अनियमित कटौती की गयी।

विभाग ने बताया (जून 1998) कि भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के समक्ष यह मामला लाया गया है।

5.2.12. अन्य रोचक प्रकरण

(क) विभागीय आँकड़ों का समाधान नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार नियंत्रण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि सरकार को देय सभी राशि नियमित और अविलम्ब निर्धारित तथा संग्रहित हुई और उसे सरकारी खाते में जमा कर दिया गया। सरकारी खाते में जमा की गयी राशि उचित तौर पर उपयुक्त लेखे में ली गई है, को सुनिश्चित करने के लिये विभागीय आँकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के बीच नियमित रुप से समाधान करना है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना से ज्ञात हुआ कि बिहार सरकार के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के वित्त लेखे में दर्शाये गये आँकड़ों और विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिये गये आँकड़ों में भारी अन्तर था जिसका विवरण निम्न है :-

वर्ष	विभागीय आँकड़े	वित्त लेखे के अनुसार आँकड़े	अन्तर
	(लाख	रुपये	में)
1993-94	13790.88	10265.80	– 3525.08
1994-95	14783.45	15382.58	+ 599.13
1995-96	16581.59	15779.63	– 801.96
1996-97	17569.66	16083.54	– 1486.12
1997-98	18406.59	17407.51	– 999.08
कुल	81132.17	74919.06	–6213.11

उक्त अन्तर के समाधान के लिये विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने बताया (जून 1998) कि अन्तर के समाधान का कार्य किसी जवाबदेह अधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा।

(ख) द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के विरुद्ध कर का भुगतान नहीं किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम,1988 और बिहार मोटर वाहन नियम,1992 के अनुसार परस्पर समझौते के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अुनज्ञापत्र से भिन्न अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष के लिये प्रभावी होगा और मूल अनुज्ञापत्र की वैधता के समान ही प्रतिहस्ताक्षर बिना नवीकरण के प्रभावी रहेगा।

यह देखा गया कि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने 1993–94 से 1997-98 (जून 1998 तक) के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए क्रमशः 46,49 और 64 अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया। कुल 159 प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों में से 29 मालिकों ने अक्तूबर

1996 से जून 1998 की अवधि के लिये अपेक्षित कर का भुगतान नहीं किया यद्यपि उनके अनुज्ञापत्रों की वैधता समाप्त नहीं हुई थी।

उक्त बिन्दुओं पर विभाग/सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया (अगस्त 1998);उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.3. अभ्यर्पित कागजातों की अस्वीकृति पर कर का अनुद्ग्रहण/कर से छूट के मामले तथा छः महीने बाद अभ्यर्पण की स्वीकृति

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अधीन कोई ऐसा वाहन मालिक जो किसी निश्चित अवधि के लिये यदि अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे करारोपण अधिकारी को चालू पंजीयन प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र तथा कर प्रतीक और विहित अन्य सभी विवरण के साथ वाहन के अनुपयोग की अवधि और वाहन के रखे जाने के स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए, इस आशय का विहित प्रपत्र में सम्यक हस्ताक्षरित और सत्यापित परिवचन देना है तथा उक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, और वाहन के रखे जाने के स्थान में परिवर्तन, यदि कोई हो,की अग्रिम सूचना देते हुए संबंधित करारोपण अधिकारी को समय-समय पर आगे भी परिवचन देना है। तथापि, ऐसा कोई परिवचन एक बार में छः महीने से अधिक के लिये नहीं होगा। वाहन के अनुपयोग की अवधि के लिये वह कर भुगतान से छूट का अधिकारी है। परिवचन में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि वाहन चलते हुए या अन्य स्थान पर रखा हुआ पाया गया तो यह माना जायेगा कि इस पूरी अवधि में बिना कर भुगतान किये, उस वाहन का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, कर या कर की किस्त के अंतिम भुगतान के पश्चात् यदि उस वाहन का उपयोग बिहार में लगातार कम से कम एक कैलेन्डर महीने तक नहीं हुआ है तो सक्षम अधिकारी मालिक को कर के बकाया भुगतान से छूट दे सकता है। कर से छूट का आवेदन अस्वीकृत होने पर अर्थदंड के साथ बकाया कर वसूली के लिये तत्काल कार्रवाई की जानी है।

(क) 3 जिला परिवहन कार्यालयों (धनबाद,पुर्णिया और राँची) में देखा गया (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि 27 वाहन मालिकों ने अपने वाहनों के कागजात यद्यपि अभ्यर्पित किये (जून 1981 और नवम्बर 1994 के बीच), किंतु संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने विभिन्न अवधि में (जून 1995 और अगस्त 1997 के बीच) उन्हें इस आधार पर अस्वीकार/रद्द कर दिया कि 23 वाहन विनिर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाये गये तथा अन्य मामलों में अभ्यर्पण की अवधि विस्तार के लिये आवेदन नहीं दिये गये। इस प्रकार 10.30 लाख रुपये राशि के पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर अक्तूबर 1997 तक नहीं वसूले गये। बकाये की वसूली के लिये जिला परिवहन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

(ख) 9 जिला परिवहन कार्यालयों* में पता चला (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) कि अगस्त 1992 और मई 1997 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बकाया कर से छूट के आवेदन को अस्वीकार करने के बावजूद 32 वाहनों से जनवरी 1989 और अक्तूबर 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की वसूली नहीं की गयी। फलस्वरूप 14.89 लाख रुपये राशि के कर अनुद्ग्रहित रहे।

* बिहारशरीफ, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और सासाराम (रोहतास)।

(ग) 3 जिला परिवहन कार्यालयों (मधुबनी, पटना और पुर्णिया) में ज्ञात हुआ (जुलाई और नवम्बर 1997 के मध्य) कि 26 वाहनों के संबंध में छः महीने की अवधि के बाद की अभ्यर्पण अवधि के विस्तार के लिये वाहन मालिकों ने कोई नया परिवचन समर्पित नहीं किया। परिणामस्वरुप अधिनियम के अधीन आरोप्य अर्थदंड के अलावा फरवरी 1990 और नवम्बर 1997 के बीच की अवधि के लिये 6.25 लाख रुपये राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

इन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि 45 मामलों में छानबीन की जायेगी, 22 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा शेष मामलों के उत्तर नहीं दिये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और जनवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

5.4. वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व का कम उद्ग्रहण होना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था का वाहन, जिसका उपयोग पूर्णत: शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया-कलाप के लिये होता है, ऑम्नीबस वाहन माना जाता है और तदनुकूल कर का आरोपण होता है। जुलाई 1994 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक निर्देशानुसार यह सुविधा उन संस्थाओं को नहीं मिलेगी जिन शैक्षणिक संस्थाओं को बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है।

10 जिला परिवहन कार्यालयों* में देखा गया (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) कि 43 परिवहन वाहन, जिनके लिये यद्यपि जनवरी 1989 से दिसम्बर 2005 तक के कर का भुगतान किया गया था तथा जो बिहार/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्य किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, को 'ऑम्नीबस' माना गया और पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर कम दर पर उद्ग्रहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 23.41 लाख रुपये राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने बताया कि 21 मामलों में जाँच की जायेगी, 7 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे, 2 मामलों में संबंधित संस्था से जानकारी ली जायेगी तथा 10 मामलों में तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। शेष 3 मामलों में कोई उत्तर नहीं दिया गया। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

---

* बिहारशरीफ, बोकारो, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, हाजीपुर (वैशाली), पटना और राँची।

5.5. कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी

समय-समय पर यथा संशोधित बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, उस वर्ष या तिमाही, जैसा भी हो, के आरंभ में 15 दिनों के अंदर भुगतेय है।

4 जिला परिवहन कार्यालयों* में देखा गया (अप्रैल और अक्तूबर 1997 के बीच) कि 60 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया (जनवरी 1989 और सितम्बर 1997 के बीच) तथा परिवर्तित पते के संबंध में कोई सूचना अभिलेखित नहीं थी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1989 से सितम्बर 1997 की अवधि से संबंधित 21.36 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और अक्तूबर 1997 के बीच) संबंधित प्राधिकारियों ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

इन मामलों से सरकार को जनवरी 1998 में अवगत कराया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

5.6. बकाया देय किस्तों का उद्ग्रहण नहीं होना

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा जनवरी 1984, अगस्त 1985, जून 1988, नवम्बर 1991 और सितम्बर 1992 में निर्गत कार्यपालक निर्देशों के अनुसार वर्तमान कर के साथ बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर प्राधिकारी द्वारा नियत किस्तों में उद्ग्रहणीय थे जिसमें चूक होने पर बकाया की समग्र राशि का उद्ग्रहण अर्थदंड सहित एकमुश्त किया जाना था।

11 जिला परिवहन कार्यालयों** में देखा गया (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच) कि 32 परिवहन वाहन मालिकों को वर्तमान तिमाही कर के साथ बकाये कर की एक तिहाई एकमुश्त भुगतान करने पर जनवरी 1989 से मई 1997 की अवधि के लिये बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गयी। तथापि, यह अवलोकित हुआ कि 8 मामलों में परवर्ती एक भी किस्त का उद्ग्रहण नहीं हुआ और 24 मामलों में केवल कुछ ही किस्त उद्ग्रहित हुए । 12.53 लाख रुपये राशि के शेष किस्तों के उद्ग्रहण के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच),जिला परिवहन अधिकारी, हजारीबाग ने कहा (जुलाई 1998) कि दो में से एक मामला में कुल 0.16 लाख रुपये की वसूली हो गयी है तथा अन्य संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवंबर 1997 के बीच) कि 23 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा एक मामला में जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। 7 मामलों में उत्तर नहीं दिये गये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

---

* धनबाद, देवघर, गया और हजारीबाग।

** बिहारशरीफ (नालन्दा), बोकारो, धनबाद, दुमका, डाल्टेनगंज, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, पटना, राँची और सासाराम (रोहतास)।

5.7. वाहनों को अधिकार में लेने की तिथि से कर का नहीं लगाया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार जिस व्यक्ति ने केन्द्रीय/राज्य सरकार की ओर से संचालित नीलामी में कोई वाहन प्राप्त किया या खरीदा, उसे वाहन को अधिकार में लेने के तीस दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को उचित शुल्क सहित आवेदन देना है। इसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार पंजीकृत वाहन के प्रत्येक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को, अधिनियम की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दर पर, वार्षिक या तिमाही, पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है।

6 जिला परिवहन कार्यालयों* की लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल और सितम्बर 1997 के बीच) यह देखा गया कि दिसंबर 1978 और फरवरी 1996 की मध्यावधि में नीलामी द्वारा प्राप्त 31 मिलिटरी निष्पादन वाहन के मालिकों ने मार्च 1995 और मार्च 1997 के बीच नये पंजीयन चिह्न आबंटित करने के लिए आवेदन दिया। इन मालिकों ने 12 से 209 महीने के विलंब से नये पंजीयन चिह्न आबंटित करने के लिए आवेदन दिया। इस तरह जनवरी 1989 और फरवरी 1997 के बीच की अवधि में वाहनों के अधिकार में लेने की तिथि से कर के नहीं लगाये जाने से 12.07 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और सितंबर 1997 के बीच), जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि 16 मामलों की जाँच की जायेगी और तदनुकूल कार्रवाई की जायेगी, 11 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे तथा 4 मामलों में नीलामकर्त्ता को की गयी नीलामी की पुष्टि के लिये लिखा गया है। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.8. सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया/वसूला जाना

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत वाहन के प्रत्येक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, विहित दर पर कर देना है। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अनुसार समय पर कर न देने पर विलम्ब की अवधि और निर्दिष्ट दर के अनुरुप शास्ति/अतिरिक्त कर लगाया जाना है।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की लेखापरीक्षा के दौरान (दिसम्बर 1997) यह देखा गया कि 10 जिलों** में 212 सरकारी वाहनों से फरवरी 1989 और फरवरी 1994 की मध्यावधि के लिये 10.79 लाख रुपये राशि के पथ कर और अतिरिक्त मोटर वााहन कर दिसम्बर 1997 तक उद्ग्रहित नहीं किये गये।

---

* बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पटना और वैशाली।

** अररिया, बोकारो, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर और साहेबगंज।

इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (दिसम्बर 1997) कि बकाये कर की वसूली सुनिश्चित करने के लिये संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.9. विलंबित कर भुगतान पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत वाहन मालिकों को विहित समय के अन्दर कर भुगतान करना है। व्यतिक्रम के मामले में, उन्हें भुगतान के महीने तक संगणित अतिरिक्त कर के रुप में कर या करों की उक्त राशि का 50 प्रतिशत देना है।

7 जिला परिवहन कार्यालयों * में देखा गया (अप्रैल और नवंबर 1997 के बीच) कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल 101 वाहनों से जुलाई 1989 और दिसम्बर 1994 के बीच की अवधि के लिये 10.09 लाख रुपये राशि के अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि 71 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे और शेष 30 मामलों की छानबीन की जायेगी। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.10. बकाये कर का उद्ग्रहण किये बिना वर्तमान कर का उद्ग्रहण होना

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994 द्वारा प्रतिस्थापित) और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार करारोपण अधिकारी किसी मोटर वाहन या परिवहन वाहन की वर्तमान तिमाही के कर के भुगतान को अस्वीकार कर सकता है जब तक कि उस वाहन पर पूर्व के देय कर का पूर्ण भुगतान या निराकरण नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त, बिहार मोटर वाहन करारोपण (वैधकरण) अधिनियम, 1995 के अधीन विहित समय के अन्दर कर का भुगतान नहीं होने पर अर्थदंड या अतिरिक्त कर, जैसा भी हो, लगाया जाना है।

5 जिला परिवहन कार्यालयों ** में देखा गया (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि 39 वाहनों से संबंधित वर्तमान करों को स्वीकार करते समय जनवरी 1989 और फरवरी 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये अतिरिक्त कर/अर्थदंड के अलावा 5.60 लाख रुपये राशि के बकाये का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

* बोकारो, दुमका, धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

** बिहारशरीफ, डाल्टेनगंज, हजारीबाग, खगड़िया और राँची।

इसे बताये जाने पर (मई और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारी, हजारीबाग ने कहा (जुलाई 1998) कि एक मामला में 0.01 लाख रुपये की वसूली की गयी और 24 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये गये तथा शेष मामलों में संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और जनवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

5.11. कर प्रभावी वाहनों का सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होना

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार पंजीकृत वाहन के हर एक मालिक या मोटर वाहन पर अधिकार या नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति को वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, कर देना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी निश्चित अवधि के लिये यदि अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे करारोपण अधिकारी को इस आशय का घोषणापत्र देना है तथा कर प्रतीक और पंजीयन प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना हैं। वाहन के अनुपयोग की अवधि में वह कर भुगतान से छूट का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, जुलाई 1991 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक निर्देश के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को, वैसे वाहनों को, जो वाहन कर भुगतान नहीं करने की अवधि में दुर्घटनाग्रस्त हुए, अभिग्रहित करते हुए उनके मालिकों के विरुद्ध मामला दायर करना है।

5 जिला परिवहन कार्यालयों * में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1997 और मार्च 1998 के बीच) कि जनवरी 1989 और मार्च 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 10 मोटर वाहन मालिकों ने पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया । मोटर वाहन निरीक्षकों के दुर्घटना प्रतिवेदन से भी यह पता चला कि कर भुगतान न करने की अवधि में ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए। इससे यह साबित होता है कि बिना कर भुगतान किये राज्य में वाहन चलाने पर किसी प्रभावी प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त इन वाहनों के लिए पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की राशि 6.49 लाख रुपये थी।

इसे बताये जाने पर (मई 1997 और मार्च 1998 के बीच) जिला परिवहन अधिकरियों ने कहा कि 5 मामलों में माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। अन्य मामलों में उत्तर नहीं दिये गये। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और मार्च 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

5.12. परिवहन वाहन के पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता का गलत अवधारण होना

कर अवंधारण के लिये 1 अप्रैल 1983 से विनिर्माता द्वारा प्रमाणित सकल लदान-भार वाहन का पंजीकृत लदान-भार माना जाता है। इसके अतिरिक्त, मई 1986 और नवम्बर 1991 में

* बोकारो, चाईबासा, दुमका, पटना और सहरसा।

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत कार्यपालक निर्देशों के अनुसार यात्री परिवहन वाहनों की बैठान क्षमता उनके अगले तथा पिछले पहिये के बीच की दूरी (व्हील बेस) के आधार पर निर्धारित की गयी। राज्य परिवहन आयुक्त की बिना सहमति के बैठान क्षमता कम करना स्वीकार्य नहीं है।

5 जिला परिवहन कार्यालयों* की लेखापरीक्षा के दौरान पता चला (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) कि 52 माल एवं यात्री परिवहन वाहनों के मामले में जनवरी 1989 और नवम्बर 1997 के बीच की विभिन्न अवधि के लिए पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता उक्त निर्देशों के अनुसार अवधारित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 4.52 लाख रुपये राशि के पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल और नवम्बर 1997 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (मई और नवम्बर 1997 के बीच) कि मामले की जाँच की जायेगी और उक्त निर्देशों के अनुसार पंजीकृत लदान-भार/बैठान क्षमता संशोधित करने के पश्चात् माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 और फरवरी 1998 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 1998)।

* धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, पुर्णिया और राँची।

अध्याय 6

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.	57
बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी भूमि के हस्तान्तरण तथा उपयोग में अनियमिततायें	6.2.	57
भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का कम लगाया जाना	6.3.	62
भूदान यज्ञ के अंतर्गत दान की गयी भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	6.4.	63
सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण/ उद्ग्रहण नहीं होना	6.5.	63
सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	6.6.	64

भू-राजस्व

अध्याय 6
भू-राजस्व

6.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्व अंचलों की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जाँच से 69595.46 लाख रुपये के उपकरों के नहीं लगाये जाने/कम लगाये जाने, राजस्व की हानि आदि के 504 मामलों का पता चला, जो सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1. सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण नहीं होना	62	1768.86
2. उपकरों और/या उपकरों के बकाये पर ब्याज का नहीं लगाया जाना या कम लगाया जाना	126	1212.66
3. सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	173	236.12
4. सैरातों* की बंदोबस्ती नहीं होना	68	64.67
5. अन्य मामले	75	66313.15
कुल	504	69595.46

वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 3259.71 लाख रुपये के अवनिर्धारण इत्यादि के 492 मामलों को स्वीकार किया जिनमें से 2308.91 लाख रुपये के 105 मामले वर्ष 1997-98 की लेखापरीक्षा में बताये गये थे और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में।

'बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी भूमि के हस्तान्तरण तथा उपयोग में अनियमिततायें' पर एक समीक्षा तथा दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले जिनमें 14334.81 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

6.2. बड़े औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी भूमि के हस्तान्तरण तथा उपयोग में अनियमिततायें

6.2.1. प्रस्तावना

कार्यपालक अनुदेशों के साथ पठित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी भी निजी भूमि को, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जरुरत है, अधिग्रहित करने का अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि सरकारी सम्पदा हो जाती है तथा बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953 के प्रावधानों द्वारा शासित है। राजस्व मुक्त अनुदान या अधिभोग मूल्य (बाजार मूल्य) के भुगतान पर सरकार को कोई भी [illegible]हित भूमि या स्वयं में सन्निहित भूमि औद्योगिक इकाइयों को प्रदान करने का अधिकार है।

* नौघाटों, बाजार, हाट इत्यादि के रुप में भूमि से प्राप्त लाभ सैरात कहा जाता है।

6.2.2. संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक, भूमि अधिग्रहण, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शीर्ष स्तर पर भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं के अनुस्रवण के मामले में उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में उन्हें 2 भूमि अधिग्रहण पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। जिला समाहर्ता, जिनको अपर समाहर्ताओं तथा जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों को लागू करते हैं। भूमि के प्रबंधन तथा उसपर राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण को शासित करने वाले कानून राज्य सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग जिसके प्रधान भूमि सुधार आयुक्त/सचिव है, द्वारा लागू किये जाते हैं। कुशल प्रशासन के लिए राज्य को 13 असैनिक मण्डलों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रत्येक एक मण्डल आयुक्त के अधीन होता है। प्रत्येक मण्डल को जिलों (55) में विभक्त किया गया है जिनके शीर्ष पदाधिकारी उपायुक्त/समाहर्ता होते हैं जिनको अपर-समाहर्ताओं, अनुमण्डल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं का सहयोग प्राप्त होता है। निर्धारण तथा संग्रहण के लिए मुख्य इकाई राजस्व अंचल है जो अंचल अधिकारी के प्रभार में होता है।

2 सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों* (बेगुसराय तथा बोकारो) और स्टील क्षेत्र में एक बड़ी निजी औद्योगिक इकाई** (जमशेदपुर) के मामले में भूमि के हस्तांतरण और उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों की एक समीक्षा दिसम्बर 1997 तथा जून 1998 के मध्य की गयी और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये है :-

6.2.3. विशिष्टतायें

(i) सिंहभूम जिला में **581.84** लाख रुपये की सलामी तथा वाणिज्यिक लगान का भुगतान किये बिना एक निजी क्षेत्र उद्योग ने अन्य उद्योग को भूमि का उप-पट्टा दिया।

[कंडिका **6.2.4.**]

(ii) बोकारो जिला में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सिंहभूम जिला में एक निजी क्षेत्र तथा इसके शिकमी पट्टेदार उद्योग के मामले में **442.67** एकड़ भूमि का अनियमित उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप सलामी, वाणिज्यिक लगान और आवासीय लगान के रुप में **12987.55** लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका **6.2.5.**]

(iii) सही समय पर आवेदन करने के बावजूद एक निजी क्षेत्र उद्योग के पट्टा अनुबंध का नवीकरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ दुगुने लगान के रुप में **47.70** लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका **6.2.6.**]

(iv) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा एक निजी क्षेत्र उद्योग से संबं[illegible] **14401.785** एकड़ भूमि का न तो उपयोग किया गया और न उसे सरकार को वापस ही किया गया।

[कंडिका **6.2.7.**]

* बरौनी तेलशोधक,बेगुसराय और बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो।

** टिस्को, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

(v) बेगुसराय और बोकारो जिले के 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 1956-57 से 1984-85 के दौरान भूमि हस्तांतरित कर दिये जाने के बावजूद हस्तांतरण दस्तावेज निष्पादित नहीं किये गये।

[कंडिका 6.2.8.]

6.2.4. सलामी तथा वाणिज्यिक लगान के भुगतान किये बिना भूमि का पट्टा

बिहार सरकार के साथ टिस्को, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) द्वारा निष्पादित हस्तांतरण दस्तावेज और अनुबंध पत्र (अगस्त 1985) की शर्तों के अनुसार तथा बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (इस अधिनियम के प्रारम्भ से लागू) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी की खाली भूमि राज्य सरकार के अनुमोदन से पट्टा पर दी जा सकती है जो कि उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबंधों पर कम्पनी का उप-पट्टा समझा जायेगा। यह भी विहित है कि कम्पनी राज्य सरकार को कोई प्रीमियम या सलामी, जो कम्पनी द्वारा 1 जनवरी 1956 के बाद हुई बन्दोबस्ती, पट्टा के लिए वसूली जाती है, भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। सलामी तथा लगान की राशि बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियामवली,1953 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी। चूक के मामले में 13 प्रतिशत की दर से ब्याज भी आरोप्य होगा।

टिस्को, जमशेदपुर पट्टा क्षेत्र का 53.05 एकड़ का एक क्षेत्र 31 दिसम्बर 1995 तक 200 रुपये प्रति एकड़ के वार्षिक लगान पर टाटा टिमकेन लिमिटेड को राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् तथा पट्टा लगान में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी द्वारा, कम्पनी पट्टा के नवीकरण के आधार पर, अगले तीस वर्षों के पट्टा के नवीकरण प्रावधानों के साथ शिकमी पट्टा पर दिया गया (1990)। लेकिन पट्टा अनुबंधों तथा नियम की शर्तों के उल्लंघन से 581.84 लाख रुपये (सलामी : 238.73 लाख रुपये, वाणिज्यिक लगान : 82.81 लाख रुपये तथा ब्याज : 260.30 लाख रुपये) का सलामी, वाणिज्यिक लगान तथा ब्याज नहीं लगाया गया।

6.2.5. भूमि के अनियमित हस्तांतरण/उपयोग के कारण राजस्व की हानि

भूमि अधिग्रहण (कम्पनी) नियम, 1963 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार तथा बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियामावली, 1953 में समाविष्ट राज्य भूमि के हस्तानांतरण के लिए अनुबंधों के मानक रुप के अनुसार अनुदान ग्राही भूमि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, उससे भिन्न अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। संबंधित सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना जिस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित/प्रदान की गई है उस प्रयोजन से विचलित होने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो के मामला में यद्यपि हस्तांतरण का दस्तावेज निष्पादित नहीं था, सरकार के अनुमोदन के बिना कम्पनी के नियत उद्देश्य के अलावे अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निजी एजेन्सियों को 417.59 एकड़ सरकारी भूमि (गैर मजरुआ आम) शिकमी पट्टा पर दी गई। इसमें से 42.39 एकड़ विपणन समूहों, आवासीय होटलों, पेट्रोल पम्पों तथा सिनेमा घरों को और 90 एकड़ कम्पनी के सेवा निवृत्त एवं सेवारत अधिकारियों की गृह निर्माण सहयोग समिति को शिकमी पट्टा पर दिया गया। 285.2 एकड़ अवशेष भूमि का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3 मामले में 10.08 एकड़ भूमि टिस्को, जमशेदपुर द्वारा अक्तूबर 1996 से पहले गैर सरकारी व्यक्तियों को वाणिज्यिक/आवासीय प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई। पट्टाधारियों द्वारा निर्माण कार्य किया गया जबकि शिकमी पट्टे का प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित था और एक मामला में 15 एकड़ भूमि पट्टा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गृहों के निर्माण के लिए अन्य कम्पनी (टेल्को) द्वारा उद्योग के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों की गृह निर्माण सहयोग समिति को शिकमी पट्टा पर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हुई।

1997-98 तक की अवधि के लिए सलामी, वाणिज्यिक/आवासीय लगान के रुप में कुल 12987.55 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	उद्योग का नाम	अनियमित रुप से शिकमी पट्टा पर दिया गया क्षेत्र (एकड़ में)	राजस्व हानि			योग
			सलामी	वाणिज्यिक लगान	आवासीय लगान	
1	बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो	417.59	10439.75	409.49	45.00	10894.24
2	टिस्को, जमशेदपुर	10.08	90.72	2.62	0.77	94.11
3	टेल्को, जमशेदपुर	15.00	1960.00	-	39.20	1999.20
	कुल	442.67	12490.47	412.11	84.97	12987.55

एक मामले में विभाग ने बताया (मई 1998) कि उचित कार्रवाई की जायेगी, जबकि अन्य मामलों में बताया गया (जून 1998) कि मामले सरकार को पहले ही प्रतिवेदित कर दिये गये हैं।

6.2.6. पट्टा का नवीकरण नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953 के प्रावधानों के अनुसार, जब पट्टाधारी पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद भी लगान की नियमित अदायगी जारी रखता है तथा वह पट्टा की शर्तों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो पट्टा का नवीकरण, नवीकरण की तिथि से ब्याज सहित मूल पट्टा में विहित लगान का दुगुना अधिरोपित करने के बाद ही, विद्यमान शर्त्तों तथा बंधों पर किया जा सकता है।

टिस्को, जमशेदपुर के मामले में 14437.86 एकड़ भूमि का पट्टा उसकी समाप्ति के बाद (दिसम्बर 1995) भी नवीकृत नहीं हुआ। उद्योग समाप्त पट्टा अनुबंध के अनुसार ही वार्षिक लगान की अदायगी जारी रखे हुए था तथा सरकार को इसके नवीकरण के लिए पहले ही आवेदन (अगस्त 1995) दिये हुए था। पट्टा का नवीकरण नहीं होने के कारण (जून 1998) सरकार को लगान, उपकर तथा ब्याज के रुप में 1 जनवरी 1996 से 31 मार्च 1998 की अवधि में 47.70 लाख रुपये का राजस्व अनुद्ग्रहित रह गया।

6.2.7. भूमि का उपयोग नहीं होना

भूमि अधिग्रहण (कम्पनी) नियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कम्पनी भूमि का केवल एक हिस्सा ही अपेक्षित प्रयोजनों के लिए उपयोग करती है और सरकार इससे संतुष्ट है कि

कम्पनी अपने द्वारा उपयोग में लायी गयी भूमि के हिस्से का उपयोग जारी रख सकती है तो सरकार अनुपयोग में रही भूमि के ऐसे हिस्से के हस्तांतरण को रद्द घोषित करने का आदेश पारित कर सकती है और तदनुरुप अनुपयोग में रहा ऐसा भूखण्ड सरकार को वापस हो जायेगा।

टिस्को, जमशेदपुर और बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो के मामले में, वर्ष 1912 से 1985 के दौरान हस्तांतरित की गई कुल 48078.562 एकड़ भूमि (14437.86 एकड़ + 33640.702 एकड़) में से केवल 33676.777 एकड़ का ही मार्च 1998 तक उपयोग किया गया तथा 14401.785 एकड़ भूमि अनुपयोग में ही पड़ी रही।

उपर्युक्त अनुपयोग में रही भूमि के हस्तांतरण को रद्द करने संबंधी घोषणा तथा सरकार को उसकी वापसी संबंधी कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई।

टिस्को, जमशेदपुर के संबंध में पट्टा का नवीकरण चूंकि सरकार के पास अगस्त 1995 से ही लंबित पड़ा हुआ है, अनुपयोग में रही भूमि और लगान संबंधी मामले पर सरकार द्वारा पट्टा पर अंतिम निर्णय के समय विचार किया जा सकता है।

6.2.8. हस्तांतरण दस्तावेज का निष्पादन नहीं होना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कम्पनी का राज्य सरकार के साथ सरकार की संतुष्टि हेतु हस्तांतरण दस्तावेज, जिससे हस्तांतरिती/पट्टाधारी द्वारा ऐसी सम्पत्ति को उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है, के रुप में एक अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित होगा।

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में वर्ष 1956-57 से 1984-85 के दौरान विभिन्न चरणों में 35332.85 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई, लेकिन किसी भी मामले में हस्तांतरण के दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	हस्तांतरित क्षेत्र (एकड़ में)	हस्तांतरण का वर्ष
1	बरौनी तेल शोधक, बरौनी	1692.15	1959-60 से 1963-64
2	बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो	33640.70	1956-57 से 1984-85
	कुल	35332.85	

विभाग ने बताया (मई 1998) कि मामला सरकार के समक्ष लाया जायेगा।

6.2.9. भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों का पुष्टीकरण नहीं होना

सरकारी अनुदेशों के अनुसार जब भूमि स्थायी रुप से अधिग्रहित की जाती है, तो समाहर्ता प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यवाहियों का एक अंतिम प्रतिवेदन तैयार करेगा और महालेखाकार, बिहार को अंतिम लेखा प्रस्तुत करेगा और उसी की एक प्रति भूमि अधिग्रहण निदेशालय, बिहार को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंतिम लेखा प्रस्तुत करने के बाद समाहर्ता भूमि

अधिग्रहण कार्यवाहियों की पुष्टि के लिए सम्बद्ध अभिलेखों के साथ एक प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण निदेशालय, बिहार को भेजेगा।

बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो तथा बरौनी तेल शोधक, बरौनी के मामलों में न तो अन्तिम लेखा ही महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया न भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों को निदेशालय, भूमि अधिग्रहण, बिहार द्वारा पुष्टि ही कराया गया। इन सभी मामलों में विभाग ने बताया कि उपर्युक्त विषय पर सभी जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारियों की बैठक बुलायी जायेगी और आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

उपर्युक्त बिन्दुओं को विभाग/सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

6.3. भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का कम लगाया जाना

सरकार ने छोटानागपुर और संथाल परगना के असैनिक (सिविल) प्रमंडलों के 7 जिलों में 3 हेक्टेयर तक और राज्य के अन्य जिलों में 2 हेक्टेयर तक की छोटी जमाबंदी पर 1 अप्रैल 1978 से लगान से छूट दे दी। किंतु, सरकारी अनुदेशों के अनुसार ऐसी जमाबंदी पर विभिन्न उपकरों, जैसे पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर और कृषि विकास उपकर जो संबद्ध उपकर अधिनियम के अंतर्गत आरोप्य हैं, से छूट नहीं दी गयी थी। सितंबर 1982 में सरकार ने विभिन्न उपकरों की संशोधित दरों की सूचना के साथ बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारियों को निदेशित किया कि भू-लगान से विमुक्त काश्तकारों सहित सभी काश्तकारों (रैयतों) पर उपकर लगायें और वसूल करें।

वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1996-97 से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिकायें क्रमश: 5.7., 5.4., 5.5., 5.3., 5.3, 5.2 और 6.7 में इस विषय पर और इससे पड़ने वाले राजस्व के प्रभाव की चर्चा की गयी थी। इन मामलों में अभी भी उपकर नहीं लगाये जा रहे हैं।

अपर समाहर्ता, भोजपुर (आरा) के अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और 5 राजस्व अंचलों* में भू-लगान से विमुक्त जमाबंदियों पर संशोधित दरों पर उपकर नहीं लगाये गये थे। वर्ष 1991-92 से 1995-96 के लिए कम लगाये गये उपकर की कुल राशि 132.60 लाख रुपये संगणित की गयी।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 1995 और मार्च 1997) विभाग ने कहा कि मामलों की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1996 और जुलाई 1997 के मध्य), तत्पश्चात् स्मार पत्र भी दिया गया (जुलाई 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

---

* बथनाहा (सीतामढ़ी), चाँद (कैमूर), फुलवारीशरीफ (पटना), पिपरा (सुपौल) और पिरपैंती (भागलपुर)।

6.4. "भूदान यज्ञ" के अंतर्गत दान की गयी भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना

"भूदान यज्ञ" अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों या एक ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत या सहकारी समिति को विहित तरीके से देना हैं। भूमि प्राप्तकर्ता को वे सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त होंगे जो दानकर्ता को प्राप्त थे। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्राप्तकर्ता को लगान और उपकर के भुगतान की शर्तों पर उस भूमि का भोगाधिकार होगा।

अपर समाहर्ता, नवादा और पुर्णिया के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र और 7 राजस्व अंचलों* में वर्ष 1955-56 के दौरान 77989.5475 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ के अंतर्गत दान की गयी थी जिसमें 34335.77 एकड़ भूमि योग्य व्यक्तियों के बीच वितरित की गयी और 1565.585 एकड़ भूमि बंदोवस्ती के लिए अयोग्य थी। शेष 42088.1925 एकड़ भूमि वितरण हेतु लंबित थी (अप्रैल 1991 से मार्च 1997)। यदि सरकार ने शेष बची भूमि की बंदोबस्ती कर दी होती तो उसे 16.32 लाख रुपये का राजस्व उपकर और भू-लगान के रूप में प्राप्त होता ।

इसे बताये जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि शेष भूमि की बंदोबस्ती हेतु कार्रवाई की जायेगी।

इसे सरकार को बताया गया (अगस्त 1995 और जुलाई 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

6.5. सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के अंतर्गत कोई रैयत जिसका किसी भूमि पर स्वत्वाधिकार है, सन्निहित सम्पदा में धारण का अधिकार रखते हुए, उस भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार कर सकता है, बशर्ते कि इस उपयोग से भूमि की उपयोगिता में भौतिक रुप से ह्रास न हो जाय या वह काश्तकारी प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त न हो जाय। कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करना कृषि संबंधी काश्तकारी प्रावधानों का उल्लंघन करना है। ऐसी हालत में सरकार को यह अधिकार है कि भूमि की उपयोगिता में ह्रास करने वाले रैयत को बेदखल कर दे या बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953 में दिये गये नियमों के अनुसार उचित जमाबंदी मूल्य निर्धारित कर उस अधिभोग को नियमित कर दे जिसके अनुसार उस भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी के साथ ऐसी सलामी का बीसवाँ भाग वार्षिक लगान पूर्व निर्धारित लगान के बदले देय होगा।

7 जिलों के 10 राजस्व अंचलों** में 247 रैयतों ने जिनको अपनी भूमि पर खेती करने का काश्तकारी अधिकार प्राप्त था, 55.395 एकड़ भूमि को 1960 से 1997 की अवधि के दौरान दूकान, आरा मशीन और होटल स्थापित करके वाणिज्यिक उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिया। इनमें से किसी भी मामले में, लागू नियमों के अंतर्गत, रैयतों को अधिभोग के अधिकार से बेदखल करने या

---

* गोविन्दपुर (नवादा), कुचायकोट, कटेया, माँझा (गोपालगंज), नगरउटारी (गढ़वा), पीरटांड़ (गिरिडीह) और रफीगंज (औरंगाबाद)।

** अरेराज (पूर्वी चम्पारण), ढोली (मुजफ्फरपुर), जामताड़ा (दुमका), जुगसलाई (पूर्वी सिंहभूम), निर्मली (सुपौल), सरैया, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर), सिमडेगा (गुमला), सिंधेश्वर (मधेपुरा) और तुरकौलिया (पूर्वी चम्पारण)।

सलामी और वाणिज्यिक लगान निर्धारित कर नियमित करने संबंधी कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1997 की अवधि में 554.13 लाख रुपये के राजस्व (सलामी 471.76 लाख रुपये और वाणिज्यिक लगान 82.37 लाख रुपये) का उदग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल 1996 और अप्रैल 1998 के मध्य) अंचल अधिकारियों ने कहा कि सलामी तथा वाणिज्यिक लगान की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1997 तथा जुलाई 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्तूबर 1998)।

6.6. सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-मजरुआ खास भूमि पर से बिचौलियों के अधिकार समाप्त कर दिये गये और इस प्रकार की सभी भूमि सरकार में सन्निहित हो गयी। सरकार ने समय-समय पर राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किये कि बंदोबस्त नहीं की गयी गैर-मजरुआ खास भूमि से संबंधित सभी मामलों की जाँच की जाय और इस प्रकार की भूमि को उपयुक्त श्रेणी के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूमिहीनों के साथ बंदोबस्त किया जाय।

5 जिलों के 5 राजस्व अंचलों* में 165143.53 एकड़ गैर-मजरुआ खास भूमि 1955-56 में सरकार में सन्निहित हो गयी जिसमें 61736.71 एकड़ भूमि मार्च 1997 तक बन्दोबस्ती के योग्य थी परन्तु मात्र 40683.07 एकड़ भूमि ही बन्दोबस्त हो सकी और शेष 21053.64 एकड़ भूमि विभाग द्वारा बन्दोबस्त नहीं की गयी। वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक उचित और साम्यपूर्ण लगान पर इन भू-खंडों की बन्दोबस्ती नहीं करने के फलस्वरूप लगान और उपकरों के रुप में 14.67 लाख रुपये का राजस्व प्रभावित हुआ। वर्ष 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 से सम्बंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस प्रकार की भूमि की बंदोबस्ती में विलंब और राजस्व पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की चर्चा की गयी थी। अनियमितता अभी भी जारी है।

इसे विभाग को बताये जाने पर (जून 1995 और अक्तूबर 1997 के मध्य) विभाग ने कहा कि बंदोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है । तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1996 और जनवरी 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

* बेलहर (बांका), गोमिया (बोकारो), गया (गया), पोटका (पूर्वी सिंहभूम) और तेघरा (बेगुसराय)।

अध्याय 7

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1.	65
क. मुद्रांक और निबंधन फीस		
संपत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का कम उद्ग्रहण होना	7.2.	66
ख. ईख पर कर		
ईख के क्रय पर कर का भुगतान नहीं/कम करना	7.3.	66
बकाये कर पर ब्याज नहीं लगाया जाना	7.4.	67
ग. मनोरंजन कर		
मनोरंजन कर का कम लगाया जाना	7.5.	67

अन्य कर-प्राप्तियाँ

अध्याय 7
अन्य कर प्राप्तियाँ

7.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में अधोलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कर, फीस, शुल्क का अवनिर्धारण और राजस्व की हानि आदि का पता चला, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
(क)	मुद्रांक और निबंधन फीस		
1.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क आदि कम लगाया जाना	44	15.14
2.	अनियमित छूट की स्वीकृति	52	10.45
3.	संशोधित दरों के नहीं लगाए जाने के कारण मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस की कम वसूली होना	31	12.74
4.	अन्य मामले	129	3234.05
	कुल	256	3272.30
(ख)	ईख पर कर		
1.	बकाए कर पर ब्याज का नहीं लगाया जाना	5	24.43
2.	कारखाने से चीनी हटाए जाने पर कर की वसूली नहीं होना	3	4.15
3.	अन्य मामले	1	213.24
	कुल	9	241.82
(ग)	मनोरंजन कर		
1.	मनोरंजन कर का कम लगाया जाना	6	11.54
2.	अन्य मामले	4	0.67
	कुल	10	12.21
(घ)	विद्युत शुल्क		
1.	विद्युत शुल्क कम लगाया जाना	13	230.10
2.	लाइन हानि की अधिक अनुमति के कारण अवनिर्धारण	1	8.23
3.	अन्य मामले	15	7.33
	कुल	29	245.66

1997-98 के दौरान संबंधित विभागों ने 104 मामलों में 698.66 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 244.96 लाख रुपये से संबंधित 49 मामले 1997-98 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष मामले पिछले वर्षों में बताए गए थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 254.37 लाख रुपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त था, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए जा रहे हैं :-

क. मुद्रांक और निबंधन फीस

7.2. सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का कम उद्ग्रहण होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I क में हस्तांतरण के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की दरें, जैसा बिहार राज्य में लागू है, विहित हैं। निबंधन अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद क (i) के अन्तर्गत फीस की तालिका के अनुसार निबंधन फीस भी देय है।

जिला अवर निबंधक, जमशेदपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि 23 फरवरी 1993 को 56163 वर्गफीट भूमि 16505 रुपये प्रतिफल मूल्य के पृथक-पृथक दस्तावेजों पर 93 व्यक्तियों को बेची गई थी। तदन्तर, 25 फरवरी 1993 को उन्ही व्यक्तियों ने फ्लैटों के निर्माण का लागत मूल्य बताये बिना उसी भूमि पर निर्मित फ्लैटों के साथ उस भूमि का उन्हीं 93 व्यक्तियों के लिए त्याग दस्तावेजों का निष्पादन किया। जनवरी 1992 में उपायुक्त, जमशेदपुर द्वारा अनुमोदित मूल्यन के अनुसार फ्लैटों का लागत मूल्य 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से 112.33 लाख रुपये संगणित किया गया। इस मूल्य पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के उद्ग्रहण पर विचार नहीं किया गया। सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य को छिपाने के उद्देश्य से मात्र दो दिनों के बाद ही त्याग दस्तावेज निष्पादित किया गया। इस प्रकार सम्पत्ति के अवमूल्यन के फलस्वरूप 20.64 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की हानि हुई।

निबंधन विभाग ने कहा (अगस्त 1996) कि उक्त राशि का उद्ग्रहण कर लिया गया था तथापि उद्ग्रहण का विवरण सूचित नहीं किया गया (अक्तूबर 1998)।

ख. ईख पर कर

7.3. ईख के क्रय पर कर का भुगतान नहीं/कम करना

बिहार ईख (आपूर्ति और क्रय विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत ईख के उपभोग या उपयोग के लिए किसी निश्चित स्थानीय क्षेत्र में ईख के प्रवेश पर या वहाँ स्थित कारखाने में बिक्री करने पर या कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा या उसकी ओर से ईख की खरीद पर एक रुपया प्रति क्विंटल की दर से कर लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा कारखाने से चीनी तबतक नहीं हटाई जा सकती है जबतक कि उस पर देय कर चुका नहीं दिया गया हो और संबंधित ईख पदाधिकारी से भुगतान संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। अधिनियम में न तो कर से छूट का प्रावधान है और न ही आंशिक भुगतान की अनुमति है।

1996-97 के पेराई मौसम के दौरान राज्य में अवस्थित 17 चीनी मिलों और उत्तप्रदेश के 3 चीनी मिलों ने 341.80 लाख क्विंटल ईख की खरीद की थी जिसपर उनके द्वारा 341.80 लाख रुपये का क्रय कर देय था। जून 1996 तक, 20 चीनी मिलों में से 9 मिलों ने 341.80 लाख रुपये के कर के विरुद्ध 128.56 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया। इस प्रकार

1996-97 के पेराई मौसम के लिए 213.24 लाख रुपये के क्रय कर का भुगतान नहीं/कम किया गया था।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 1997) विभाग ने कहा (दिसम्बर 1997) कि कार्रवाई की जायेगी। तत्पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

7.4. बकाये कर पर ब्याज नहीं लगाया जाना

बिहार ईख (आपूर्ति और क्रय विनियमन) अधिनियम, 1981 में इस बात की व्यवस्था है कि चीनी मिल के मालिक द्वारा ईख की खरीद पर देय कर के बकाये पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (बैंक दर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय) वसूलनीय है।

वर्ष 1995-96 के दौरान चीनी मिलों से 71.29 लाख रुपये के बकाये कर पर देय 7.84 लाख रुपये का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 1997), विभाग ने कहा (दिसम्बर 1997) कि कार्रवाई की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

ग. मनोरंजन कर

7.5. मनोरंजन कर का कम लगाया जाना

बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों (1 अगस्त 1985 से प्रभावी) के प्रावधानों के अन्तर्गत, मनोरंजन गृह का मालिक, सिनेमा गृह की सकल संग्रहण क्षमता के आधार पर विहित दर पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कर की समेकित राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार, मनोरंजन गृह के मालिक के आवेदन पर, अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले प्रपत्र 'सी' में प्रदत्त अनुमतिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों एवं बंधों पर उस अवधि में प्रदर्शित वास्तविक प्रदर्शनों की संख्या के बदले निर्दिष्ट अवधि में विनिर्दिष्ट प्रदर्शनों की संख्या के लिए सिनेमा गृहों की सकल संग्रहण क्षमता के आधार पर नियत प्रतिशतता की समाहित नियत राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकती है। अनुमतिपत्र में इस तरह से निर्दिष्ट कर की राशि प्रत्येक सप्ताह के लिए अग्रिम के रूप में राज्य सरकार को भुगतेय होगा। कर की अदायगी में चूक स्वत: प्रदत्त अनुमति को अमान्य कर देगी। ऐसे मामले में यह समझा जायेगा कि अधिनियम के अन्तर्गत कर की नियत राशि के भुगतान की अनुमति ही नहीं प्रदान की गयी थी और इस तरह करदाता सिनेमा गृह की सकल संग्रहण क्षमता के आधार पर विहित दर पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

(क) रक्सौल वाणिज्यकर अंचल में दो मनोरंजन गृहों के मालिकों ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान नियत साप्ताहिक समाहित कर अग्रिम जमा करने में चूक की। चूँकि करदाता समाहित दर पर कर के भुगतान करने में असफल रहे, इसलिए वे सिनेमा गृह की सकल संग्रहण क्षमता की विहित दर पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कर भुगतान के उत्तरदायी थे, जिसे न तो आरोपित किया गया और न ही करदाताओं द्वारा भुगतान ही किया गया। इसके फलस्वरूप 10.36 लाख रुपये का कर कम लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (मार्च 1997), विभाग ने अतिरिक्त मांग सृजित की (जून 1998)। तथापि, उद्ग्रहण का विवरण सूचित नहीं किया गया है (अक्तूबर 1998)।

(ख) वाणिज्यकर अंचल, नवादा में एक मनोरंजन गृह मालिक द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के समाहित कर जमा किया गया, जबकि समाहित कर जमा करने के लिए अनुमति का आवेदन रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार करदाता सकल संग्रहण क्षमता की विहित दर पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए कर भुगतान का उत्तरदायी था। इसके फलस्वरूप 2.29 लाख रुपये का कर कम लगाया गया।

मामला विभाग को अक्तूबर 1997 में तथा सरकार को मार्च 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

अध्याय 8

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1.	69
क-वृहत् खनिज		
रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना	8.2.	69
ब्याज का नहीं लगाया जाना	8.3.	70
रॉयल्टी की अधिक छूट	8.4.	71
ख-लघु खनिज		
ईंट्ट मिट्टी के अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना	8.5.	71
अर्थदंड/रॉयल्टी का नहीं /कम लगाया जाना	8.6.	72
बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	8.7.	73
रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना	8.8.	74

खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

अध्याय 8
खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

8.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से लगान, रॉयल्टी, शुल्क, इत्यादि के 6432 मामलों में 1491.72 लाख रुपये को अवनिर्धारण तथा हानि का पता चला, जो सामान्य रुप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	अर्थदंड/जुर्माना का नहीं लगाया जाना	3603	508.44
2.	रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना या कम लगाया जाना	277	333.06
3.	कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण रॉयल्टी का कम लगाया जाना	2	229.79
4.	ब्याज का नहीं लगाया जाना	503	107.68
5.	बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने/अनियमित होने के कारण नीलाम राशि का उद्ग्रहण नहीं/कम होना	76	33.18
6.	नियत लगान/भूतल लगान का नहीं लगाया जाना या कम लगाया जाना	56	20.25
7.	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क का नहीं लगाया जाना	240	18.66
8.	नीलामबाद की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जाना	80	13.36
9.	कामगारों द्वारा उपभुक्त कोयले पर रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना	3	0.52
10.	अन्य मामले	1592	226.78
	कुल	6432	1491.72

1997-98 के दौरान संबंधित विभाग ने 1331 मामलों में निहित 524.70 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें 294.49 लाख रुपये के 471 मामले वर्ष 1997-98 की लेखापरीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिसमें 848.33 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव से निहित है; निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

क. वृहत् खनिज

8.2. रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनन पट्टाधारी को पट्टाक्षेत्र से उसके या उसके अभिकर्ता आदि द्वारा हटाये गये या उपभुक्त किये गये किसी खनिज पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। रॉयल्टी का निर्धारण

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी में दिखाये गये प्रेषित या उपभुक्त खनिज पर समुचित सत्यापन तथा जाँच के उपरान्त किया जाता हैं।

4 जिलों* में, 5 सार्वजनिक क्षेत्र तथा एक निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने मार्च 1996 और मार्च 1997 के मध्य 8 मामलों में भंडार में कम किए गये/उपभुक्त/निम्न श्रेणीकृत 602145.62 टन कोयला एवं लौह अयस्क पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया। उपर्युक्त मात्रा पर आरोप्य रॉयल्टी की रकम 266.09 लाख रुपये संगणित की गई।

इन्हें बताये जाने पर (जुलाई तथा नवम्बर 1997 के मध्य) गिरिडीह, हजारीबाग तथा धनबाद के जिला खनन पदाधिकारियों ने 260.88 लाख रुपये के लिए मांग सृजित की (अगस्त 1997 तथा जनवरी 1998 के मध्य)। जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा से 5.21 लाख रुपये के लिए मांग सृजित किये जाने तथा पूर्व में सृजित मांग की वसूली संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

8.3. ब्याज का नहीं लगाया जाना

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लगान, रॉयल्टी, शुल्क या ऐसी कोई भी राशि पर, जो सरकार को देय हो परन्तु भुगतान नहीं की गयी हो, भुगतान के लिए निश्चित तिथि के बीत जाने के बाद 60वें दिन से 1 अप्रैल 1991 से 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 अक्तूबर 1982 तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 31 मार्च 1991 तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान है। बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत निर्गत राजस्व परिषद के निर्देशों के अनुसार माँग के नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देय ब्याज विभाग के अधियाचना अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र की याचना करने की तिथि तक ब्याज की राशि की गणना की जानी चाहिए तथा जिस माँग के लिए नीलामवाद दायर किया जाना है, उस माँग में सम्मिलित की जानी चाहिए।

3 जिला खनन कार्यलयों** में यह देखा गया (दिसम्बर 1996 तथा सितम्बर 1997 के मध्य) कि वृहत खनिजों के 4 पट्टाधारियों ने 1978-79 तथा 1996-97 के मध्य विभिन्न महीनों से सम्बंधित रॉयल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया। आरोप्य ब्याज की कुल राशि 111.28 लाख रुपये संगणित की गया।

इन्हें बताये जाने पर (दिसम्बर 1996 तथा सितम्बर 1997 के मध्य), जिला खनन पदाधिकारी जमशेदपुर ने बताया (सितम्बर 1997) कि 17.11 लाख रुपये के लिए मांग सृजित तथा प्रमाणपत्रित की गयी (1997-98)। जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह ने प्रतिवेदित किया (फरवरी 1998) कि मांग सृजित कर दी गयी है (जनवरी 1998) जबकि जिला खनन पदाधिकारी लोहरदगा

* चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग।

** गिरिडीह, जमशेदपुर और लोहरदगा।

ने बताया (अगस्त 1997) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी तथा मार्च 1998 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

8.4. रॉयल्टी की अधिक छूट

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत पट्टाधारी द्वारा हटाये गये किसी खनिज पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना वांछित है। अन्य कोलियरी को हस्तान्तरित कोयले को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पट्टाक्षेत्र से 'प्रेषित' मानने के कारण कोयले के ऐसे हस्तांतरण पर अंतरितक कोलियरी द्वारा रॉयल्टी देय है।

मेसर्स सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड,बोकारो ने अप्रैल 1996 तथा जनवरी 1997 के मध्य विभिन्न महीनों की मासिक विवरणियों में 2 कोलियरियों से सम्बंधित 19254.21 टन (वाशरी ग्रेड IV) तथा 2405 टन (ग्रेड एफ) कोयले का हस्तांतरण अन्य कोलियरियों को दिखाया तथा 19254.21 टन पर 95 रुपया प्रति टन तथा 2405 टन पर 50 रुपये प्रतिटन की दर के बदले सम्पूर्ण 21659.21 टन पर 50 रुपये प्रति टन की दर से रॉयल्टी का भुगतान किया। प्राप्तकर्ता कोलियरी ने, तथापि, 21714.21 टन (55 टन ग्रेड एफ कोयला अधिक) के लिए 95 रुपया प्रतिटन की दर पर रॉयल्टी के भुगतान से छूट का दावा किया जिसकी अनुमति निर्धारण पदाधिकारी द्वारा दी गयी। इसके फलस्वरूप 9.80 लाख रुपये की रॉयल्टी की अधिक छूट दी गयी।

त्रुटि को बताये जाने पर (जुलाई 1997), जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो ने मांग सृजित की (अगस्त 1997) तथा 8.66 लाख रुपये की वसूली की (मार्च 1998)। तदन्तर शेष माँग की वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को नवम्बर 1997 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

ख – लघु खनिज

8.5. ईंट्ट मिट्टी के अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान (बी.एम.एम.सी.) नियामवली, 1972 तथा इसके अधीन दिनांक 27 मार्च 1992 को सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अंतर्गत प्रत्येक ईंट भट्टा मालिक/ईंट मिट्टी हटाने वाला अनुज्ञप्ति जारी होने से पहले विहित समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान करेगा। पुन:, नियम के अंतर्गत, जो भी बिना वैध पट्टा/अनुज्ञप्ति के लघु खनिज को हटाता है, अर्थदण्ड के रुप में उसका मूल्य भुगतान करने का उत्तरदायी होगा तथा सरकार वैसे व्यक्ति से उस अवधि के लिए जिसके दौरान वैसे व्यक्ति द्वारा बिना किसी न्यायोचित प्राधिकार के भूमि को अधिकृत रखा गया, लगान, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

19 जिला खनन कार्यालयों* में यह देखा गया (फरवरी तथा दिसम्बर 1997 के मध्य) कि 1919 ईंट भट्ठों (ईंट मौसम 1994-95 से 1996-97) को बिना कोई वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये तथा बिना निर्दिष्ट समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये संचालित किया गया। 1520 मामलों में, अर्थदण्ड के रुप में खनिज (ईंट मिट्टी) के मूल्य की वसूली के लिए मांग नहीं की गई जबकि 10 जिला खनन कार्यालयों** से सम्बंधित 399 मामलों में अर्थदण्ड के रुप में खनिज के मूल्य के लिए 1000 रुपये से 22500 रुपये तक मनमाने ढंग से मांग की गयी। ईंट मिट्टी के मूल्य (न्यूनतम) को उसपर देय रॉयल्टी के समरुप लेने पर तथा पूर्व में लगाये गये अर्थदण्ड की राशि को घटाने पर 406.99 लाख रुपये की राशि का अर्थदण्ड नहीं/कम लगाया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1994-95 और 1996-97 के मध्य के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 6.4., 6.2., 6.2.6. (ख) तथा 8.3. (क) में ईंट मिट्टी के इस वृहत् अवैध खनन की चर्चा की गयी थी। तथापि, सरकार द्वारा इस अवैध खनन की रोकथाम के लिए तथा अर्थदण्ड का आरोपण समान आधार पर करने के लिए कार्रवाई शेष है।

इन त्रुटियों को विभाग को बताया गया (फरवरी तथा दिसम्बर 1997 के मध्य) तथा इन्हें सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

8.6. अर्थदण्ड/रॉयल्टी का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत लघु खनिजों के उत्खनन के लिए प्रत्येक पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक महीने विहित प्रपत्र में संबंधित माह के बाद के महीने के 15वें दिन तक एक विवरणी प्रस्तुत करना वांछित है। पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित विवरणी को विहित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल होने पर विहित तिथि की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन के लिए 20 रुपये की दर से अर्थदण्ड के रुप में (अधिकतम 2500 रुपये) भुगतान करना होगा।

जिला खनन पदाधिकारी पट्टाधारी द्वारा देय रॉयल्टी का निर्धारण, उसके द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी के आधार पर करता है। जिला खनन पदाधिकारियों को विवरणियों की जाँच इस उद्देश्य से करना वांछित है कि इनमें निष्कासनों तथा प्रेषणों के सही तथा वास्तविक विवरण है।

(क) मासिक विवरणी नहीं दाखिल करने/विलम्ब से दाखिल करने के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

13 जिला खनन कार्यालयों*** में लघु खनिजों के पट्टाधारियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से उद्धटित हुआ (जून तथा नवंबर 1997 के मध्य) कि 143 पट्टाधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों ने विहित तिथियों के भीतर विवरणियों को प्रस्तुत नहीं किया। जनवरी 1990 और मार्च 1997 के मध्य विभिन्न महीनों के लिए विवरणियों को प्रस्तुत करनें में विलंब एक से 125 दिनों का था। इन मामलों

* भोजपुर, बेगुसराय, दरभंगा, डाल्टेनगंज, धनबाद, गया, गोपालगंज, जमुई, लातेहार, मुजफ्फरपुर, मुंगेर,नवादा, नालंदा, पुर्णियाँ, रोहतास, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, साहेबगंज और वैशाली।

** भोजपुर, बेगुसराय, दरभंगा, जमुई, लातेहार, मुजफ्फरपुर, पुर्णियाँ, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली।

*** चाईबासा, धनबाद, दुमका, गया, हजारीबाग, जमुई, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा, मुंगेर, नवादा, पाकुड़ और साहेबगंज।

में निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया था। विलंब के 1093 मामलों में 143 पट्टाधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से उद्ग्रहणीय अर्थदंड की कुल राशि 26.57 लाख रुपये संगणित की गयी।

त्रुटियों को विभाग को बताया गया (जून तथा नवम्बर 1997 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

(ख) पट्टा क्षेत्र से खनिज के प्रेषण पर रॉयल्टी का कम लगया जाना

जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में यह देखा गया (अगस्त और सितम्बर 1997 के मध्य) कि पत्थर के 17 पट्टाधारियों ने अप्रैल 1996 और मार्च 1997 के मध्य विभिन्न महीनों की मासिक विवरणियों में 39.08 लाख घनफीट के बदले 31.13 लाख घनफीट पत्थर का उत्पादन/प्रेषण दिखाया और पत्थर धूल के अनुपात में 'चिप्स' की कम मात्रा दर्शाकर, पट्टाक्षेत्र से बाहर स्थित पत्थर क्रशर से चिप्स के प्रेषण तथा रेल रसीदों के अनुसार खनिजों का प्रेषण नहीं दिखा कर 7.95 लाख घनफीट (क्रमशः 4 लाख घनफीट, 2.65 लाख घनफीट और 1.30 लाख घनफीट) छिपा लिया। छिपायी गई मात्रा पर लगने योग्य रॉयल्टी जो लगायी नहीं गई, 5.52 लाख रुपये संगणित की गयी।

इन त्रुटियों को बताये जाने पर (अगस्त और सितम्बर 1997 के मध्य), जिला खनन पदाधिकारी ने बताया (सितम्बर 1997) कि मामले की जाँच की जायेगी तथा उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदुपरान्त कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

8.7. बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत बालू की बंदोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम डाककर्ता के पक्ष में की जाती है तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बंदोबस्तीधारी के साथ बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया जाता है। ऐसा निष्पादित विलेख जो गैर वसीयती होते हुए 100 रुपये और अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति (बालू क्षेत्र) में रुचि पैदा करता हैं, भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत निबंधित होना वांछनीय हैं।

4 जिला खनन कार्यालयों* में 63 बालू क्षेत्रों जिनमें प्रत्येक का प्रतिफल मूल्य 100 रुपये से अधिक था, को वर्ष 1996 और 1997 के लिए भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बंदोबस्ती के समुचित विलेखों के निष्पादन के बिना बंदोबस्त किया गया था। किसी भी मामले में विलेख भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत निबंधित नहीं था। इस प्रकार बालू क्षेत्र की बन्दोबस्ती को एक वर्ष की अवधि के लिए पट्टा मानते हुए 15.20 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

---

* गया, जमशेदपुर, पटना और रोहतास।

त्रुटियों को बताये जाने पर (जुलाई तथा नवम्बर 1997 के मध्य), जिला खनन पदाधिकारी, रोहतास ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति दिखायी जबकि पटना तथा गया के जिला खनन पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग/सरकार से निर्देश माँगा जाएगा। जिला खनन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने तर्क दिया कि ऐसे विलेखों का निबन्धन ऐच्छिक होने के कारण मुद्रांक शुल्क देय नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि यह भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के प्रतिकूल था। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

8.8. रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 तथा इसके अधीन निर्गत (मार्च 1992) सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत, ईंट भट्ठा के मालिकों को ईंट भट्ठा शुरु करने से पहले एक किस्त में रॉयल्टी की समेकित राशि का अग्रिम भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त, नियमों के अंतर्गत किसी भी लगान, रॉयल्टी या फीस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाने का भी सरकार को अधिकार प्राप्त है।

ईंट मौसम 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए ईंट भट्ठा मालिको के अभिलेखों की जाँच करने पर यह देखा गया (मार्च से दिसम्बर 1997) कि 8 जिलों* के 358 ईंट भट्ठा मालिकों ने (पथाई कार्य शुरु करने से पहले) समेकित रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान नहीं किया तथा इस तरह वे पथाई कार्य के शुरु करने की तिथियों से 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के उत्तरदायी थे। दिसम्बर 1994 और सितम्बर 1997 के मध्य विभिन्न अवधि के लिए 15 दिनों से 546 दिनों तक के भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज जो आरोपित नहीं किया गया, 6.88 लाख रुपयें संगणित किया गया।

मामले विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1997 और फरवरी 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 1998)।

* आरा, बेगुसराय, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, सहरसा और रोहतास।

अध्याय 9

	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.1.	75
क-वन प्राप्तियाँ		
आपराधिक मामलों के दाखिल करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9.2.	75
विभागीय प्राप्ति का व्यय के लिए उपयोग	9.3.	76
वन भूमि के अनधिकृत विचलन तथा मांग के कम सृजन के कारण राजस्व की हानि	9.4.	76
नीलामवाद प्रक्रियाओं के आरंभ नहीं करने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना	9.5.	77
ख-जलदर		
जल दरों का निर्धारण नहीं किया जाना	9.6.	78
वास्तविक सिंचित भूमि के विरुद्ध निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	9.7.	78

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

अध्याय 9

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

9.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने आदि का पता चला जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
	क. वन प्राप्तियाँ		
1.	वन भूमि का हस्तांतरण तथा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्राप्त राशि का उपयोग नहीं होना	8	1035.27
2.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	7	254.32
3.	बकायों की वसूली नहीं होना	7	50.92
4.	अन्य मामले	26	692.54
	कुल	48	2033.05
	ख. जल दर		
1.	जल दरों के निर्धारण में विलम्ब	6	665.67
2.	सिंचाईं के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	2	2.46
3.	अन्य मामले	10	731.47
	कुल	18	1399.60

वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभागों ने 43 मामलों में निहित 702.05 लाख रुपये के राजस्व की हानि आदि को स्वीकार किया जिसमें 28.68 लाख रुपये के 2 मामले 1997-98 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिसमें 753.26 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव निहित हैं; अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

क वन प्राप्तियाँ

9.2. आपराधिक मामलों के दाखिल करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

बिना समुचित प्राधिकार के किसी वृक्ष या इमारती लकड़ी को गिराने, काटने तथा हटाने के क्रम में हुई वन की क्षति तथा मवेशी का चरना या घास काटना चाहे जानबूझकर या लापरवाही के कारण की गयी हो, एक अपराध है। वन पदाधिकारी द्वारा अपराध को क्षतिग्रस्त, हटाये गये वन सम्पदा की वसूली और हानि की क्षतिपूर्ति द्वारा समाहित किया जा सकता है। प्रकारान्तर से अपराध के आरोपण के एक वर्ष के अन्दर अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। दण्ड-प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वैसे मामलों में जहां अधिकतम सजा एक वर्ष से अधिक की न हो, एक वर्ष के बीत जाने के बाद कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

वन प्रमंडल कार्यालयों, पोराहाट वन प्रमंडल, दक्षिणी वन प्रमंडल, चाईबासा, उत्तरी वन प्रमंडल, चाईबासा (अगस्त 1996) तथा उत्तरी वन प्रमंडल, डाल्टेनगंज (अक्तूबर 1996) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नियत अवधि के बाद एक वर्ष से पाँच वर्षों के बीत जाने के बाद 189 आपराधिक मामलों को न्यायालय में भेजा गया था जिसके फलस्वरूप 18.39 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (अगस्त और अक्तूबर 1996 के मध्य) वन प्रमंडल अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में विलंब से बचा जायेगा तथा अब से अभियोजन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र दायर करने की कार्रवाई की जायेगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

9.3. विभागीय प्राप्ति का व्यय के लिए उपयोग

बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के अनुसार वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा प्राप्त राशि को कोषागार में शीघ्रातिशीघ्र फॉरेस्ट रेमिट्टांस के रुप में जमा करना होगा। नियमों के अनुसार तात्कालिक स्थानीय व्यय के लिए राजस्व के उपयोग के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए यह प्रावधान है कि यदि वन पदाधिकारी तात्कालिक व्यय के लिए प्राप्तियों का उपयोग करता है तो उसे महीना के अन्त से पहले ही "वन विभाग को अंतरण जमा द्वारा भुगतान प्राप्त" शब्दों के साथ अपने द्वारा पृष्ठांकित तथा उपयोग में लायी गई राशि के लिए अपने पक्ष में ही काटे गये एक चेक कोषागार पदाधिकारी को भेज देना चाहिए।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी 1998) यह देखा गया कि अप्रैल 1995 और अक्तूबर 1997 के मध्य की अवधि के दौरान मछलीघर, नौकायन, बच्चों के उद्यान की टिकट बिक्री द्वारा दर्शकों से वसूली गयी तथा रेस्तरां आदि से प्राप्त आय 55.63 लाख रुपये थी। इसमें से 36.79 लाख रुपये की राशि अक्तूबर 1997 तक कोषागार में जमा की गई थी। शेष 18.84 लाख रुपये विभागीय व्यय में खर्च किये गये थे।

इसे बताये जाने पर (जनवरी 1998) उद्यान के निदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि मछलीघर, नौकाओं, झीलों, तथा छोटी रेलगाड़ी के रख-रखाव के लिए निधि के अभाव के कारण व्यय किया गया था।

मामला सरकार को मार्च 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

9.4. वन भूमि के अनधिकृत विचलन तथा मांग के कम सृजन के कारण राजस्व की हानि

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार या अन्य कोई भी प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना गैर-वन प्रयोजनों में उपयोग के लिए किसी वन या उसके अंश को विचलित नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विचलन के मामले में उपभोक्ता एजेन्सी से क्षतिपूर्ति के रुप में वनोत्पाद का मूल्य, वन भूमि

का वास्तविक वर्तमान मूल्य तथा क्षतिपूरक वनरोपण मूल्य वसूल किया जाता है। तदन्तर, उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वन रोपण हेतु समतुल्य भूमि हस्तांतरित की जानी है।

पूर्वी वन प्रमंडल, राँची की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1998) कि 160.81 हेक्टेयर वन भूमि राँची जिला में लतरातू जलाशय परियोजना के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा उपयोग की गयी। उपर्युक्त भूमि को केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध विचलित किया गया। उपभोक्ता एजेन्सी से क्षतिपूर्ति की मांग सृजन के समय (जुलाई 1985) वन प्रमंडल अधिकारी ने 289.32 लाख रुपये मूल्य के 160.81 हेक्टेयर के विरुद्ध 6.68 लाख रुपये (मार्च 1987 में उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भुगतान किया गया) मूल्य की 63.95 हेक्टेयर वन भूमि के लिए ही मांग सृजित की। फलस्वरूप प्रमंडल द्वारा 282.64 लाख रुपये की मांग सृजित ही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि भी हस्तांतरित नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर (मार्च 1998) प्रमंडलीय वन अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता एजेन्सी से संशोधित मांग की जायेगी। की गई अतिरिक्त कार्रवाई पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्तूबर 1998)।

9.5. नीलामावाद प्रक्रियाओं के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत राजस्व परिषद के अनुदेशों के अनुसार अधियाचना तथा प्रमाण पत्र पदाधिकारी नीलामपत्र मामलों के सामयिक निष्पादन के लिए सम्मिलित रुप से उत्तरदायी है तथा एक दूसरे को तथा यदि जरुरी हो तो किसी अनावश्यक विलम्ब के लिए समाहर्ता को सूचित करने के लिए बाध्य है। अधियाचना पदाधिकारी नीलामपत्र के लिए नियमित आवेदन, आपत्तियों के तत्काल निष्पादन, अगर उसे भेजा गया है, तथा ऐसे निष्पादन के पश्चात् संचिका लौटाने तथा सम्पत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नीलामपत्र लागू किया जाना है देते हुए आवेदन के शीघ्र निष्पादन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं। उसे यह भी देखना है कि निष्पादन प्रक्रियाओं को अविलम्ब पूर्ण किया जाता है। उसी तरह, प्रमाण पत्र पदाधिकारी भी नीलामपत्र मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

7 वन प्रमंडलों* की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1997 और जनवरी 1998 के मध्य) कि 10 वर्षों से अधिक अवधि से नीलामवाद प्रक्रियाओं का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण 141.30 लाख रुपये लम्बित रह गये। मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए अधियाचना पदाधिकारी या प्रमाण पत्र पदाधिकारी में से किसी के द्वारा भी प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 141.30 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

---

* धनबाद, उत्तरी डाल्टेनगंज, दक्षिणी गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पश्चिमी राँची (लोहरदगा) और शाहाबाद (सासाराम)।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1997) विभाग ने 1.14 लाख रुपये की वसूली की सूचना दी (अक्तूबर 1998)। शेष राशि के उद्ग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1998); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

ख. जलदर

9.6. जल दरों का निर्धारण नहीं किया जाना

बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 और उसके अंतर्गत बने नियम, जो बिहार में भी लागू है, सिंचाई हेतु जलापूर्ति का प्रावधान करते है जिसके लिए विहित दर पर लाभुकों से जल दर वसूलनीय है। खरीफ मौसाम के लिए सूदकर, खसरा, खतियानी को पूरा करने की समय सारणी 25 सितम्बर, 10 नवम्बर और 30 नवम्बर है और रबी मौसम के लिए यह क्रमश: 30 मार्च, 10 मई और 25 मई है।

2 राजस्व प्रमंडलों, पटना और बिहारशरीफ, में वर्ष 1996-97 के दौरान सिंचित 439217 एकड़ भूमि (खरीफ 185833 एकड़ तथा रबी 253384 एकड़) से संबंधित विहित प्रक्रियाएँ जैसे लाभुकों से वसूलनीय जलदर के निर्धारण हेतु आवश्यक सूदकर, खसरा, खतियानी आदि की तैयारी विहित अवधि के भीतर नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 282.11 लाख रुपये (रबी तथा खरीफ के लिए क्रमश: 60 रुपये प्रति एकड़ तथा 70 रुपये प्रति एकड़ की दर से आकलित) की माँग सृजित नहीं की गई।

इसे बताए जाने पर (मई और जुलाई 1997 के मध्य) उप-समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, पटना ने कहा (अगस्त 1997) कि निर्धारण पूर्ण करने की कार्रवाई की जायेगी और उप-समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, बिहारशरीफ ने कहा (जुलाई 1998) कि बाकी निर्धारण कार्य (खतियानी) प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा चुका है और तदनुरुप माँग सृजित की गयी है। उद्ग्रहण का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को अक्तूबर 1997 और जनवरी 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

9.7. वास्तविक सिंचित भूमि के विरुद्ध निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 और उसके अंतर्गत बने नियम, जो बिहार में भी लागू हैं, सिंचाई उद्देश्य हेतु जलापूर्ति का प्रावधान करते हैं जिसके लिए विहित निश्चित समय तथा विहित दर पर लाभुकों से जल दर वसूलनीय है। एक समय सारणी विहित की गई है, जिसके अनुसार लाभुकों को जलापूर्ति प्रयोजनों के लिए खरीफ तथा रबी की अवधि क्रमश: 25 जून से 25 अंक्तूबर तथा 26 अक्तूबर से 25 मार्च है।

त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल में, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान सिंचित भूमि (98694 हेक्टेयर) की तुलना में सूदकर में कमी (11953 हेक्टेयर) हुई जिसके फलस्वरूप 9.98 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (नबम्बर 1996) प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता ने कहा कि त्रिवेणी नहर प्रणाली लगभग 100 वर्ष पुरानी है। इसका सुरक्षित और प्रभावी जीवन समाप्त हो चुका है। कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान सिंचित भूमि की तुलना में सूदकरों की तैयारी क्रमश: 92.61 प्रतिशत से 96 प्रतिशत (खरीफ में) और 71.81 प्रतिशत से 93.98 प्रतिशत (रबी में) थी।

मामला सरकार को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

राकेश

(राकेश जैन)
महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-**II**, बिहार

राँची
दिनांक : 11 JAN 1999

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 15 JAN 1999

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
1998

मूल्य : रु. 65 /-